मास्टर ऑफ सोशल वर्क
(M.S.W.)
अन्तिम वर्ष

मानवअधिकार, सामाजिक न्याय एवं कमजोर वर्ग
(Human Rights Social Justice & Weaker Section)
(तृतीय प्रश्न पत्र)

दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत् शिक्षा केन्द्र
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट [सतना] म.प्र. - ४८५३३४

मानवधिकार, सामाजिक न्याय एवं कमजोर वर्ग
(Human Rights Social Justice & Weaker Section)

ई–संस्करण 2023–24 / M.S.W. –II - 09

प्रेरणा एवं मार्गदर्शन :
प्रो. भरत मिश्र
कुलपति
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

पाठ्यक्रम निर्माण

डॉ. अजय आर. चौरे, म0ग0चि0ग्रा0 विश्वविद्यालय चित्रकूट

पाठ्यक्रम संयोजक

डॉ. अजय आर. चौरे,

पाठ्यक्रम अभिकल्पना एवं सम्पादक मण्डल :

डॉ. कमलेश थापक डॉ. विनोद शंकर सिंह

डॉ. नीलम चौरे डॉ. राजेश त्रिपाठी

मुद्रण प्रस्तुति

डॉ. सन्तोष अरसिया, उपकुलसचिव (दूरवर्ती परीक्षा)

सन्तोष राजपूत, सहायक कुलसचिव (दूरवर्ती परीक्षा)

शिवांगी त्रिपाठी

सम्पर्क सूत्र :
डॉ. कमलेश थापक, निदेशक, दूरवर्ती शिक्षा
दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत् शिक्षा केन्द्र
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

दूरभाष– 07670–265460, E-mail – directordistancemgcgv@gmail.com, website : www.mgcgvchitrakoot.com

प्रकाशक :
दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत् शिक्षा केन्द्र
महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट (म.प्र.)

प्राक्कथन...

मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की तपोस्थली, मंदाकिनी नदी के सुरम्य तट पर स्थापित महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय भारतरत्न नानाजी देशमुख के शैक्षिक चिंतन और संकल्पों की जीवंत अभिव्यक्ति है, जो म.प्र.शासन द्वारा 12 फरवरी, 1991 को विशेष अधिनियम 09, 1991 द्वारा स्थापित हुआ।

विश्वविद्यालय का ध्येय वाक्य है–'विश्वं ग्रामे प्रतिष्ठितम्' अर्थात ग्राम विश्व का लघु रूप है। विश्वविद्यालय चित्रकूट में स्थित है, जो एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। नई पीढ़ी के लिये यह स्थान आदर्श एवं प्रेरणा का केन्द्र है।

विश्वविद्यालय में कृषि, प्रबंधन, अभियांत्रिकी, लोक विज्ञान, ग्रामीण विकास एवं स्थानीय स्वशासन, लोक शिक्षा, कला, संस्कृति एवं साहित्य सहित सभी अकादमिक धारायें प्रभावी रूप में उपस्थित हैं। विश्वविद्यालय, ग्राम को समाज जीवन की मूल इकाई मानकर शिक्षण, प्रशिक्षण, शोध और प्रसार कार्यों से सर्वांगीण विकास के लिए विगत 3 दशकों से अधिक समय से समर्पित प्रयास कर ग्रामोदय से राष्ट्रोदय के संकल्प में लगा हुआ है। विश्वविद्यालय ने अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास के उन्नयन एवं प्रमाणन तथा सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है तथा शासन के सहयोगी के रूप में उल्लेखनीय भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान की परम्परा के आलोक में आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 चिरवांछित जन आकांक्षाओं की सम्यक् अभिव्यक्ति है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के युगान्तरकारी प्रावधानों को लागू करने में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य रहा है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने नवाचारों के लिए सकारात्मक और अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है। विद्यार्थियों की पठन–पाठन की स्वतंत्रता, कौशल विकास के समुचित अवसर तथा राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुसार आने वाले भविष्य के लिए तैयार करने की प्रतिबद्धता राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों में स्पष्टतः दिखाई देती है।

विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को दूरवर्ती के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अर्थपूर्ण रूप से जोड़कर इन्हें सत्र 2023–24 से पुनः संशोधित/परिवर्धित रूप में प्रारम्भ किया है। विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रसार एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु दूरवर्ती माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष प्रयास कर रहा है। दूरवर्ती पद्धति से संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में नियमित संपर्क कक्षाओं के आयोजन, उच्च शिक्षा की स्व–अध्ययन सामग्री एवं नई शैक्षिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए शिक्षार्थी को बेहतर शैक्षणिक अनुभव प्रदान करने की व्यवस्था सुनिश्चत की जा रही है।

विश्वविद्यालय के दूरवर्ती अध्ययन एवं सतत शिक्षा केन्द्र द्वारा सत्र 2024–25 में संचालित परास्नातक, स्नातक तथा डिप्लोमा स्तरीय दूरवर्ती पाठ्यक्रमों के शिक्षार्थियों हेतु ई–स्वनिर्देशित अध्ययन सामग्री प्रस्तुत करते हुये मुझे हर्ष का अनुभव हो रहा है।
पाठ्यक्रम से जुडे सभी शिक्षार्थियों, अभिभावकों, प्रशासकों, समन्वयकों और अन्य सभी को मेरी मंगलकामनायें

प्रो. भरत मिश्रा
कुलपति

मानवाधिकार, सामाजिक न्याय एवं कमजोर वर्ग

इकाई – 1 : भारत में सामाजिक न्याय की अवधारणा

इकाई – 2 : मानवाधिकार की प्रकृति एवं अर्थ

इकाई – 3 : कमजोर वर्ग

इकाई – 4 : पिछड़े वर्गो की समस्याएँ

इकाई – 5 : समूह समाज कार्य की परिभाषा

इकाई–1

भारत मे सामाजिक न्याय की अवधारणा

समाजिक न्याय – प्रथम विश्वयुद्ध के बाद से ही भारतीय दृष्टिपटल पर दो समानान्तर कातियां राष्ट्रीय तथा सामाजिक समानान्तर रूप से चल रही थी। स्वतंत्रता आंदोलन की प्रमुख विशेषता यह भी थी किवह न सिर्फ भारत वर्ष को स्वतंत्रता कराना चाहता था वरन भारतीय समाज का निर्माण सामाजिक क्रांति अथवा सामाजिक न्याय के गतिशीलता के अनुरूप करना चाहता था स्वतंत्रता अपने आय में कोई लक्ष्य नहीं था लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन मात्र था लक्ष्य था स्वतन्त्र भारत तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतो के अनुरूप भारतीय समाज का पुननिर्माण जिसमे भूखे लोगो को भोजन मिल सके एवं निवस्त्रो को वस्त्र ऐसा समाज जिसमें सभी भारतीय को अपनी क्षमता के अनुसार अपने व्यक्तित्व को विकसित करने का अवसर प्राप्त हो सके सामाजिक न्याय का वास्तविक उददेश्य है। सर्वोदय अर्थात सब की उत्पति सर्वोदय अथवा सामाजिक न्याय कई कारको का समुच्चम है, जैसे–सामजिक आर्थिक राजनैतिक सांस्कृतिक वैचारिक या बौद्धिक शैक्षणिक एवं आध्यात्मिक विकास सामाजिक न्याय का जीवन दर्शन है कुछ अमीर लोगो को जिनके हाथों में राष्ट्र की सम्पति का बहुत बडा भाग केन्द्रित हो गया है। थोडा नीचे ले आना तथा करोडो भूखे अधभूखे लोगो को कपर उठाना सामाजिक न्याय पुराने समाज के अर्थिक आधारो को तोड़ देती है। शोषण के स्त्रोतो को खत्म कर देती है सामाजिक विषमता को मिटाती है समाज मे लक्ष्यो मे सभी तरह के सामाजिक न्याय के ठोस को समाप्त करना राष्ट्रीय विषमता का दूर करना पूण्र रोजगार के अक्सर प्रदान करना निशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करना चिकित्सा सुविधायें प्रदान करना सामजिक बीमा की व्यवस्था करना सस्ते मकानो की व्यवस्था करना पिछडे लोगो का तीव्र गति से विकास वास्तविक जनतंन्त्र जिसके अन्तगर्त करोडो की सार्वजनिक जीवन में भागीदारी हो सके बहुत सी चीजे जिससे गरीब लोकवंचित है प्रदान करना सम्मिलित है।

समाजिक न्याय मूर्त रूप मे– भारतीय संविधान को एक सामाजिक दस्तावेज कहा जा सकता है जिसके अधिकांश प्रावधान सामाजिक न्याय की अवधरण को आगे बढाने हैतु है सामाजिक न्याय की बीजकोण संविधान की उददेश्यी या भूमिका मौलिक अधिकरो तथा राज्य के निदेशक तत्वो मे पाया जाता है। एवं इन्हे भारतीय संविधान की अन्तरात्मा कहा जाता है। एवं इनकी व्यवस्था सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु की गई है। भारतीय संविधान का भाग तीन लोगो के लिये मौलिक अधिकारो की व्यवस्था करता है तथा इसके माध्यम से सामाजिक न्याय के विकास की बात करता है एक समतावादी समाज की स्थापना करके जिसमें सभी को बराबरी का दर्जा दियाजायेगा एवं जो राज्य के उप्पीडन से स्वतंत्र होगे स्वतंत्रता अब कुछ लोगो की निजीसम्पति नहीं होगी सभी नागरिको को स्वतंत्रता का अधिकार भारत के संविधान क अनुच्छेद शोषण के विरूद्र अधिकार धर्म का स्वतंत्रता सांस्कृतिक एवं सवैधानिक अधिकार रहा और संवैधानिक उपचार के अधिकार राज्य के विरूद्व प्रदान किये गये है। फिर भी कुछ व्यक्तियो के निजी किंयाकलापो के विरूद्ध इन्है प्रवर्तित किया जा सकता है भारत के संविधान का अनुच्छेद सामाजिक न्याय के सिद्धांतो का और मुखर प्रतिपादन हैम राज्य के निदेशक तत्वो मे पाते है राज्य के इन निदेशक तत्वो का समावेश हैम सवंधान क भाग चार में पातें है। भाग चार के प्रावधान

भारत में एक नइ आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए रखे गये है सामाजिक न्याय के मूल सिद्धांत करने के लिए का समावेश हैम अनुच्छेद 38 में पाते है। राज्यो को यह निर्देश देती है किवह लोगो के कल्याण के लिए कार्य करे तथा एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करे जिसमे राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रो से चाहै वह सामाजिक हो आर्थिक हो अथवा राजनैतिक हो न्याय सुलभ कराया जा सके । संविधान क सामाजिक न्याय सम्बंधी प्रावधनो को क्रियान्वित करने हेतु समय समय पर कदम उठाये गयें है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात तमाम राज्यो मे जमीदारी का उन्मूलन किया गया उन्है न्यायलयो मे चूनौती दी गयी कई उच्च न्यायलयो ने जमीदारी उन्मूलन सम्बंधी विधियों की हैर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए फलत प्रथम संविधान संशोधन विधेयक 1951 में पारित किया गया। अनुच्छेद और संविधान मे जोडे गये एवे अनुसूची नौ भी संविधान में जोडी गयी संविधान में कई सारे संशोधन समय समय पर समय की आवश्यकताओं को देखते हैयें किसे लेकिन उनमे से कई जिनका सॅम्बंध भारतीय समाज मे आर्थिक सामाजिक परिवर्तना से है। उनमे से मुख्य प्रथम चौथा सातवां 24 वा 29 वा 42 वां44वां संविधान संशोधन सामाजिक न्याय के सिद्धांतो को और आगे बढाने के लिय केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारो ने विभिन्न विधेयक पारित किये जिन्है हैम सामाजिक विधायन के रूप मे जानते है जिनमे प्रमुख है भष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 उद्योग विकास एवं विनियमन अधिनियम 1955 हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 हिन्दू उत्राधिकार अधिनियम 1956 भारतीय जीवन बीमा अधिनियम 1956 गन्दी बस्ती सुधार एवं सफाई अधिनियम 1957 प्रसूति अधिनियम 1961 उपदान संदाय अधिनियम 1972 आदि । सामाजिक विद्यायन को कई श्रेणियों में सामाजिक बुराइयो के निवारण से है। जैसे छुआछुत सम्बंध सामुदायिक कल्याण से है। जैसे स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा से है। जैसे सामाजिक बीमा वृद्वावस्था तथा प्रसूति प्रसुविधा चौथे जिनका सम्बंध सामाजिक कार्य या अपराध परिवीक्षा या जुआ का निवारण पाँचवा वे जिनका सम्बध जमीदारी उन्मूलन काश्ताकारी भूदान या सहकारिता से है। भारतीय न्यायपालिका ने भी सामाजिक न्याय की परिकल्पाना को साकार करने की दिशा मे महत्वपूर्ण निर्णय दिये है। क्योर मिल्स कम्पनी लि० बनाम सूती मिल मजदूर यूनियन ए.आई.आर. 1955 एस सी. 170 जेके आयरन एण्ड स्टील कम्पनी बनाम मजदूर यूनियन एं आई आर 1955 एस सी 231 हांलांकि यह सच है कि सर्वोच्च न्यायलय केतीन प्रमुख निर्णयों ने सामाजिक न्याय की धारण को धक्का पहुँचाया वे है। गोलक नाथ बनाम पंजाब राज्य एंआई आर 1967 सु को 1943 आर सी कूपर बनाम यूनियन आफ इण्डिया एं आई आर 1970 सु को 565 तथा प्रीवी पर्सवाद माधव राव सिंधिया बनाम यूनियन आफ इण्डिया एं आई 1971 सु को 530 इन निर्णयो को व्यर्थ कर देने हैतु भारतीय संसद ने संविधान का 24 वां एवं 25 वां संशोधन ने 25 वां 24 वां 29 वां वे संविधान संशोधन को संवैधानिक ठहैराया रणधीर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इण्डियां ए.आइ आर 1982 एस सी० 1982 डेंलही क्लाथ जनरल मिल्स लि. बनाम शम्भू नाथ मुखजी ए. आई. आर 1984 एस सी 141 यही नहीं भारत के कइ उच्च न्यायलयो ने भी सामाजिक न्याय की पकिल्पना को व्यवहारिक रूप देने का सराहनीय कार्य किया भारत वर्ष में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को और आगे बढाने मे सर्वोच न्यायलय का निर्णय जो उसने इंदिरा साहैनी बनाम यूनियन आफ इण्डिया में दिया ऐतिहासिक है। सर्वोच न्यायलय ने अपने निर्णय को माध्यम से प्रतिशत आरक्षण के प्रावधन को वहा ठहैराया भारत सरकार के संशोधित आदेश दिनाक 25 दिसम्बर 1991 में 10 प्रतिशत जिस अतिरिक्त आरक्षण का प्रावधान आर्थिक रूप से पिछड़े जिन अन्य लोगों के लिये किया था, उसे न्यायलय ने अवैध ठहैराया। न्याय का अर्थ तथा

उसके प्रकार न्याय शब्द का प्रयोग वृहतर अर्थों में तथा संकुचित दोनो अर्थो मे किया जा सकता है। वृहत्तर अर्थों मे जैसा कि थामास एक्वीनाज अपने तर्क मे कहते है कि एक अन्यापूर्ण विधि नहीं है। अपने संकुचित अर्थों मेंइसे विभिन्न प्रयोगों के रूप मे जाना जाता है, जैसे– न्याय की कचेहरी प्राकृतिक न्याय तथा न्याय वंचन अवधारणा को निरूपति किया है। उनके अनुसार न्याय की तात्पर्य या तो विधिमान्यता से है या उचित एवं बराबरी से है। प्लैटो भी इसे एक सर्वोच्च गुण की संज्ञा देते है। हर व्यक्ति के लिए जो उपयुक्त है वह उसे दिया जाना न्याय है। प्लेटो इस अवधाराण को अस्वीकार करतें है। राल्स न्याय को न्यायसंगीत अथवा निपक्षता के रूप में देखते है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सच्चाई विचारो का प्रथम गुण है। कोइ भी सिद्वांत कितना ही परिकृत तथा मितव्ययी क्यो नहा यदि वह असत्य है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए या उसमे सुधार कर दिया जाना चाहिए यहॉ यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि न्यास समता का समानार्थी है समता न्याय का एक पहलू है न्याय कोई चीज नहीं है, जिसे किसी एक फार्मूला के अर्न्तगत सूत्रबद्ध किय जा सकता है यह एक प्रकिया है। विभिन्न कारको जिसमें समता भी एक है के बीच एक विशम तथा बदलता सन्तुलन या तुला है जैसा फेडरिक कहतें है कि न्याय दिया नहीं जाता यह एक कार्य है, जो प्राप्त किया जाता है।

न्याय अपने विभिन्न रूपो में–

स्वाभाविक और अभिसामयिक न्याय या विधिक न्याय–अरस्तु ने न्याय को दो भागो में बाँटा है। स्वाभाविक न्याय तथा अभिसामयिक न्याय और विधिक न्याय स्वाभाविक न्याय सार्वभौमिक होता है। प्राकृतिक न्याय इस तरह की ईश्वरीय देन है स्वाभाविक न्याय के पीछे की प्रेरक भावना देवी चेतना होती है। अभिसामयिक न्याय अथवा विधिक न्याय इसी लिए बाध्य करती है किवह किसी विशिट प्राधिकारी द्वारा निर्गत की गई है। विधिक न्याय के माध्यम न्यायलय होते है जो प्रवर्तित अथवा लागू विधियो के माध्यम न्यायलय होतें है जो प्रवर्तित अथावा लागू विधियों के अनुसार न्याय करतें है।

वितरणत्मण या व्यक्तिवाचक न्याय– अरस्तू ने न्याय को दो अन्य तरीके से विभाजित किया है। वितरणत्मक अथवा व्यक्तिवाचक तथा अनुसार वितरणत्मक न्याय इस सिद्धांत पर आधारित है कि बराबर के लोगो मे सिद्वांत कि बराबर के लोगो मे बराबर का विभाजन होना चाहिए अरस्तू ने वितरणत्मक न्याय की परिभासा करतें हैये कहां कि साथ असमान व्यवहार किया जाता है। तथा वहां भी जहां असमान के साथ समान व्यवहार किया जाता है।

सुधारात्मक या उपचारात्मक न्याय– सुधारात्मक न्याय में विधि का ध्यान क्षति के स्वभाव या क्षति की ओर होता है। तथा गलत कार्य से पूर्व की समता को पुन स्थापित करने का प्रयत्न करता है। अन्यायपूर्ण ढंग से काग्र करने तथा अनुचित रूप से पेश आने के बीच एक न्यायोचिवत माध्यम है।

सामाजिक न्याय– राल्स के अनुसार सामाजिक न्याय से अभिप्राय ऐसे न्याय से न्याय से अभिप्राय ऐसे न्याय से है, जिसके माध्यम से प्रमुख सामाजिक संस्थाओ मौलिक अधिकारों तथा कर्तव्यों का वितरण करती है एवं सामाजिक सहकारिता के द्वारा लाभो के विभाजन का निर्धारण करती है। प्रमुख संस्थाओं को स्पष्ट करतें हैं। राल्स कहते हैं कि इसके अन्तग्रत राजनैतिक संविधान तथा प्रमुख अर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाएं आती है। उनके

अनुसार प्रमुख सामाजिक संस्थायें है। विचारो की स्वतंत्रता का विधिक संरक्षण अन्तर्चेतना की स्वतंत्रता स्पर्धात्मक बाजार निजी संपति तथा जाति संबंधो के अथ्र में सामाजिक न्याय न्याय का एक अभिन्न अंग है।

भारतीय समाज व संस्कृति की विशेषताएं– भारतीय संस्कृति विश्व की एक महानतथा प्राचीनतम संस्कृति है। अनेक विदेशी विद्वानो ने भारतीय संस्कृति की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। विश्व विख्यात कला समीक्षक हैवल ने लिखा है। किसी भीदूसरे राष्ट्र ने प्राचीन हो या आधुनिक इतनी उच्च संस्कृति का निर्माण नहीं किया किसी भी धर्म को जीवन दर्शन बनाने में इतनी सफलता नहीं मिली यहां तक कि कोई मानवीय ज्ञान इतना समृद्ध और शाक्तिशाली नहीं हो सका जितना कि भारत में हुआ भारत के ज्ञान दर्शन तथा साहित्य ने केवल इस देश के निवासियों को प्रेरित किया वरन विदेशी विद्वानो तक को प्रभावित किया है। नीचे हैम भारतीय समाज व संस्कृति की उन विशेषताएं का उल्लेख करेगे जो युगो के पश्चात आज भी जीवित है।

दीर्घ कालीन स्थायित्व– भारतीय संस्कृति का 5000 वर्षो का एक लम्बा इतिहास है मानवीय संस्कृतियों में दो ही ऐसी संस्कृतियां है। चीन और भारतीय जो अतीत काल से अब तक सतत रूप में स्थायी रही है उनकी भाषा धर्म कला कौशल विज्ञान अब पूर्णतया लुप्त है इतिहास के विशेशतओ के अतिरिक्त उनका किसी का ज्ञान नहीं है। इसेके विपरी भारतीय संस्कृति ने आज भी आपने पुराने रूप को खोया नहीं।

व्यापाकता– भारतीय संस्कृति का क्षेत्र बडा व्यापक रहा है। मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है। जिस पर भारतीय चिंतको ने गहराई से विशाल रहा है। आश्रम प्राणली भेइसी व्यापक का प्रमाण है। यह सत्य है कि भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता परबल दिया गया परन्तु साथ ही उसमें सांसारिक सुखो की अवहेलना भी नहीं की गई मिली जुली या मिश्रित संस्कृति हैम पढ चुके है कि प्राचीन काल से भारत में अनेक विदेशी जातियां का आगमन होता रहा है। कुछ ने यहां गुप्तकाल तक शासन किया और स्थायी रूप से भारत में बस गयी भारतीय इन्हीं विविध जातियों के सम्मिलिति अंशदान का फल है। जनजीवन मेंइस प्रकार धुलमिल गयी कि आज यह कहना कठिन है कि आर्य कौन हैं औरद्रविड कौन हैं।

सहिणुता व उदारता– सहिण्युता की परम्परा भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता रही है प्राचीन काल से ही यहां धम्र के क्षेत्र मेसदा उदारता मेऔर सहिणाता की नीति का ही पालन किया गया।

सत्य और अहिसां पर बल– वैदिक ब्राम्हाणे बौद्धो तथा जैनियो आदि सभी भारतीय धर्मो ने सत्य और अहिंसा के सिद्वांतो को अपनाने पर बल दिया सभी ने सत्य के महत्व को स्वीकार किया और उसे देनिक जीवन में अपनाने पर बल दिया इसी प्रकार सभी धम्मे ने अहिसा के महत्व को स्वीकार किया।

भारत में सामाजिक परिर्वतन– सौ वर्ष पहले के भारत के साथ यदि आज क ृभारत की तुलना की जाए तो भारतीय समाज के हैर दिशा में हैए असंख्य परिवर्तनो इतने विविध है। कि उनकी संपूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करना अदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। इसका

कारण भी है और वह यह कि आधुनिक भारत में नगरीकरण से सामाजिक परिवर्तन को न केवल गति मिली है, अपितु बहुमुखी परिवर्तन भी आज अभरकर सामने आये हैं।

समाजिक जीवन में संरचनात्मक परिवर्तन– आधुनिक समाय में भारतीय सामाजिक जीवन के प्रत्येक पक्ष में अनेक उल्लेखनीय परिवार्तन देखने को मिलते है। जिन्हें कि संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

परिवारिक जीवन में परिवर्तन– वर्तमान युग में परिवार के परंपरागत कार्यों के उपर से पारिवारिक नियंत्रण धीरे धीर समाप्त होता जा रहा है। परिवार के वडे बूढ़ा के प्रति मन मे श्रद्वा व सम्मान की भावना कमश कम होती जा रही है। शिक्षा का उतरदायित्व परिवार से स्कूल और कालेज कार्य भी होतें है।

संयुक्त परिवार का निघटन– आज निरंतर सयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। पहले से दुसरे स्थान पर नहीं जाना पड़ता है। और सभी सदस्य एक स्थान नहीं जाना पड़ता है। क्योकि इसके फलस्वरूप नौकरी का क्षेत्र अब सारे देश मे फैल गया और लोग अपना घर नौकारी की खोज में अलग अलग स्थानों में जाकर बसने लगें इस कारण भी संयुक्त परिवार का निरन्तर विघटन हो रहा है।

जाति प्रथा में परिवर्तन– जाति प्रथा हिन्दू समाज की एक महत्वपूर्ण संस्था है। आधुनिक युग मे इस प्रथा में परिवर्तन उत्पन्न होता जा रहा है। जातिवाद की भावना अब धीरे धीरे सामाप्त होती जा रही है पहले जाति मे जो खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते थे वे आज साथ बैठकर खाना खातें है। इस कारण जाति प्रथा संबंधी नियम ढीले होते जा रहे है।

बाल विवाह के प्रति ट्रॅष्टिकोण में परिवर्तन– हिन्दू विवाह प्रथा में बाल विवाहै प्रथा का एक प्रमुख स्थान है। बाल विवाहै प्रत्येक समाज के लिये एक अभिशाप है। बाल विवाह नगरों की अपेक्षा ग्रामों में अधिक देखने को मिलते हैं। परन्तु आज नगर के साथ साथ ग्रामीण युवक भी बाल विवाहै से संबंधित बुराइयो का समझाने लगे है। एक समय समाय ऐसा आएगा जब यह प्रथा देशं से समाप्त हो जाएगी। सरकार ने भी बाल विवाह कानून बनाए। इनमें शारदीय सबसे प्रमुख है इसके अतिरिक्त हिन्दू विवाह व तलाक अधिनियम 1955 ने भी बाल विवाह व तलाक लडके व लडकी की आयु क्रमश कम से कम 21 व 18 वर्ष होनी चाहिए। देहेज प्रथा के प्रति परिवर्तन हिन्दू विवाह की अनेक समास्याओ में से एक समस्या दहेज प्रथा की भी है। दहेज प्रथा एक विकट समस्या है।

देहेज प्रथा के प्रति परिवर्तन दृष्टिकोण– हिन्दू विवाह की अनेक समस्याओं में से एक समस्या देहैज प्रथाकी भी है। दहेज प्रथा एक विकट समस्या है इसके कारण समाज में अनेक उत्पन्न हो गए हैं। आज पदे लिखे शिक्षित लोग इस प्रथा को उचित परिवर्तित होता जा रहा है। सरकारी कानूनों ने इस दिशा में काफी सहायता की है।इस प्रकार धीरे धीरे दहेज प्रथा के उन्मनल की आशा की जा सकती है।

स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन–आज भारतीय सामाजिक संरचना में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन स्त्रियों की स्थिति के संबंध में हुआ है। आज पहले की तरह स्त्री पुरुष की दासी न होकर उसकी प्रिय बांधवी है। वर्तमान समय में नोकरी के अवसर केवल परिवार पर कम निर्भर हो गई है। उनमें आत्म विश्वास तथा आत्मसम्मान की भावना पायी है।

भारतीय समाज एवं संस्कृति में एकता– यदि हम स्थूल रूप से देखे तो हम पाते हैं कि भारत में अनेक जातियां अनेक धर्मो अनेक भाषाओ के लोग रहतें है। जितनी विविधता भारत में है। उतनी संसार के अन्य देश में नहीं लकिन सूक्ष्म रूप से पता चलता हैं । कि संपूर्ण विविधता एक के रूप मे जीवित रखा है। विभिन्न धरातला पर एकता के बार–बार दर्शन होतें है।

भारतीय समाज और संस्कृति मे विविधता– सामान्य रूप से भारतीय समाज और संस्कृति मे निम्नलिखित विविधता हैं–

प्राकृतिक रचना में विविधता

भारत के उत्तर मे पूर्व से पश्चिम अराकान हिमालय कराकोरम हिन्दूकुश हाला सुलेमान और पूर्व तथा पश्चिम तटीय श्रेणियों है भारत के मध्य मे इन उत्तरी पर्वतो के नीचे उत्तर के उपजाउ मैदान है, जबकि यही राजस्थान में रेगिस्तान दक्षिण में पाठारी प्रदेश है।

जलवायु की विविधता– भारत में शीतोण तथा शीत जलवायु वाले प्रदेश वाले भारत के अलग अलग भागो की जलवायु मे भी विभिन्नता और विविधता है।

जनसंख्या की विविधता– भारत में विभिन्न क्षेत्रो मे जनसंख्या और इसके घनत्व में भी विविधता देखने को मिलती है।

भाषा की विविधिता– भाषा मे विविधता हैमारे देशके निवासियो कीएक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। हमारे देश में करीब 1952 भाषाएं बोली जाती हैं संविधान में उल्लेखित 15 भाषाओ के अलावा 16 भाषाएं बदल जाती है। वर्तमान भाषाएं प्रांत भी इसी भाषा विविधता का परिणाम है।

धार्मिक विविधता– भारत में हिन्दू मूसलमान जैन बौद्ध सिख ईसाई पारसी आदि विविध धम्प्रे के अनुयायी निवास करतें है। हिन्दू धर्म के विविध धर्मो के संप्रदाय व मत सारे भारत में फैले हुये हैं। इन सभी धार्मिक समहो मे एक धर्म की सामाजिक सस्थाएं दूसारे धर्म की सामाजिक संस्थाएं से विभिन्नताएं लिये हैं है।

सांस्कृतिक विविधाताएं– सांस्कृतिक दृष्टि से भारत में विभिन्न रीति रिवाज विचार वेशभूषा रूपरंग तथा मान्यताओ वाले निवासी है अत भारत को कई दृष्टियों से विविधताओं का देश कहा जाता है।

अन्य विविधाताएं– उपरोक्त विविधताओ के अतिरिक्त भारत मे सामाजिक व पारिवारिक संगठनो में भी विविधता देखने को मिलती है। यही नहीं वैवाहिक प्रथाओ तथा रीति रिवाजों में भी विविधता पाई जाती हैं।

भारतीय समाज और संस्कृति में मौलिक एकता– उपरोक्त विविधताआं को देखकर यह निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत नहीं होगा कि भारतीय समाज तथा संस्कृति में एकता का अभाव है। अगर हम भारतीय समाज और संस्कृति का गहन अध्ययन करे तो हम पाते हैं कि इन विविधताओ और विभिन्नताओं के बीच भारतीय समाज व संस्कृति में मौलिक एकता के तत्व विधमान है।

भौगोलिक एकता– प्राकृतिक रचना की दृष्टि से भारत में विभिन्न्ताए होते हैं। ये भी संपूर्ण भारत एक विशाल 34 महाद्वीप है, जो उच्च पर्वत मालाओ के द्वारा एशिया के अन्य देशो व भूदृभागो से अलग एक देश है तथा तीन तरफ समुद्र से घिरा होने के कारण भारत में पूर्णत भौगोलिक एकता है इतिहास साक्षी है कि प्राचीनकाल मध्यकाल और वर्तमानकाल में भारतीय साम्राज्य अपने आप में एक देश रहा है।

समाजिक एकता– भारतीय समाज अपने आप में विविधताओ का मिश्रण है। भारतीय समाज में जाति प्रजाति रंग रूप कद आकृति तथा विविध वर्णे और वार्गो का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। वे लोग अलग अलग समूहो और संप्रदायों में विभाजित है परन्तु इन विविधताओ के होते हुए भी सभी भारतीय है तथा स्वयं को एक राष्ट्र से संबंधित मानते हैं।

प्रजातीय एकता– यह माना जाता है। कि भारत में कई प्रजातियों के लोग आर्य द्रविड मंगोल आस्ट्रॉयड नीग्रापड आदि रहतें है। इनमें सेकइ प्रजातियां भारत के बाहर से आई। लेकिन सत्य यह है कि इन विभिन्न प्रजातियों के लोग साथ साथ रहते रहे तथा इनमें अंतर संबंध स्थापित होते रहे। अतः एक नवीन मिश्रित जाति भारत मे विकसित हो गई। इसे भारतीय प्रजाति कह सकते हैं।

धार्मिक एकता रूभारत में विविध धर्मो के अनुयायी निवास करते हैं। वैदिक या सनातन या हिन्दू धर्म इस्लाम जैन बौद्ध इसाइ आदि भारत के निवासियों के प्रमुख विविध धर्म है। पारसी सिक्ख आदि धर्म भी भारतीय निवासियो के धर्म है। लेकिन इन अनेक धर्मो के होते हैं। ये भी प्रयः सभी भारतीय धर्मावलंबी ईश्वर तपस्या पूजा आराधना मौक्ष स्वर्ण सिवा सत्य अहिसा त्याग दान दया आदि मौलिक गुणो में विश्वास करके धार्मिक मोलिक एकता के प्रतीक है।

सांस्कृतिक एकता– भारतीय समाज मे विविध भाषा रीति रिवाज विश्वास संप्रदाय तथा जाति प्रजातियों के लोग रहतें है। जिनकी संस्कृतियां भिन्न है। लेकिन इन विविधताओ के होते हैये भी भारतीय संस्कृतियो मेंसहिणूता और समन्वयकारी गुणो का प्राय सभी संस्कृतियो का समावेश होता गया है। भारतीय संस्कृति एक विशाल जलधारा की तरह इसमे एकाकार होने वाली विविध संस्कृतियो की छोटी छोटी धाराओ का समागम है।

सामाजिक न्याय

डॉ अम्बेडकर का अवदान– आधुनिक युग में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये देशमें जिन लोगों ने कार्य किया, उनमे डॉ भीमराव अम्बेडकर अग्रज हैं। एक न्याय पूर्ण समाज की रचना के लिये उन्होंने जो कार्य किये, उनके उल्लेख के बिना भारत मे सामाजिक न्याय की चर्चा कभी पूरी नहीं हो सकती। यद्यपि उन्हें अध्यवसापी लेखक, प्रखर वक्ता, समाज वैज्ञानिक, संविधान निर्माता, शिक्षाशास्त्री, समाज सुधारक, राजनीतिक एवं कुशल प्रशासक आदि अनेक रूपों में जाना जाता है। अम्बेडकर के योगदान को निम्न स्तरों से व्यक्त किया जा सकता है–

- समाजिक अन्याय की पहचान और उसके कारणो को वस्तुनिक ऐतिहासिक अनुशीलता।

- स्माजिक अन्याय पर आधारित विधान की रचना और उसे प्रभावी बनाने की दृष्टि से संविधान में स्वतंत्र न्याय पालिका का प्रावधान।
- सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये आंदोलन एवं संघर्ष।

सामाजिक अन्यास के कारणो की खोज– डॉ अम्बेडकर 1987 1925 स्वतंत्रता समानता एंव भातृत्व को सामाजिक न्याय का पर्याप्त मानते है। समाज में जब इन तत्वो का अभाव होता है। तो अन्याय की स्थिति उत्पन्न होती है। अम्बेडकर के अनुसार नारी शुद्ध एवंदलिल सहित भारतीय समाज का अधिकाश भाग सामाजिक अन्याय का शिकार था ये समाज के वे वर्ग थें जो न केवल सामाजिक एव नागरिक अधिकाश से वंचित थे अपितु विभिन्न प्रकार की निर्योग्यताओ से पीड़ित भी थे। इनमें अस्पृश्यता के चलतें दलितो की स्थिति सबसे खराब थी असमानता डॉअम्बेडकर के अनूसार हिन्दू समाज का बुनियादी सिद्धांत है हिन्दू धर्म चिन्तन एवं कार्य व्यवहार की रचना असमानता के सिद्धांत पर हुई है हिन्दू समाज और धर्म की आत्मा है। उदाहारण के लिये वर्ण एवं जाति जन्मजात अपरिवर्तनीय असमानमता के घोतक हैं हिन्दू समाज मं विभिन्न वर्णो एवं जातियां के बीच असमानता का सम्बंध है और यह सम्बध स्थायी है।

सामाजिक न्याय विधान की रचना– परम्परागत भारतीय समाज में विद्यमान अन्याय की प्रकृति एवं उसके कारणों की व्याख्या के उपरान्त अम्बेडकर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि–

- हिन्दू वैचारिकी हिन्दू विद्यमान एवं हिन्दू समाज ने व्यक्ति के महत्व को स्वीकार नही किया है इसने जाति वर्ण को महत्व दिया है। व्यक्ति की अवहेलना की है।
- हिन्दू सामज में सामाजिक न्याय का अभावइसलिये है। क्योकि इसका विधान समानता स्वतंत्रता एवं भाईचारे का निषेध करता है। यह असमानता दासता और वर्ण जाति गुजारश नहीं है।
- हिन्दू विधान लौकिक नही ईश्वरीय है। इसलिये इसमें परिवर्तन की गुजारश नही है।
- सामाजिक न्याय की स्थापना के प्रयास में अम्बेडकर सर्वप्रथम इन कमियो को दूर करने पर ध्यान दिया उनका मानना था कि न्यायपूर्ण व्यवस्था न्यायपूर्ण विधान के बिना स्थापित नहीं हो सकती है। संविधान के द्वारा उन्हाने न्यायपूर्ण व्यवस्था की आधारशिला रखी जिसके तहत एक तो उन्हाने व्यक्ति की गरिमा की रक्षा के लिये आवश्यक उपबंध किये और दूसरे जिन वार्गों के सा सदियों से अनयाय हुआ उनकी नियोग्यताओ को दूर किया डाअम्बेडकर की अध्यक्षता में निम्रित लौकिक संविधान की कुछ मुख्य विशिष्टताएं निम्न हैं–

1. सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित– संविधान के मौलिक लक्ष्य के रूप मेंसामाजिक न्याय को इस आशय के साथ संविधान की प्रस्तावना में रेखांकित किया गया है कि वह समस्त नागरिको को सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय सुनिश्चित करेगा।

2. मानव व्यक्तित्व की गरिमा– अम्बेडकर का यह मानना था कि सामज धर्म और राज्य का केन्द्र विन्दु व्यक्ति है व्यक्ति इनका निर्माता है। यद्यपि वह अपने अस्तित्व व विकास के लिये इन पर बहुत अधिक निर्भर है। व्यक्ति और इनके बीच दो तरफ सम्बध सेडॉ

अम्बेडकर ने एक ऐसे लोकतांत्रिक समाज की रचना की जिसका लक्ष्य व्यक्ति है जिसकी मूलभूत इकाई व्यक्ति है वे इस बात के प्रबल पक्षधर थे कि सामाजिक ढांचे का निर्माण इस बात की ध्यन में रखकर किया जाना चाहिऐ कि यह व्यक्ति को स्वभाविक विकास के अवसर प्रदान करे उसकी स्वतंत्रता और अधिकारो की रक्षा करे और गरिमा को सुनिश्चित करें।

अनुसूचित जातियों को न्याय– डॉ अम्बेडकर 1947 का मनाना था कि स्वतंत्रता एवं समानता का उनके लिये कोई अर्थ नहीं है। जो जन्म के आधार पर निर्योग्यताओं से ग्रसित अधिकारो से वंचित दलित एवं तिरस्कृत रहें है। इसी प्रकार समाज की मुख्य धारा से अलग दूरराज के जंगलो में निवास करने वाली जनजातियां जो अशिक्षा अधविश्वास गरीबी और पिछडेपन का शिकार रही है और जिनके विकास के लिये कभी कोई सार्थक प्रयास नही हुए। निर्धनतो अज्ञान व पिछडेपन के कारण इन वर्गो के लोगों का इन अधिकारों का समुचित उपभोग करने में अन्य लोगो से पीछे रह जाना स्वामाविक है। अत इन वर्गों के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से संविधान में इनके लिये कतिमय विशेष प्रावधान किया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23 तथा 35 के माध्यम से असमानता भेदभाव अस्पृश्यता सम्पति व पेशे सम्बधी एकाधिकार शोषण बेगार तथा दलितो की धार्मिक निर्योग्यताओ का अन्त कर दिया गया। अतीत में स्त्री शुद्ध व अछुत जातियों के लोगो के लियें शिक्षा निषिद्व थी संविधान के अनुच्छेद 29 के तहत शिक्षा के द्वार सभी के लिये खुल गये अनुच्छेद 46 के माध्यम से यह निर्देशित किया गया कि राज्य अनुसूचित जातियो अनुसूचित जानजातियो व अन्य पिछडे वर्गों के लोगो की शैक्षिक उन्नति की ओर विशेष ध्यान देगा संविधान के अनुच्छेद 16 तथा 335 के प्रावधान के तहत केन्द्र व राज्य सेवाओ मेनियुक्ति के लिये अनुसूचित जातियों व जनजातियों के सदस्यों के लिये स्थान आरक्षित किये गये है इसी प्रकार अनुच्छेद 330 के तहत लोगसभा तथा अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विद्यान सभाओं में इनजातियों के लिये स्थान आरक्षित किये जाने का प्रावधान किया गया।

सामाजिक न्याय डॉ अम्बेडकर का सघर्ष– छात्र जीवन के परवर्ती काल के दौरान की अम्बेडकर को अपने जीवन का लक्ष्य बहुत कुछ स्पष्ट हो गया था उनका तात्कालीन लक्ष्य था दलितो का उद्वार जबकि तात्कालिक लक्ष्य था एक न्याय पूर्ण समाज की रचना दूसरे शब्दो मे सामाजिक न्याय पूर्ण समाज की रचना दूसरे शब्दो मे सामाजिक न्याय की स्थापना अम्बेडकर के जीवन का मुख्य लक्ष्य था अस्पृश्यता जनित विविध निर्योग्यताओ से ग्रसित दलित जातियो जिसमे महैर जाति भी सम्मिलित थी, जिसमें स्वयं अम्बेडकर पैदा हुए थें की दशा समाज में अन्याय व अत्याचार से सर्वाधिक पीडित थी इसलियें सामाजिक न्याय के प्रश्न पर डॉ अम्बेडकर ने इस वर्ग के हितों की अभिवृद्धि को संघर्ष का प्राथमिक मुद्रदा बनाया साथ ही नारी एवं अनुसूचित जानजतियो सहित अन्य पिछडे वर्गो व अल्पसंख्याओ को सामाजिक न्याय के प्रश्न पर डॉ अम्बेडकर ने इस वर्ग के हितों की अभिवृद्वि दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निमाई अम्बेडकर यह भली भांति जानते है कि यदि समाज का ढांचा न्याय पर आधारित नहीं है तो कमजोर व पिछडे वर्गों के हितों की रक्षा के लिये किये गये प्रयासो एवं संवैधानिक उपबन्धो का कोइ मूल्य नहीं होगा सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में डॉ अम्बेडकर के व्यक्तित्व एवं कार्यों के दो विशिष्ट पक्ष उल्लेखनीय है। अन्याय के विरूद्व विद्रोह एवे क्यातिकारी संघर्ष तथा सामाजिक न्याय कीस्थापना के लिये

रचनात्मक प्रयास उनके जीवन के उपयुक्त दोनो पक्षा का यहां उल्लेख करना असंगत नहीं होगा।

अम्बेडकर की मान्यता थी कि खोये हुए अधिकार याचना से नहीं मिलते है। इसके लिये कठिन संघर्ष करना पड़ता है। उन्होने दलितो को अपने अधिकारो के लिये संघर्ष करने का आश्वान किया मिसाल के तौर पर दलितो को सार्वजनिक जलाशयों से पानी लेने की मनाही थी।

दलितों को सामाजिक व राजनैतिक अधिकार प्राप्त कराने के उददेश्य से ब्रिटिश शासन काल से ही डॉ आम्बेडकर ने विभिन्न मंचो पर दलितो के पक्ष को प्रस्तुत किया साउथ बारो समिति के न्यायपूर्ण हितों की वकालत की।

डॉ आम्बेडकर के अस्पृश्यता पर विचार–अस्पृश्यता की उत्पति कैसे और किस कारण से हुई इस विषय परअनेक मत पाए जाते हैं। डॉ आम्बेडकर ने अपनी पुस्तक कृषि अछूत कौन और मे अछूतपन पर दो प्रश्नों का उल्लेख किया हैं पहैला क्या संसार में केवल हिन्दू ही जो अछूतपन मानते है या अहिन्दुओ में भी अछुतपन की परम्परा रही है दूसरा क्या आरम्भिक और प्राचीन मानव अछुतपन से परिचित था यदि तो वह अछुतपन किसे कहैता था इन प्रश्नो के अध्ययन में अम्बेडकर ने रोम मिश्र यूनान और अफ्रीकी के विभिन्न जनजातियां समाजो के पवित्रता और उपविकता की अवधाराण ओ से परिचित था उसका विश्वास था कि कुछ विशेष घटनाओ के घटने से कुछ विशेष वस्तुओ को छुने से तथा कुछ विशेष व्यक्तियां को स्पर्श से मनुष्य अपवित्र हो जाते हैं।

आम्बेडकर और सामाजिक उत्थान की राजनीति– अम्बेडकर हिन्दू समाज में आमूल परिवर्तन लाना चाहैतें थे इसलिये उन्होने सर्वप्रथम अनुसूचित जातियो के नागरिक उत्थान पर बल दिया अनुसूचित जातियोकीसमस्याओ का उजागर करने और उन्हें गतिशील बनाने के लिये डॉ अम्बेडकर ने सन 1920 में एक मराठी पत्रिका मूकनायक का प्रकाशन किया इसी दौरान कोल्हादूर और नागपूर मे अनुसूचित जातियो को सम्बोधित करके तत्कालीन राजनीतिक समस्याओं से उन्है परिचित कराया मार्च1924 में डॉ अम्बेडकर ने बहिकृत हितकारिणी सभा की पुन स्थापना करके दलितो के लिये शिक्षा संस्कृति का प्रसार छात्रावासो पुस्तकालयो और सामाजिक अध्ययन केन्दो की स्थापना पर बल दिया सबसे बडा चुनौती कावर्ष डॉ अम्बेडकर लिये 1927 का रहा जब उन्होने महाल चोबदार तालाब मे दलितो को जल पिलाने के लिये सत्याग्रह किया इसी दौरान दलितो को अधिकारों के लिये एक अन्य पत्रिका बहिकृत भारत का प्रकाशन किया 3 नवम्बर 1927 को अमरावती के आम्बादेवी मंदिर के प्रवेश के सम्मेलन मे प्रथक मंदिरो का कडा विरोध किया और वनमान मंदिरो मेही दलितो के प्रवेश पर बल दिया 25 दिसम्बर 1927 को महाड के दलित सम्मेलन मे उन्होने कहा कि अस्पृश्यता निवारण तथा अन्तर्जातीय भोजों से दलितो के दुखों का अन्त नहीं होगा।

हैरोल्ड जोसेक लॉस्की– वीसवी सदी के प्रमुख ब्रिटिश राजनीतिक चिन्तक लॉस्की ने आधुनिक राजनीतिक चिन्तन पर गहरा प्रभाव डाला है। राजनीति विज्ञान के विश्व प्रसिद्व प्रभावसाली व्याख्यादाता तथा प्रख्याता राजनीतिक विचारक लॉस्की का जन्म मैनचेस्टर मे हैंगरी से आकर बसने वाले एक कतटर यहैदी और समृद्व व्यापारी नैथन लॉस्की के परिवार मे हुआ था लॉस्की एक आदर्श शिक्षक था और उसे अपने छात्रो से अगाध श्रद्धा और

अमित सम्मान प्राप्त हुआ इसके अतिरिक्तउसने एक प्रभावशाली व्याख्या दाता और प्रख्यातराजनीतिक विचारक के रूप में भी ख्याति प्राप्त की वह ब्रिटिश गजदूर दल की कार्यकारणी समिति का वर्षो तक सदस्य रहा और 1946 ई० मे जब मजदूर दल का सत्तारूढ़ हुआ तो वह इसका अध्यक्ष था।

लॉस्की के राजनीतिक विचार–लॉस्की के गण की प्रारंभिक पंक्तियां है। राज्य विषयक किसी भी सिद्धांत का अगर भुगीन सन्दर्ग गेन देखा जाए तो वह समझ में नहीं आ सकता आदमी जो कुछ राज्य के बारे में सोचता है वह सब उसको उस अनुभव का निष्कर्ष होता है जिसेस होकर उसे गुजरना पड़ता है और लॉस्की की समस्त विचारधारा जीवन मरोमय समय पर प्राप्त अनुभवो का निचोड़ की है। लॉस्की ने अपना राजनीतिक चिन्तन 1917 ई के लगभग एक बहुतवादी और श्रेणी सामजवादी विचारक के रूप में प्रारम्भ किया उसके प्रारम्भिक चिन्तन मे व्यक्तिवाद का कुछ प्रभाव भी स्पष्टता देखा जा सकता है लेकिन 1925 ई के बाद उस पर काल मार्क्स के दर्शन का प्रभाव बढ़ने लगा और 1931 इ से 1938 के काल में उसकी जो रचनाएं इंग्लैण्ड मे संसदीय शासन आदि में माक्सवाद का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है।

लॉस्की की अधिकार विषयक धारणा– लॉस्की अपनी अधिकार विषयक धारण का प्रतिपादन इस वाक्य के साथ करता है कि एक राज्य की पहचान इन धकारो से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है। इसका तात्पर्य यह है कि एक राज्य अपने नागरिको को जितने अधिकार प्रदान करता है उतना ही व उच्च स्तर का होता है। लास्की के विचार दर्शन मेअधिकारों को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है उसके अनुसार लोक कल्याण की व्यापक से अधिकार अनिवार्य है राज्य अधिकारो का संरक्षक है अधिकार का हनन याविरोध करके वह आत्मधात की कर सकता है। लॉस्की अधिकारों को राज्य को व्यक्ति के शुभ जीवन की व्यवस्था करनी चाहिए इस प्रकार लास्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां है जिनके अभाव में सामानयता कोइ भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता अधिकारो का अर्थ उस अर्थ शक्ति से नहीं लिया जना चाहिए जिसेस इच्छा की सन्तुष्टि होती है। पर विचार जहां तक इच्छा का सम्बंध है व्यक्ति मे चोरी करने अथवा अन्य का सम्बंध हैं की हत्या करने की इच्छा भी उत्पन्न हो सकती है लेकिन फिर भी सभ्य समाज द्वारा इन इच्छाओ मान्यताएं नहीं दी जा सकती है क्योकि ये इच्छायें समाज के जीवन को ही दूभर कर देगी।

यद्यपि लॉस्फी का विचार हैकि अधिकारों की कोई स्थायी और अपरिवर्तन शील सूची तैयार नहीं की जा सकती फिर भी वह अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मेंऐसे अधिकारों का उल्लेख करता है जो उसके अनुसार व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्कता है प्रमुख अधिकार ये बताए गए है भाषण देने और सरकार की आलोचना करने का अधिकार शातिपूर्ण प्रदर्शन करने और सघ बनाने का अधिकार सम्पत्ति का अधिकार शिक्षा का अधिकार जीविका कमाने के अधिकार न्यायिक संरक्षको का अधिकार अधिकार की रक्षा के सम्बंध मेंलॉस्की लिखित अधिकारों यासंवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था को अधिक महत्व नहीं देते उनके शब्दो मे अधिकार केवल या अधिकांश में लिखित अभिलेख पर आश्रित नहीं होते कागज के फटे टुटे टुकड़ो से निस्संदेह उनकी अतिकाम्यता बढ़ जाती है। परन्तु इस कारण उनकी सिद्वि निश्चित नहीं हो जाती लॉस्की अनुसार अधिकारो की सुरक्षा स्वभाव और परम्परा औपचारिकाता ओ की अपेक्षा स्वभाव और परम्परा का ही विषय अधिक है।

स्वतंत्रता और समानता– लॉस्की की स्वतंत्रता विषयक धारणा का प्रथम तत्व यह है कि व्यक्ति के जीवन पर अनुचित प्रतिबन्धो का अभाव होना चाहिए स्वयं लॉस्की के ही शब्दो मेंस्वतंत्रता से मरा तात्पर्य यह है कि उन सामाजिक परिस्थितियों के अस्तित्व परप्रतिबन्ध न हो जो आधुनिक सम्यता में मनुष्य के सुख के लिये नितान्त आवश्यक है लॉस्की इस बात को के स्वीकार करते है कि व्यक्तियों के जीवन को मर्यादित करने के लिये नियमो और कानूनो का अस्तित्व आवश्यक है लेकिन उनका विचार है कि जो नियम बनाएं जाएं उनमे ऐसे अनुभव समावेश हो जिसे में समझ सकू जिस पर मेचल प्रकार लॉस्की स्वतंत्रता के लिये सभी प्रतिबन्धो का तो नहीं लेकिन अनुचित और अनावश्यकता प्रतिबन्धो का निषेध अवश्य ही आवश्क मानते है लॉस्की स्वतंत्रता के तीन रूपो की ओर संकेत किया है। जो इस प्रकार है–मुक्तिगत स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक स्वतंत्रता।

लॉस्की के अनुसार स्वतंत्रता की रक्षा के लिये कुछ शर्ते आवश्यक है जो इस प्रकार है प्रथम समाज मे कोई विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग न हो इससे उसका तापय यह है कि असमानताओ का अन्त हो जाना चाहिए द्वितीय कुछ व्यक्तियो के अधिकार अन्य व्यक्तियो की इच्छा पर निम्रर न हो सामान्य नियम शासको पर सबकी समान पहुँच हो अर्थात राजनीति शाक्ति पर किसी वर्ग विशेष का एकाधिकार न हो चतुर्थ राज्य पक्षपात सहित आचारण करे पंचम शिक्षा और प्रेस की स्वतंत्रता की समुचित व्यवस्था हो अन्तिम व्यक्तियो मे स्वतंत्रता की रक्षा के लिये आवश्यक साह्रैस की प्रवृत्ति हा लॉस्की समानता के विचार को स्वतंत्रता के साथ जुड़ा मानता है उसके अनुसार समानता के बिना स्वतंत्रता एकांगी और अपूर्ण है।

महात्मा गांधी– महात्मागांधी अपने युग के महान नेता थें उन्होने सत्य अहिसा सत्याग्रहै के साधनो से 1920 से 1947 तक भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया सत्य अहिसा जैसे सिद्वांत गांधी द्वारा प्रयुक्त ऐसे सिद्वांत थे जो उन्हे महात्मावादी स्वरूप प्रदान करने मे सहैयक रहे है। अपनी उदभव आध्यसत्मिक शक्ति से मानव के शाश्वत मूल्यों को उदभाषित करने वाले विश्व इतिहास के महान तथा अमर नायक महात्मा गांधी आजीवन सत्य अहिसा और प्रेमका पथ प्रदर्शित करतें रहें।

गांधी जी के जीवन में प्रभाव डालने वाले तत्व– गांधी जी के दर्शन पर विचार करने से पूर्व हमारे लिये यह जानना उपयुक्त होगा कि उनकी विचारधारा को किन विचारा व्यक्तियो और तत्वो ने प्रभावित किया।

प्राचीन भारतीय धर्म ग्रन्थ– गांधी जी भारतीय संस्कृति के प्रति श्रद्धा व प्रेम रखते थें पाताजली के योग सूत्र का उन्होने 1903 में के जोहैन्सवर्ग्र जेल में थें रामायण महाभारत जैसे लोक प्रिय महाकव्यो और गीता जैसे धार्मिक ग्रन्थ पर उनकी अटूट श्रद्वा थी गांधी जी के शब्दो मे जब शंकाएं मुझें घेर लेती है जब निराशा मेरी ओर सांकृतिक है और क्षितियां के प्रकाश की एक भी किरण दिखाई नहीं देती तब में भगवत गीता का आश्रय लेता है और अपने आपको संतोश देने के लिये एक श्लोक पढ़ लेता है और मे घोर चिन्ताओ क बीच मुस्कराने लगता है मेरा जीवन बाहा दुर्घटनाओ से परिपूर्ण है और यदि उन्होने मुझे पर किसी प्रकार का चिन्है नहीं छोड़ा है। तो यह गीता की शिक्षओं को करण है।

विविध विचारक– गांधी जी के विचारो पर अनेक विचारको का भी प्रभाव पडा इसमे रस्किन और टाल्सटाय मुख्य है। रस्किन की प्रमुख रचना अन्टु दी लास्ट तो महात्मा गाधी

की सर्वोदयी विचार धारा की आधार शिला ही बनी राजनीति के प्रति महात्मागांधी का आध्यात्मिक दृश्टिकोण रस्किन की ही देन है अत यह कहना गलत न होगा कि रस्किन गांधी जी के न होगा किआध्यत्मिक पूर्वज थें इसी तरह टान्लसहारका प्रभाव भी गाधी जी के दर्शन पर पड़ा ठाल्सटास अहिंसावादी थें और उनका पेम सहानुभुति ओर अहिंसा से परिपूण्र टान्ल्सवाय के नैतिक दर्शन का प्रभाव गाधी जी पर बहुत अधिक पडा।

गांधी जी के सामाजिक विचार– गांधी जी के विचार में एक अच्छा समाज प्रेम सदभाव धम्रिक साम्प्रदिक समन्वय और समानता पर आधारित होना चाहिए यदि व्यक्ति के लक्ष्य और साधन पवित्रहै तो वह अच्छे समाज की स्थापना कर सकता है उनकी सद एवं सात्विक समाज निर्माण की सभ्यता के खारवलेपन से क्षुब्ध बेकर एक ऐसे आदर्श समाज कीस्थापना की इच्छा की जिसमे द्वेष ईष्या हिंसा शोषण बल प्रयोग अदि दुर्ग्रण न हो गांधी जी के सामाजिक विचारो को निम्न विदुओ के माध्यम से समझा जा सकता है।

वर्ण व्यवस्था– प्राचीन भारत का सामाजिक व आर्थिक ढांचा वर्ण व्यवस्था पर आधारित था गांधी जी इस व्यवस्था का सर्मथन वैज्ञानिक आधार पर करते है वे इसे सामाजिक संरचना क लिये जरूरी मानते थें वर्ण व्यवस्था के अनुसार समाज का चार वणो मे बॉटा गया ब्राम्हण क्षत्रिय वैश्य और शुद्ध जिन लोगो की प्रकृति तमे विद्यालय सन था में थी वे बाम्हैण जिसका क्षत्रिय जिनकी रूचि उद्योग धन्धो मे थी वे शुद्ध कहे जाते थे कुछ सुधारको का मानना था कि वे वर्ग व्यवस्था जन्मगत न होकर कार्यगत होना चाहिए।

अस्पृश्यता का अन्त– सामाजिक जीवन मे वर्ण व्यवस्था के समर्थक होते हैये गांधी जी ने उच नीच की भावाना का विरोध किया और कहा कि अस्पृश्यता हिन्दू समाज मे कोढ की भाति है उन्होने निम्न जाति के हैरिजन अर्थात इश्वर के प्राणी की संज्ञा दी उन्हें उच्च वर्ग के समाने लाने का प्रयत्न किया उन्होने अस्पृश्यता को भारतीय किया उन्होने अस्पृश्यता को भारतीय किया समाज पर घोर कलक माना और इस कलंक को मिटाने के लिये आन्दोलन चलाया तथा हैरिजन सेवक संघ की स्थापना की हैरिजनो के मंदिरों में भाग दिलवाने के लिये वे सत प्रयत्नशील रहे।

सम्प्रदायिक एकता– गांधी जी सामाजिक एकता राट की अखण्डता को कायम रखने के लिये विभिन्न धर्मो और सम्प्रदायो मे सामाजस्य बनाए रखने के पक्षधर थें उन्होने साम्प्रदायिक एकता का बनाएं रखने के लिये अपने समस्त देश की व्यापक रूप से यात्रा की।

पुरूष नारी उत्थान के पक्षघर– 19वीं सदी में स्त्रियों में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों, रूढियों, परम्पराओं, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, अशिक्षा आदि ने गांधी जी को द्रवित कर दिया इसलिए उन्होने समाज सुधार के अंतर्गत स्त्रोयो की स्थिति में सुधार लाना भी अपना लक्ष्य रखा गांधी जी महिलाओ की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्वतंता का पक्ष लेते थे गाधी जी ने बाल विवाह को अनैतिक और विधवा विवाह को नैतिक कहा। उन्हे स्त्री पुरुष की समानता मे विश्वास था समाज की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओ की उन्नति के लिये तथा उन्हें सामाजिक और समानता दिलाने के लियं संघर्ष करते रहे गांधी जी स्त्री शिक्षा के समर्शक थे वे कहते थे कि में ऐसी माता पिताओ की अपराध तुल्य उपेक्षाओं की निदा करता है जो अपनी पुत्रियों को हैर तरफ से अज्ञानी और अनपढ रखते है।

गांधी जी की आर्थिक विचारधारा के प्रमुख विन्दु

श्रम से सम्बधित विचार– गांधी जी के दर्शन मे श्रम का सम्मान उनके जीवन के आधार भूत तत्वो मे से एक है वह श्रम को पूजा समझते थे शारीरिक श्रम उनके कर्तव्यो मेसे ऐ प्रमुख कर्तव्य था उनका मानना थाकि श्रम एक प्राकृतिक नियम है और प्रत्यक व्यक्ति को श्रम करके ही अपनी जीविका का अर्जन करना चाहिए वह कहैते थें कि जो श्रम प्राकृतिक नियम का उलंघन करता है। वह स्वयं कठिनाइयो को आमंत्रित करता हैं।

जनसंख्या से सम्बधित विचार– जनसंख्या नियंत्रण के लिये गांधी जी निरोधक उपायो का पक्ष नहीं चाहते थें वह चाहते थें कि ब्राम्हैचार्य और संमय द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हो उत्पादन से हैम उस समय व्यवस्था तथा बेहतर उत्पादन से हैम उस समय की जनसंख्या से दूगनी जनसंख्या का भरण पोषण कर सकते थे।

लघु उद्योग और कुटीर उधोग संबधी विचार– गांधी जी औद्योगिक करण और यंत्रीकरण का विरोध करते थे पर वे लघु उधागो और कुटीर उधोगो के पक्षपती थे उनका माननो था कि भारत जैसे विकासशील देश मे कुटीर उद्योग ओर लधु उधोगो से बेरोजगारी और गरीबी दूर की जा सकती है हैरिजन मे गांधी जी लिखते है कि यदि बढा देतो क्या यह एक बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कहलाताएगा किन्तु मे समझता है कि आपके बडे पैमान का उत्पादन टैक्नीकल शब्द है जिसका अर्थ थोडे से थोडे व्यक्तियो से अत्याधिक जटिल मशीनो द्वाराउत्पादन प्राप्त करना है मैने इसलिए कहा कि यह गलत है मेरी मशीन बहुत ही सीधी सादी होनी चाहिए जिसको मैं लाखो लोक के धरो मे रख सकता हूं।

महात्मा गांधी के अस्पृश्यता पर विचार रूगांधी जी कहतें है। एक स्वस्थ प्रकार की अस्पृश्यता सभी जैसी अस्पृश्यता मानी जाती है। उसका हिन्दू शास्त्रों में कोई प्रमाण नहीं है। गांधी जी की मे वनमान अस्पृश्यता की उत्पत्ति हिन्दू धर्म के क्रमिक विकास की उस अवस्था मे आई जब गाय की रक्षा करना धर्म का एक अंग बन गया को गौ माता माना जाने लगा उस समय कुछ लोग ऐसे थे जो अधिक सभ्य नहीं थे अपनी जति वर्ण और व्यवस्था है कि लोगो ने यहां के मूल निवासियां को दास बनाया तथा उन्हें अपनी पूजा पद्वति से भी दूर रखा लोगो को छूना ही अनुचित की उत्पत्ति का एक अन्य कारण व्यासायिक दष्टि कोण भी माना जाता है। गांधी जी की दृष्टिकोण में सामाजिक उत्थान के उपायरू– गांधी जी भी डॉ अम्बेडकर की तरह यह चाहते थे कि सामाजिक उत्थान का कार्य निचले स्तर से प्रारम्भ होना चाहिए क्योकि उनकी यह मान्यता थी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो निचले स्तार की निराशा उनको संगठित केरगी और वह वर्ग सवर्णे से आजीवन शत्रुता रखेगा इसलिए गांधी जी की में अन्त्योदय के रास्ते से ही सर्वोदय का उत्थान सम्भव था गांधी जी दूर रखने वाले व्यावहारिक व्यक्ति थे।

सामाजिक सुधार के क्षेत्र में महात्मा गांधी का योगदान– महात्मा गाधी भारतीय संस्कृति और सभ्यता की देन थें भारत में सन्त परम्परा बहुत पुरानी है। महात्मा गांधी भी उसी परम्परा की एक लडी थें समाय समाय पर भारत में जनता का मार्गदर्शन किया गांधी जी भी तत्कालीन परिस्थिति की उपज थें उनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रमुख श्रीमदभगवदगीता का पड़ा क्योकि गीता निष्काम कर्म की शिक्षा देती है। गांधी जी के सामाजिक तथा आर्थिक विचारो व कार्यक्रमों का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षण के अंतर्गत किया जा सकता है।

सत्याग्रह– अपने पत्र यंग इंडिया में महात्मा गांधी ने लिखा है। आग्रह है यह सत्य पर आग्रहै दूसरों की कष्ट सहन करके हो सकता है यह सत्य के लिये तपस्या है महात्मागांधी कहैतें है कि मैने इस प्रेम शक्ति या आत्म शाक्ति भी कहा है सत्याग्रहै प्रयोग की प्रारम्भिक अवस्थाओ मे मैने यह अनुभव किया कि सत्य माग्र का अनुसरण विरोधी पर हिसा प्रयोग की स्वीकृति नहीं देता परन्तु विरोधी को गलत मार्ग से छुडकार ठीक मार्ग पर लाने की स्वीकृति देता है। महात्मा गांधी ने लिखा है। सत्याग्रह का सिद्वांत एक विकास का परिणम है सत्याग्रहै और प्रतिरोध मे इतना ही अन्तर है।

अहिंसा– सत्य व अहिसां गांधी जी द्वारा प्रदत्त महान देन है गांधी जी के अनुसार मानव स्वभावत अहिसा प्रिय है ओर वह हिंसावान केवल परिस्थितिकारण होता है। उनका मत था कि अहिंसा के नियम पर चलकर सुव्यवस्थिति समाज व सफल मानव जीवन संभव हा सकता है। ग्रांधी जी के अनुसार अहिसो का अर्थ केवल हैत्या न करना ही नहीं वरन अहिसा से उनका तात्पर्य अन्य किसी प्रकार से भी विरोधी को कुछ न यह मानते थे कि अहिसा पर आधारित मानव समाज की आदर्श समाज हो सकता है।

शिक्षा– महात्मा गांधी इस तथ्य से पूर्णतया परिचित थें कि प्रजातंत्र का सफलता नागरिको की शिक्षा पर निर्भय है। अतएव इस प्रकार की शिक्षा देना चाहते थे, जो सार्वजनहितोंयं हो वे अन्होने वनमान शिक्षा के दोसो को ठीक से समझा ओर दूर करने के लिये बेसिक शिक्षा प्रणाली कीयोजना दी।

आदर्श समाज की स्थापना– गांधी जी एक वर्गविहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना पर बल देते थें वे सर्वोदय मे विश्वास करतें थें वे राज्य को साध्य नहीं अपितु जनता के अधिक से अधिक कल्याण के लिये एक साधन मात्र मानते थें वे सत्ता का विकेद्री कारण चाहितें थे वे पंचायतो को अधिक से अधिक अधिकार दिए जाने के पक्ष में थे गांधी हैये लिखा था स्वराज्य से मेरा अभिप्राय भारत की उस सरकार से है। जा स्त्री पुरूषआदिवासी किसी के भेद किए विना ऐसी बालिग जनता के बहुमत से बनी हो जो राज्य को अपना श्रम देते हो और जिन्होने मतदात सूची में स्वयं अपना नाम दर्ज करा लिया हो।

हरिजनों के द्वार– गांधी जी कोरे राजनीतिक या विचारक ही नहीं वरन एक महान समाज सुधारक भी थे भेदभावो के विरूद्व थे उन्हें निम्न वर्ग के लोगो के लिए अछुत शब्द का व्यवहार करना भी सहैन नहीं था इसी कारण उन्होने उनके लिए हैरिजन किया था कि उन्होने अस्पृश्यता का विरोध करते हुए कहा था कि अस्पृश्यता कोमू लमे धर्म शब्द का प्रयोग नहीं दुर्बल को आपमानित करने की हिंसाव्रृति है वह मतो पूव्रजन्म के कर्मो का फल है। इश्वरी है। बल्कि यह स्वयं हिन्दूकत है। अत अस्पृश्यता के भावना का समूल नाश राष्टीय समस्याओं के शश्वत निदान के लिए अत्यन्त आवश्यक है।

स्त्रियों की दशा सुधारने पर बल– गांधी जी ने भारतीय नगारियो की दशा सुधारने पर बल दिया उन्हाने बाल विवाहै पर्दा। प्रथा दहेज प्रथा आदि का विरोध किया और स्त्री शिक्षा पर बल दिया गांधी जी के अनुसार स्त्री को अबला कहना उसकी मानहानि करना है।

शराब बन्दी– गांधीजी की मान्यता थी कि निर्धन भारतीयो की जिन्दगरी सुधारने के लिये शराब बन्दी लाभदायक रहेगी अतं उन्होने शराब बन्दी को अपने आन्दोलन का एक अभिन्न अंग बनाया उनकी यह मान्यता था कि यदि व्यक्ति में मध्यामन की आदत पड जाती है तो उससे उसके शरीर ओर उसकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय हो जाती है।

हिन्दू मुस्लिम एकता पर बल– महात्मा गांधी एक रचनात्मक समाज सुधारक थें वे देश की प्रगति के लिये हिन्दू मुस्लिम एकता को अनिवार्य समझतें थें व हिन्दुओं और मुसलमानो को भारत माता की एकता पर बल देते रहें उन्हाने असहयोग आन्दोलन के समय खिलाफत आन्दोलन का भी पूर्ण समर्थन किया।

गांधी जी का आदर्श समाज– गाधी जी के राजनीतिक विचारो के अन्तग्रत ही गांधी जी द्वारा चित्रित आदर्श राज्य जिसे वे राज्य कहतें थें की रूप रेंखा दे देना उचित होगा गांधी जी के रामराज्य शब्द का प्रयोग भावनावश अलंकारिक अर्थ में किया गया है । शाब्दिक अर्थ में नहीं उनके राजराज्य का अर्थ है– आदर्श व्यवस्था।

आदर्श राज्य की विशेषताएं

1 अहिंसात्मक समाज– गांधी जी अपने आदर्श राज्य को अहिसात्मक समाज के नाम से पुकारतें है। गांधी जी के इस आदर्श समाज में राज्य संस्था का अस्तित्व रहेगाओर पुलिस जेल सेना तथा न्यायलय आदि शसन की बाध्यकारी सत्ताए भी होगी फिर भी यह इस सं अहिसक समाज है कि इसमें अन सत्ताओ का प्रयोग जनता को आंतरकित और उप्पीडन करने के लिए नहीं वरन उसकी सेवा करने के लिए किया जाएगा।

शासन का रूप लोकतांत्रिक– गांधी जी के आदश समाज में शासन का रूप पूर्णतया लोकतान्त्रिक होगा जनता को न केवल मत देने का अधिकार प्राप्त होगा वरन जनता रूप से शासन के संचालन भी भागलेगी

विकेन्द्रीकृत सत्ता– गांधी जी के आदश राज्य का एक प्रमुख लक्षण विकेन्द्रीकृत सत्ता है गांधी जी सम्पूर्ण भारत में प्राचीन ढंग से स्वतंत्र और स्वालवत्वी ग्राम समाजो की स्थापना करना चाहतें थे जिसका आधार ग्राम पंचायतों होगी विकन्द्रीकरण को और अधिक सफल बनाने के लिये गांधी जी कासुझाव था कि ग्राम के उपर जो भी प्रशासनिक इकाइयां हो पदिशिक सरकार केन्द्र सरकार आदि के विधान मण्डलो का चुनाव अप्रत्यक्ष ग्राम पंचायतें ही बनी रहे।

वर्ग संघर्ष–कार्लमार्क्स की विचारधारा में वर्ग संघर्ष की धारण को विशेष महत्व प्रदान किया गया है। इस सम्बन्ध मे साम्यवादी घोषणा पत्र में कहा गया है कि अब तक के समस्त सामाजिक जीवन का इतिहास वर्ग संघर्ष का ही इतिहास है। व्यक्ति के उस सामूह को कहैतें है जो उत्पादन की किसी विशेष प्रक्रिया से सम्बंधित हा और जिनके साधारण हित एक हो मार्क्स का वग्र का सिद्धांत समाज मे उत्पादन तथा किरण पर आधारित दो वर्गों को मानकार चलता है, जो अपने विरोधी हितों के कारण संघसरत रहतें है। वर्गों के स्वरूपमें भले की अन्तर आता रहें किन्तु समाज में एक वर्ग पादन के साधनो भूमि और पूजी पर अधिकार रखता है। इसे आश्रित रहने वाला तथा घोर परिश्रम किए हुए दूसरे वर्ग

के शोशण से लाभ उटाया है। तथा परिश्रम जीवी वर्ग का शोधण नहींजुटा पाता ओर निरन्तर होता रहता है।

वर्ण संघर्ष और सामाजिक प्रगति– मार्क्स का विचार है कि वर्ग संघर्ष सामाजिक प्रगति का आधार है यदि समाज में वर्ग संघर्ष नहीं होगा तो समाज की प्रगति नहीं होगी मार्क्स ने स्वीकार किया है कि समाज एक परिवतर्नशील व्यवस्था है इस व्यवस्था में वर्गों का अस्तित्व अनिवार्य है। सामाजिक परिवर्तन के साथ ही साथ वग्र बनतें और विगडतें रहतें है। मार्क्स का विचार है कि द्वन्द्वत्मक सिद्धांत के द्वारा जो वर्ग उत्पन्न होजातें है। उनके को कारण उनका विाकस होता रहता है। जब समाज मे एक मुख्य वर्ग उत्पन्न हो जाता है तो सम्पूर्ण सत्ता उसमें केन्द्रित हो जाती है। परिणामस्वरूप यह वर्ग निरन्तर ऐसे कामा करता है। जिससे इसकी प्रगति होती है। काम करता है प्रगति के कमार्ग तक बाधएं उत्पन्न होती है। ऐसे करने से यह वर्ग समाज मे विद्यमान दूसरे वर्ग का हित नहीं कर सकता है जब धीरे उकमें चेतना विकासित हो जाती है तो उपेक्षित वर्ग भी प्रबल होने लगतें है औरधीरे धीरे इनमें भी शक्ति केन्द्रीकरण होने लगता है।

वर्ग संघर्ष के उददेश्य– मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग का सिद्वांत उददेश्य हीन नहीं है। मार्क्स ने इस सिद्वांत का प्रतिपादित महान उददेश्यो की पूति के लिये किया था उसके ये उददेश्य निम्न दो भागो मे विभाजित किये जातें है–पहला वर्गविहीन समाज कि स्थापना और दूसार राजविहीन समाज का निभर्य।

मार्क्स के अनुसार वर्ग और राज्य व्यक्ति की प्रगति में सबसे बडी बाधा है। किसी भी समाज में जब तक राज्यऔर बर्गो का अस्तिव्व रहेगा वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकेगा तथादिवहां रहने वाली जनता को कभी भी न्याय और संरक्षण नहीं मिलेगा मार्क्स के अनुसार जब किसी भी समाज में एक वर्ग का जन्म होता है। तो उसी समाज मे उस वर्ग का प्रतिद्वन्दी दूसारा वर्ग भी ज्नम लेता है। इन दोनो वर्गों मे स्वाथ भेद होता है और इस स्वार्थ भेद के परिणामस्वरूप संघर्ष अनवार्य हो जाता है किन्तु यह संघर्ष अधिक दिनो तेक स्थायी यह समन्वय कुछ समय बाद स्वयं मेंएक वर्ग का को जन्म देकर संघर्ष की प्रक्रिया को आगे बढाता है।

ईकाई–2

मानवाधिकार की प्रकृति एवं अर्थ

मानवाधिकार शब्द को पूर्णतः समझने से पहले हमें अधिकार शब्द को समझाना होगा अधिकार शब्द को परिभाषित करते हैं। हैराल्ड लास्की ने कहा है कि अधिकार मानवाधिकार मानवजीवन की ऐसी परिस्थितियां है, जिनके बिना सामान्यता कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता अत मानवाधिकार के बारे मे यह कहैना तर्कसंगत होगा कि ऐसा अधिकार जिनके बिना मानव अपने व्यक्तिगत के पूर्ण विकास के बारे में सोचभी नहीं सकता जो कि मानव मे मानव होने के फलस्वरूप अन्तनिहित है। मानवधिकार जिनके विना मानव अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास को बारे मे सोच भी नहीं सकता जोकि मानव में मानव होने के फलस्वरूप अन्तनिहित है। मानवधिकार वे अधिकार है जो एक मानव होने के नातें निश्चित रूप से मिलने चाहिए। मानवधिकार शब्द का प्रयोग इसकी सार्व भौम घोषण होने के साथ ही 1948 मे किया गया जो मूलत अठारहवी शताब्दी के मानव का अधिकार को पुन प्रवर्तन कर बनाया गया इससे पूर्व परम्परागत रूप से मानवधिकार को अहस्तान्तरणीय अधिकार अन्य को न परिवर्तित अधिकार कहा जाता है। मानवाधिकार के अर्थ और व्यख्या को ध्यान में रखते हैये इसके दो दृष्टिकोण स्पष्ट होते है।

1 सैद्धान्तिक या दार्शनिक सिद्वांत से संबन्धित दृष्टि

2 उपयोगितावादी या व्यवहार सैद्धान्तिक दृष्टि

सैद्धान्तिक या दार्शनिक सिद्वांत से संबन्धित दृष्टि– इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत विभिन्न दार्शनिको द्वारा सिद्धांत रूप में मानवाधिकार की व्याख्या की गई है। ये सिद्वांत पांच हैं–

- प्राकृतिक अधिकार सिद्वांत
- विधिजन्य अधिकार सिद्वांत
- अधिकार का सामाजिक कल्याण सिद्वांत
- अधिकार का आदर्शवादी सिद्वांत एवं
- अधिकार का ऐतिहासिक सिद्वांत

ये सभी सिद्वांत मूल रूप मानवधिकार के अर्थ और व्याख्या को स्पष्ट करतें है भले ही इस दृष्टि करते हैं। भले ही इस दृष्टिकोण में सिद्वांतो का पहलू प्रकृति प्रदत्त अधिकार हो या कानून जन्मं

1. प्राकृतिक अधिकार सिद्धांत– इस सिद्वांत में मानवाधिकार की संकल्पना व्यापक एंव अन्तर्निठात्मक स्थिति से जुडी हुई है। प्रकृतिक विधि के सिद्धांत को सार्वधिक प्रोत्साहन 17वीं सदी में प्राप्त हुआ जॉन लॉक के अनुभववाद आमस टॅब्स के भौतिकवाद स्पिनोज के विचारों ने व्यापक रूप से इस सिद्वां तमे आस्था प्रकटकी जीवन जीने का अधिकार सम्पति का अधिकार है। जो स्वत प्राप्त होते है। जैसे ही सामाजिक समझोते के तहत

मानवनेसिविल समाज में प्रवेश कियातो उस दौरान राज्य के पक्ष मे मानव ने उन अधिकारों सिद्धांत के सन्दर्भ में एलेन पैजेल्स के विचारो को उददधत करना बेहैतार होगा व्यक्ति के पास अधिकार है समाज पर या समाज के विरूद्ध दाबा है। कि अन्तरस्थ है। इस परिभाषासे यह है कि मानव क अन्तरास्थ है। इस परिभाषा से यह स्पट हो जाता है। कि मानव को मानव होने के नाते ही कुछ मानव अधिकार प्राप्त होते है। और राज्य के लिये इन्है लागू करना अपरिधर्य हो जाता है।

2 विधिजन्य अधिकार सिद्वांत– इस सिद्धांत के अन्तर्गत मानवधिकारो को विधिजन्य और कानून के दायरे में माना जाता है। कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार राज्य की संरचाना में माने जाते है। विधिजन्य अधिकार सिद्धांत को मानने वाले विचारक प्राकृतिक सिद्वांतो को अस्वीकार करते है। उनके अनुसार कोई भी अधिकार प्रकृति में अन्तर्निहित नहीं होतें और न ही वे पूर्ण होतें है। इस विचार धारा के प्रवद्रक जर्मी बेंन्थम प्राकृतिक सिद्धांतो को विवेकहीन मानते है उनके अनुसार प्राकृतिक सिद्वान्त पूर्णत निराधार सिद्वांत है।

3 अधिकार काक सामाजिक कल्याण सिद्वांत– सामाजिक कल्याण का सिद्धांत मानव समाज के कल्याण के पर आधारित सिद्धांत है। इसलियें इसे सामाजिक समीचीनता का सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्वांत में अस्था रखने वाले एवं इसके प्रणेता विचारको के अनुसार पारम्परिक विधिज्य एवं प्राकृतिक सभी सिद्वांत मूलत सामाजिक कल्याण की अवधारण पर आधारित होते है। मानवधिकारो के विकास मेसामाजिक अधिकरो एंवे अन्तराटीय प्रसंविदा में सांस्कृतिक आर्थिक एवं सामाजिक अधिकारो को समाहित किया गया है।

4 अधिकार का आदशवादी सिद्वांत– मानवधिकार के इस सिद्वां तमे आदर्शवादी तत्वो की प्रमुखता होती है। जो मानव के आन्तरिक विकास और उसकी पूर्ण अन्त शक्ति पर बल देते है। आदर्शवादी सिद्धांत को इसी के परिणाम स्वरूप व्यक्तिव्व का सिद्वांत भी कहा जाता है। स्वतंत्रता प्राण एंव सम्पत्ति का अधिकार आदर्शवादी या व्यक्तित्व के सिद्धांत की श्रेणी मे गिने जातें है। आदर्शवादी सिद्धांत के विचारक इस सिद्धांत को सर्वोच्च एंव आत्यन्तिक मानतें है। आदर्शवादी सिद्वांत मूल अधिकार से व्युत्पन्न होता है।

5 अधिकार का ऐतिहासिक सिद्वांत– मानवधिकारो के ऐतिहासिक सिद्धांत को ऐतिहासिक प्रक्रिया की रचना माना जाता है। इस सिद्धात के अनुसार लम्बे समय से चली आ रही परम्परा कालक्रम के आधार पर अधिकार का रूप धारण का लेती है।

प्रकाश वायु मार्ग आदि को ऐतिहासिक सिद्धांत के रूप में लिया जाता है। जैसे चिरकाल से जिस मार्ग पर चलने का मार्ग मान लेता है। और यह अधिकार हो जाता है। कि जिस पर चलने से उसे रोका नहीं जा सकता।

उपयोगितावादी या व्यवहैरवादी सैद्धान्तिक दृष्टिकोण– उपयोगितावादी दृष्टिकोण मानवाधिकारों का व्यावहारिक दृष्टिकोण वाला सिद्धांत है। इस सिद्धात के अनुसार मानवाधिकार की सम्मत सूची मेसे मानव अधिकार के जानने का प्रयास करना चाहिए उदाहरण के लिये भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की परिभाषा नहीं दी गइ है। अपितु इनकी एक सूची दी गई है। इसी सुची से हैमारा परिभाषात्मक मार्गदशन होना चाहिए ताकि अन्तनत्रताओ के सन्दर्भ में जानकारी प्राप्त कर सके इस विचार धारा से

प्रभावित विचारको का मानना है कि मानव अधिकार के अर्थ को बेहतर ढंग से समझानें के लिये सम्मत सुची से अर्थ निकालना एक उत्कृट तरीका हो सकता है। जैसे यदि हैमें संयुक्त राट चार्टर में वर्णित मानव अधिकार और मुल स्वतंत्रता का अथं जानना है तो मानव अधिकारी की सार्वभौम घोषण सिविल और राजनीतिक अधिकारो की अन्तराटीय प्रंसंविदा तथा आर्थिक प्रसंविदा में दी गई मानव अधिकारो सम्मत सूची को समझना चाहिए।

मानवधिकारों का वर्गीकरण– मानवधिकारो का कई रूपो मे वीकरण किया जा सकता है। वैसे अन्तर्राटीयस्तर पर मानवधिकारो को दो प्रमुख भागो नागकि ओर राजनैतिक अधिकार तथा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो में बाँटा जाता है।

1 नागरिक और राजनैतिक अधिकार– नागकिऔर राजनैतिक अधिकारो को परम्परागत आकार भी कहां जाता हैं इन्हें 17वीं और 18वीं सदी के सुधारात्मक सिद्वांतो की उपज माना जाता है। जो अंगेंजी अमेरिकन और फांसीसी कांतियों से सम्बन्धित है। नागरिक और राजनैतिक अधिकारो में प्रधान अधिकारो की सार्वभौम घोषण के अनुच्छेद से 21 में किया गया है।

2 आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार– सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारो को काय्रक्रमिक अधिकार भी कहा जाता है। इनकी उप्पति प्रधानतया समाजवादी परम्पराओ कान्तिकारी संघषों ओर लोग कल्याणकरी आंदोलन मे खोजी जा सकती है बड़े पैमाने पर ये पूजीवादी विकास क दुरूप्रयोग ओर दुरूग्रवहार की प्रति क्रियायेंहै और जिसका परिणाम कामगार ओर औषनिवेशिक लोगो क शोषण में हुआ आर्थिक और सामाजिक अधिकारो कीसूची मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 22 से 27 मे पायी जा सकती है।

3 नकारात्मक अधिकार– नागरिक और राजनैतिक अधिकारो कि नकारात्मक अधिकार भी कहा जाता है। नकारात्मक इन अर्थो मे कि इन अधिकारो कोसुनिश्चित करने के कि लिये राज्य की सकारात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं होती लेकिन नागरिक और राजनैतिकअधिकारों की श्रेणी मे कुछ ऐसे अधिकर है जिन्हें हम पूर्णतः नकारात्मक अधिकार है जिन्है हैम पूण्रताय नकारात्मक अधिकर है अधिकर की परिधि में नहीं ला सकते उन्हें सुनिश्चित करने कळेलि येराज्य की कुछ सकारात्मक कार्यवाही आवश्यकता है जैसे व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकर स्वतंत्र चुनाव का अधिकार की सुरक्षा का अधिकर स्वतंत्रता चुनाव का अधिकार उत्पीडन से बचने के लिये संरक्षणका अधिकार।

4 सकारात्मक अधिकार– आर्थिक और सामाजिक अधिकरो क सकारात्मक अधिकारभी कहा जाता है। सकारात्मक इन अथों मे कि इन द्वारा सकारात्मक कार्यवाही आवश्यक होती है। उदाहरण स्वरूप काम का अधिकार यदि यह अधिकार लोगो को सुनिश्चित करना है तो राज्य को रोजगार के अवसर या रोजगारकी परिस्थितियांपैदा करनी होगी तभी कार्य का अधिकार वास्ताविक मे बदला जा सकता है। इसी प्रकार शिक्षा का अधिकार शिक्षा के अधिकार को पाठापुस्तक चाहिये अध्यापक चाहिए पुस्तकालय एवं अन्य साम्रगी चाहिए

मनव अधिकारो का एक ओर प्राकर से भी विभाजन किया जाता है। प्रथम पीढी को अधिकार द्वितीय पीढी के अधिकार एवं तृतीय पीढी के अधिकार।

प्रथमपीढी के अधिकार– अधिकारों की जो संकल्पना विकसित हुई इसमें नागरिक और राजनैतिक अधिकार सर्वप्रथम आते है। इसी नाते नागरिक और राजनैतिक अधिकारो को परम्परागत अधिकार भी कहा जाता है। अत नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को प्रथम पीढ़ी का अधिकार भी कहा जाता है।

द्वितीय पीढ़ी को अधिकार– आर्थिक और सामाजिक तथा माना जाता है। इनके विकास का कारण पूंजीवादी व्यवस्था की बुराइयां और समाजवादी परम्पराओ क्रांतिकारी संघर्ष और सामजवादी परम्पराओ क्रांतिकारी संघर्ष औरलोग कल्याण की संकल्पना रही है इन अधिकारो को और प्रभावशाली बनाने के लिय हुआ नागरिक विचारो का अपने आप में हुआ विशेष अर्थ नहीं जब तक कि व्याक्ति के पास आर्थिक और चूंकि आर्थिक और सामाजिक अधिकारी का विकास नागरिक और राजनैतिक अधिकारोके बाद का है। अत उन्है दूसरे पीढी का अधिकार माना जाता है।

तृतीय पीढी के अधिकार– तीसरी पीढढी के अधिकारों को सामाजिक सुद्रढता का अधिकार भी कहा जाता है। इन अधिकारों को 20 वर्ष सदी के अन्तरार्ध मे राष्ट्र राज्य के उदय और पतन दोनो का उत्पाद माना जाता है। यें सभी अधिकार अभी अपने निर्माण काल मे ही है। मानव अधिकारो की सार्वभौम धौषण के अनुच्छेद 28 मे प्रतिच्छादित जो यह उदघोषित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति ऐसी सामाजिक और अन्तराष्ट्रीय व्यवस्था का हैकदार है जिसमे इस घोषण में वार्णित अधिकारों और स्वतंत्रता को पूर्ण रूप से प्राप्त किया जा सकता है इन अधिकारों में ऐसा प्रतीत होता है। दावकृत अधिकारो समाविष्ट है। इनमे से तीन तीसरीदुनियां के राष्ट्रीयता को अमार को प्रतिबंधित करते है। तीसारी पीढी के अन्य तीन अधिकर है शांति का अधिकार स्वस्थ्य और संतुलित र्यावरण का अधिकार एवं घोर विपन्ति के समाय मानवीय सहायता का अधिकार।

मानवाधिकारों का परिप्रेक्ष्य– मानवाधिकारों ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से विदित होता है। कइस विषयके आधारभूत तत्व मनुष्य के प्राचीनतम साहित्य एवं धार्मिक पुस्तकों में उपलब्ध है। बाइबित रामायण वेद कुरान शरीफ महाभारत श्रीमदभगवत गीता तथा जैन वौद्ध एंव सिख धर्म ग्रन्थो मे भी मानवाधिकार की अवधारणा चिरन्तन रूप से विद्यामान है। हैरोकिटस प्राकृतिक कानून का दर्शन सुकरात सोफीस्ट प्लेटो उनस्तु जेनो कौटिल्य सिसारा पौडलस वीरू बल्लुवर की रचनाओ मे भी मानवाधिकार की अवधारणा मिलती है। इन ग्रन्थो तथा महान दार्शनिको की रचरनाएं मानवाधिकरो की अवधारण के आधारभूत तत्व है और से ही मानवधिकार के मौलिक स्रोत है संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवधिकारो को फांसिकी नगर में इसके द्वारा मानवाधिकर आयोग की स्थापना की गयी उसने मानव अधिकारो की सर्वमाम घोषण का मसौदा तैयार किया 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने इस घोषणा को स्वीकृत और घोषित किया मानवधिकारा सम्बंधा इस ऐतिहासिक कदम के कश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने अपने सभी सदस्य देशो से अपील की कि प्रदेशो की राजनीतिक स्थिति पर आधारित किसी भी भेदभाव के बिना विशेष रूप से स्कूलो और अन्य शिक्षण संस्थाओ में इसके प्रचार प्रदर्शन पठन औरव्याख्या की व्यवस्था करें यह एक महत्वपूर्ण और व्यापक दस्तावेज है । इस घोषण का विश्व के अनेक देशो ने स्वागत किया और उन्होंने अपने देशो मे इस घोषणा को कानूनी रूप से लागू करने की कोशिश कीइसके पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवधिकारो की रक्षा के लिय निम्नांकित और दस्तावेज भी विश्व के सामने प्रस्तुत किए।

1. नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा पत्र 1966

2. आर्थिक सामाजिक तथा सास्कृतिक अधिकारो का प्रतिज्ञापत्र 1966

3. अन्तर्राष्ट्रीय एजेसी को याचिका देने हेतु वैयक्तिक अधिकारों के लिये ऐच्छिक पूर्व संधि 1966

4. कैदियो के साथ व्यवहार के लिए मानव नियम 1966

5. कानून प्रवर्तन अधिकाररियो के लिए संयुक्त राष्ट्रसंघ की आचार संहिता 1979

6. किशोर अपचारिता के सम्वन्य में न्याय के प्रशासन हैतु मानव नियम 1989

7. शक्तिके दुरूप्योग और अपराध के शिकार व्यक्तियों के लिए मूलभूत न्यायिक सिद्धांतो की घोष्णा 1985 न्यायिक स्वतन्त्रता के मूलभूत सिद्वांत 1985

8.क्रूर अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार

9. अथवा दण्ड की यातना के खिलाफ कन्द्रेशन 1985

मानवधिकारों का भारतीय परिप्रेक्ष्य– भारत की सभ्यता एवं संस्कृति पाच हैजार वर्षो से भी अधिक प्राचीन है। प्राचीन भारत में धर्म की अवधारणा मेंही व्यापक मानवीय सामाजिक व्यवस्था के रूप में मानव अधिकारों पर विचार किया गया था प्रचीन भारत में सनातन र्धम का विधान न केवल धाम्रिक एवं नैतिक विधान था अपितु राजा के व्यवहार दण्ड विधान अदि को भी नियंत्रित करता था वह भी साधारण नागरिक की भांति कानून के प्रति उत्तरदायी था विधि के सामने समानता एवं विधियो का समान संरक्षण भी पश्चिमी अवधारणा के अिनुसार ही प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में संचालित होता है। प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में संचालित होता है। राजापरम्परा एवं प्रथाओ का भी सम्मान करता था बेद वेदांत उपनिषद गीता आदि सभी भारतीय ग्रंथों ने इस बात पर बल दिया कि सत्य एक है। तथा परमात्मा सभी आत्माओ मे विधमान है। महाभारत का तो यह सुत्र वाक्य ही है। कि मनुष्य से बडा कुछ भी नहीं है इस प्रकार प्राचीन भारत में मानवाधिकार को व्यापक रूप से विकास हुआ।

श्रीमदभगवात गीता मानव के लिए उसके कर्तव्य का पालन करने का संदेश देती है। जैन धर्म के 24 वी तीर्थंकर माहावीर स्वामी ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राजनीतिक सामाजिक एवं अथ्रिक विधान का प्रतिपादन किया समाट अशोक का राजदर्शन तथा मानवता करूणा प्रेम व अन्य मानवीय सिद्वांतो पर आधारति था प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था अमानवीय वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी ब्राम्हैण क्षत्रिय वेश्य एवं शुद्र इन चार वर्गो मे विभाजित भारतीय समाजिक व्यवस्था में निचले हो वर्ण उत्पादक होते हुए भी शोषित थे आगे चलकर जन्म के आधार पर अन्याय और शोषण और भी बढ गया मध्यकालीन आगे चलकर जन्म के आधार पर अन्याय और चलकर जन्म के आधार किसी न किसी रूप में विधमान थे मुगलकालीन भारत में भी मानव अधिकार अकबुर और जहांगीर का न्यप्रियता प्रसिद्ध रही है। अकबर ने अपनी धार्मिक नीति और रही है सहिणुता की प्रेरणा दी इस काल में धामिक सहिणुता की प्ररणा दी इसकाल मे

भाक्ति आंदोलन का लक्ष्य भी धार्मिक भेदभाव को मिटाकर सबके साथ प्रेम एवं सहयोग करना था भारत का आधुनिक युग नयें भारत के उदय तथा अन्य अमानवीय कुप्रथाओ के विरूद्ध इस युग में मानवतावादीआंदोलन शुरू हुआ राजा राममोहैन राय स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानन्द ज्योतिबा फूले नारायण गुरू डॉ भीमराव अम्बेंडकर एवं महात्मा गांधी जैसे धार्मिक एंव समाज सुधारको ने मानव की गरिमा को स्थापित करने के लिए सतत संघर्ष किया विश्व के सुधारवादी आंदोलन से प्रभावित होकर भारत के नेताओ ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट तथा करांची प्रस्ताव काग्रेस अधिवेशन में मानवधिकारियों की आवाज उठाई भारत के संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की प्रस्तावना में वर्णित सामाजिक न्याय की स्थापना और 42 वे संविधान संसोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में जोडे गए मौलिक कर्तव्य आदि इसी परम्परा का सतत विकास है भारत के राष्टीयआन्दोलन में सदैव शोषण के विरूद्ध संघर्ष किया यह संघर्ष था इसमे कवेल राजनीतिक आजादी की मांग ही नहीं अपितु सामाजिक और आर्थिक आजादी की मांग भी थी स्वतंतत्रा भारत क नीति निर्माताओ ने देश में मानवताधिकारी का समर्थन करतें हैए राज्य के लोग कल्याण कारी सिद्धांत को अपनाया है। सामाजिक राजनीतिक आर्थिक रूप से व्याप्त गहैरी विषमता को कम करना मानव अधिकार एवं गरिमा के लिए अनिवार्य है। यह भारत के समक्ष गौरी चुनौती है।

मानव अधिकारों की उत्पन्ति एवं विकास– मानव अधिकारों पद का प्रयोग सर्वप्रथम अमरीकन राष्ट्रपति रूजबोल्ट ने जनवारी 161941 में किया था जिसमे उन्होने चार मर्मभूत स्वतंत्रताओ पर आधारिता विश्व की घोषणा की थी इनकी उन्होने इस प्रकार सूचीबद्ध किया था वाक स्वातंत्रता धर्मस्वातंत्रता गरीबी से मुक्ति भय से स्वातंत्र चार स्वातंत्र संदेश के स्वातंत्र से हैर जगहै मानव अर्थिकारियों की सर्वोच्च अभिप्रेत है हैमारा समर्थन उन्हीं को है। जो इन अधिकारो की पाने के लिए या बनाये रखने के लिए संघर्ष करते है मानव अधिकारो पट का प्रयोग फिर अटलांटिक चार्टर में किया गया था तदनुरूप मानव अधिकारो का लिखित प्रयोग संयुक्त राष्ट्र चार्टर मे पाया जाता है। जिसको द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सेनफास्को में 25 जून 1945 को अंगीकृत किया गया था उसी वर्ष के अक्टूबर माहै मे बह्रैसंख्या में हैस्ताश्ररकर्ता ओ ने इसका अनुसम्रन कर दिया संयुक्त राष्ट्रचार्टर की उददेशिका मेंधोषणा की गयी कि अन्य बातो के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रयोजन मूलवंश लिंग भाषा या धर्म के आधार पर लिंग विभेद किये बिना मानव अधिकारों ओर मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान की अभिवुद्वि करने और उसे? प्रोत्साहैन करने के लिए अतार्राष्टीय सहयोग प्राप्त करना होगा स्टाक का मत है कि संयुक्त राष्ट चार्टर आवद्वकर लिखित नहीं था और इसमे आर्दश का कथन किया गया हैइसे बाद मे अभिकारणे और अंगो द्वारा विकसित किया जाना है। मानव अधिकारों की सार्वभोम घोषणा अनेक मानव अधिकारो के निर्माण करने में पहला ठोस कदम संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 1948 मे मानव अधिकारो की सार्वभौम घोषणा को अंगीकृत करके किया आशय यह था किइसका अनुसरण अतर्राष्टीय बिल आफ राइटस द्वारा होगा जो कि प्रसंबिदा करने वाले पक्षकारो पर वैध रूप से आबद्धकर होगा।

2.1966 की अतंरर्राष्ट्रीय प्रसविदाएं कुछभी हो सार्वभौम धोषण केवल आदर्शो के कथन के रूप में क्रियाशील रही जिसका स्वरूप वैध रूपसे आवद्वकार प्रसंविदा के रूप मे इस कमी को दूर करने का प्रयास संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर 1966 मे मानव अधिकारों के पालन के लिए दो प्रसंबिदाए अंगीकृति करके किया।

(क) सिविल और राजनीतिक अधिकरो पर प्रसंविदाए

(ख) आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकरो पर प्रसंविदाएं

यद्यपि पूव्रवर्ती ने व्यक्ति विधिक रूप से प्रवर्तनीय अधिकारो को निर्मित किया तथापि पश्चातवर्ती राज्यो का उन्हें विषान द्वारा कार्यान्वित करने के लिए संवोधित थीदोनो प्रसंविदाएं दिसम्बर 1976 मे प्रवृत्त हुई जब अपेक्षित संख्या में 35 सदस्य राज्यो ने उनका अनुसमर्थन करने वाले राज्यो पर वैध रूप से आबद्वकर है। इस बात पर अति खेद है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने जो आदर्श था तथा जिसने मानव अधिकरो के अन्तर्राष्ट्रीय करण में अत्यधिक रूाचि लिया था अभी तक अतर्राष्ट्रीय प्रसंविदाएं 1966का अनुसूचित नहीं किया है। ऐसे अनुसमर्थन का प्रभाव यह है कि अनुसूचित करने वाला राज्य प्रसंविदाको कार्यान्वित करने के लिए विधायी उपाए अपनायं जिससे प्रसंविदा मे वर्णित अधिकारो अनुसमर्थन करने वाले को घरेलू विधिक भाग प्रसंविदा अनुसमर्थन करने वाले को घरेलू विधिका भाग घरेलू न्यायलयो द्वारा प्रवर्तनीय है।

3. यूरोपीय अभिसमय– सार्वभौम घोषण और 1966 की दोनो अतंराष्ट्रीय प्रसंविदाओ के बीच में सार्वभौम घोषणा का सामूहिक कार्यान्वयन राज्यो के एक समूह द्वारा जो युरोप की परिषद के सदस्य थे समूहै मानव अधिकार के संरक्षण के लिए 1950 में मानव अधिकार पर युरोपीयअभियसमय को अगीकार करके किया था यद्यपि यूरोप के बाहर के लोग युरोपीय अभिसमय के कार्यकरण मे प्रत्यक्ष रूपसे हितबद्ध नहीं है । तथापि मानव अधिकार के संवैधानिक संरक्षण मे हितबद्व सम्पूर्ण विश्व के लिए इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योकि अभिसमय ने 1959 मे मानव अधिकार युरोपीय न्यायालय की स्थापना किया है इस न्यायलय का कृत्य अभिसयम के पवर्तन में होने वाले विवादो का निस्तारण करना है। और इसके विनिश्चत वैध निर्णय के रूप में सुनाए जाते है। इन विनिश्चय में सुनाएं जातें है। उन विनिश्चत मे अभिसमय के पाठ का निर्वचन अर्न्तग्रस्त रहता है। और इसप्रकार वे राष्ट्रीय संविधान के निर्वचन में जिनमें तदनुरूप् मूल अधिकारो की प्रत्याभूति है महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करते है।

4. मानव अधिकार अमेरिकी अभिसमय 1969– मानव अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सामूहिक तंत्र का निर्माण लैटिन अमेरिका के राज्यो द्वारा किया गया है उन्होने अमेरिकी राज्यो का संगठन बनाया है। संगठन ने 1969 में मानव अधिकार पर अभिसमय अंगीकार किया है जिसकी बाध्यताएं अभिसमय के पक्षकारो पर आबद्वकर है। संगठन ने अन्तर अमरीकी मानव अधिकार आयोग भी स्थापित किया है जिसका उददेश्य मानव अधिकारों के सम्मान की अभिवृद्धि करना है जिनको मानव अधिकार के सम्मान की अभिवृद्धि करना है। जिनको मानव अधिकार ओर कर्तव्य की अमेरिकी घोषण 1948 में घोषित किया गया था।

5. कामनावेल्थ के भीतर विकास– अतंराष्ट्रीय स्तर पर प्रसंविदाएं के अंगीकरण ने कामनवेल्थ के भीतर भी जो कि एक आभासी अतंराष्ट्रीयसंगठन है। मानव अधिकार के संरक्षणके लिए प्रेरित किया इस बात का अनुभव किया गया कि कामनवेल्थ को सदस्य राष्ट्रो द्वारा पूर्ण रूप से अनके राज्य क्षेत्रो में तथा पारस्परकि संबंधा मे अवैध घोषित कर दिया जाय।

सिंगापुर घोषणा– इस उददेश्य से प्रेरित होकर कामनवेल्थ देशो की सरकारी के अध्यक्षो ने सिंगापुर मे जनवारी 1975 में एकत्र होकर एक बैठक में अन्य बातो के साथ घोषणा किया

हैम जातीय पक्षपात को मानव जाति के स्वस्थ्य विकास को जोखिम में डालने वाली भयावह बीमारी मानते है हैममे से प्रत्येक अपने राष्ट्र में इस बुराइ का प्रबल रूप से विरोध करेगा।

6. सब प्रकार के औपनिवेशिक प्रमुख और जातीय दमन का विरोध करते है ओर मानव गरिमा तथा समानता के सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है।

7.सर्वत्र मानवरीय समानता और गरिमा को प्रोत्साहित करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेगे

लुसाका घोषणा– कामनवेल्थ सरकार के अध्यक्षा ने अगस्त 1979 मे लुसाका की बैठक में दक्षिण अफीकी मे एयाथीड व्यवहार की तरफ ध्यान दिया और अन्य बातो के साथ घोषणा किया हैम एयाथिार्ड को बनाये रखने की परिकालिपना सभी नीतियो को अमानहित पर आधारित है कि जातीय वर्ग्र अतुनिहित रूप से वरिश्ठ होते है या हो सकते है। कामनवेल्थ को विशिष्ट रूप से अन अन्य संगठनों से अपने कार्यकलाप में समन्वय बढाना चाहिए जो उसी प्रकार मानव अधिकारी और मूल स्वतंत्रता ओ की अभिवृद्धि और संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। इस विवेचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि मानव अधिकारी की आधुनिक रूप समें उत्पति अतंराष्ट्रीय विधि में है है।

साधारण दिग्दर्शन– मानव अधिकारो क संरक्षण का मूल भारत में वैदिक काल के धर्म में पाया जाता है। सर्वे भवन्तु सुखिन सग्रे सन्तु निरामया गीता में भी मानवाधिकार का उल्लेख कमर्ण्यवार्थिक रस्तें प्लेटो और अन्य ग्रीक तथा ारोमन दार्शनिको के ग्रन्थोमे मानवाधिकारो के संरक्षण का आभास पाया जाता हैं यद्यपि कि उनका आधार धर्म ही था ग्रीस नगर राज्य ने समान वाक स्वातन्त्रय विधि के समक्ष समता मत देने का अधिकार लोक पदके लिए निर्वाचित होने का अधिकार लोक पद पाने का अधिकार अपने नागरिको को दे रखा था रोमन विधि ने भी रोम वालो को उसी प्रकार के अधिकार दिए थे इंग्लैंड में मानव अधिकारो के निर्माण के लिए प्यास मैग्नाकर्ता 1215 और बिल आफ राइटस 1688 में किया गया है परन्तु इन लिखितो को लिखित संविधान की सर्वोच्चता जिनके द्वारा पालियामेंण्ट के अधिनियम को उलट दिया जाए नहीं मिल पायी है उच्चतर विधि को लिखित संविधान में सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। जिसके द्वारा प्रभुताथारी की अज्ञात इच्छा को प्राकृतिक विधि से उत्पन्न मानको से बाध्य किया जाय अटारहवी शताब्दी के मानव के प्राकृ तिक अधिकारो को लिखितसंविधान में सम्मिलित करके प्रभुताधारी के विरूद्ध व्यक्ति के मूल अधिकारा की नीव डाली गई जैसा कि अमरीका मे किया गया बिल आफ राइटस को न्यायिक पुनविलोकन द्वारा पुस्ट किया गया है। और व्यक्ति अपने मूल अधिकारो को अपने राज्य के विरूद्व न्यायलय द्वारा प्रबर्तित करा सकता है। मानव अधिकारो का अतंराष्ट्रीयविधि और विश्व व्यवस्था मे धोतन जैसा कि उपर विवेचन किया गया है। उच्चतर विधि और उससे प्राप्त मानव अधिकारो के विधि और उससे प्राप्त मानव अधिकारों के दर्शन ने एक

और आयाम ग्रहण कर लिया परन्तु यह राज्य विधि या राष्ट्र विधि के क्षेत्र तक ही सीमित थी और अन्य राज्य या विश्व राज्य और उसकी प्रजा के सम्बन्ध से कोई सरोकार नहीं रखता था परन्तु 1650 मे इच दार्शनिक ग्रोशस जिसको राष्ट्रो की विधि का जनक कहा जाता है। वे मानव अधिकार को अतंराष्ट्रीय विधि और विश्व व्यवस्था मे घोसित करने का प्रयास किया उन्होने अपना यह सिद्वांत प्रतियादित किया कि जब एक राज्य का प्रभुताधारी लगातार अपनी प्रजा के मूलभूत मानवाधिकोरो के कुचलता रहता है। तो यह एक अतंराष्ट्रीय प्रश्न हो जाता है ऐसा निरंकुश शासक योशस के अनुसार कीविधि के अन्नगत प्रभुताधारी के रूप में अपनी शाक्ति्यो को खो बैठता है। और अन्य को प्रकृति कीविधि और की विधि के घोर अतिक्रमाण के मामलो मे हैस्तक्षेप करना न्यायोजित होगा इस सिद्धांत का कोई प्रभाय नहीं पड़ा क्योकि के पारम्परारिक सौजन्य के अनुसार कोई राज्य परन्तु अन्य राज्य और करेगा क्योकि यह इसका घरेलू मामला है अन्य राज्य मानव अधिकारी के अतिक्रमाण के मामले मे अपनी आपति जा सकता है।

परन्तु मानव अधिकारो के अतंराष्ट्रीय के लिए मानव अधिकारो आन्दोलन द्वितीय विश्व युद्ध के युद्ध के दौरान मानवता के विरूद्व वीभत्स अपराध किय गय ओर उस समय मूल मानव अधिकारो का पूर्ण रूप से दमानकर दियागया है। जर्मनी के नाजी नेतीओं ने पूर्ण विधिहीनता और अत्याचार का शसन स्थापित कर रखा था उन लोगो अपने आथिपत्य के राज्यक्षेत्रो में मानवीय मूल्यो और गारिमा का खण्डन कर दिया था उस समय यह अनुभव किया गया था कि अतंराष्ट्रीय शाति तथा सुरक्षा को एक यह है कि लोगो की स्वतंत्रता तथा उनके अधिकांरो का प्रत्याविनन किया जाय इस धारणा को समाय समय पर राजयो की विभिन्न घोषणाओ मे प्रतिबाथित किया गया है। इनघोषणओ में सबसे महत्वपूर्ण घोषणा अमरीकी राष्ट्रपति फैकलिन डा रूजवेल्ट की है। जो 6 जनवरी 1941 को की गई जिसमे चार स्वतंत्रताओ का उल्लेख किया गया है वे स्वतंत्रताए इस प्राकर ताक स्वातंत्र धर्म स्वातंत्र अभाव से मुक्ति और भय से मुक्तिअतंराष्ट्रीय शाति की स्थापित के लिए अंतराष्ट्रीय संगठन के सृजन के लिए प्रयास उसी समाय किये जाने लगे थे जबकि द्वितीय विश्वयुद्व चल ही रहा है। अनेक सम्मेलन और सभाएं संयुक्त राष्ट्र अतंराष्ट्रीय संगठन के स्थापित होने के पहले की गइ सम्मेलनो के महत्व को प्रतिपादित कर दिया। अकरीकी राष्ट्रपति फंकलिन डीरूजेल्ट और इग्लैण्ड के प्रधान मंत्री विस्टल चर्चिल ने 14 अगस्त 1941 को एक संयुक्त घोषण अटलाटिक चार्टर में की जिसमे शिित को सुनिश्चितं करने के लिए यह आशा संजोयी गयी थी कि सभी देशो में मनुष्य भ्य ओर अभाव से मुक्त जीवन निर्वाहै करेंगे वाशिगटन मे 1 जनवारी 1942 को हैस्ताक्षतर संयुक्त राष्ट्र चार्टर य घोषण करके अटलांटिक चार्टर मं प्रतिपादित सिद्वांतो की अभिपुष्टि करता है। संयुक्त राष्ट्रचार्टर के अर्न्तगत मानव अधिकार रू– संयुक्त राष्ट्र के जन्म के कारण मानव अधिकार आंन्दोलन ने बहुत जोर पकड़ लिया साव्रभौम मानव अधिकरो जैसे जीवन काअधिकार स्वतंत्रता और समानता के अधिकारकें युग का प्रारम्भ होगया व चाहै जहाँ रहतें है। यह उददेश्य पहले ही 1929 में अन्तराष्ट्रीय विधि संस्थान द्वारा निर्मित कर लिया गया था परन्तु इसको व्यावहारिक रूप् संयुक्त राष्ट्र चाटर मे 1945 में दिया गया सभ्य जीवन की इन न्यूनतम दशाओ का संरक्षण ऐसा अनुभव किया गया केवल राष्ट्र राज्यों की चिन्ता का विषय नहीं था बल्कि सम्पूर्ण विश्व का था राष्ट्र राज्य की आध्यता उल्टे केवल अपने राष्ट्रियों के प्रति ही नहीं हैयी बल्कि उसके राज्य क्षेत्र में सभी व्यक्ति्यो के संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अर्न्तगत मानव अधिकारो को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। चार्टर में कई उपबन्ध है जो मानव

अधिकारो और मूल स्वतंत्रताओ के संरक्षण से सम्बंधित है चार्टर कीउददेश्य में घोषणा की गयी है किं संयुक्त राष्ट्र के लोग मूल मानव अधिकारो के प्रति मानव गरिमा और महत्व के प्रति पुरूषो और स्त्रियो तथा बड़े और छोटे राष्ट्रो के समान अधिकारो के प्रति निष्टा को पून अभिपुट करने के लिए दढ संकल्प करतें है। तदानुसार संयुक्त राष्ट्र चार्टर्र के अनुच्छेद के परिच्छंद में यथावर्णित उददेश्यो मे से एक मुल वंश लिग या भाषा या धर्म के आधार पर विभेद किये बिना सभी के लिए मानवधिकारो ओर मूल स्वतत्रताओ के प्रति सम्मान की अभिवृद्धि करने ओर उसे प्रोत्साहित करने के लिए अन्तराष्ट्रीय सहयोग उत्पन्न करना है इस प्रकार मानव अधिकारो के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का प्राथमिक उददेश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अधिकतम स्वतंत्रता तथा गरिमा प्राप्त की जाये अनुच्छेद 55 में मूल वंश लिंग या धर्म के आधर पर वि भेद किये विना सभी के लिए मानवाधिकोरो और मुल स्वतंत्रताओ के प्रति विश्व व्यापी आदर तथा उनके पालन को सम्मिलित किया गय है। मानव अधिकारो के कपालन में अंतराष्ट्रीय शाति का तत्व निहित है राष्ट्रपति टूमान ने सैन फ्रान्सिको के सम्मेलन में मानवधिकार की अभिवृद्धि और अतंराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में अपने समापन भाषाण में इस प्रकार कहा है। चार्टर मानव अधिकारो और मूल स्वतंत्रताओ के पालन की उपलब्धि को प्रति समर्पित है। जब त हैमइन उददेश्यो की प्राप्ति हैर जगहै सभी मनुष्यो और स्त्रियो के लिए विना नहीं कर लेते है। तब तक किसी को विश्व में स्थायी शांति ओर सुरक्षा नहीं मिल सकती है।

अतंराष्ट्रीय मानव अधिकार पत्र– संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय ही अतंराष्ट्रीय विल आफ हॅूमन राइटस की बात जोर पकडे हुई थी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में एकत्रित कई प्रतिनिधियो द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र के निर्माण की बात की गइतथपि इसे नहींकियाजा सका फिर भी सदस्यों द्वारा अनुभवकिया गया कि इस दिशा में कदम उठाया जाना चाहिए संयुक्त राष्ट्र के समक्ष अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्यमानव के सिद्धांत का ार्यान्वयन था अतं इसउददेश्य की प्रप्ति के लिये अन्तर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र को तैयार करने का निश्चय किया गया तीस वर्षो के अथक प्रयास के परिणाम स्वरूप वास्तव के अन्तर्राष्ट्रीय मावन अधिकार पत्र अस्तित्व मे आ गया मानव अधिकारो की सार्वभौम धोषण 1948 सिविल तथा राजनैतिक अधिकार प्रसंविदा 1960 अथिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रोटोकाल मिलकर अन्तर्रा० राष्ट्रीय मानव अधिकार पत्र कहलातें है।

मानव अधिकारो की विश्यव्यापी घोषणा– संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकार के आदर्श को स्वीकार करने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग को मानव अधिकारो के कार्य सोपा गया लगभग तीन वर्षों के प्रयत्नो के बाद मानव अधिकार आयोग ने मानव अधिकारो की विश्वव्यपी का मसविदा तैयार किया इस मसविदा को महासभा ने कुछ संशोधनों के साथ 10 दिसम्बर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया मानव अधिकार मे न के वल नागरिक तथा राजनीतिक अधिकरी का बल्कि सामाजिक आर्थिक अधिकरो का भी पहैली बार प्रतिपादन किया गया द्य सारी दुनिया की जनता जानती है कि30 धाराओ वाली बढे हुए प्रभाव के अन्तग्रत और मानवधिकारो शक्तियो के बढे हुए प्रभाव के अन्तर्गत और मानवधिकारो तथा लोगतंत्र की रक्षा के लिये व्यापक जनसाधारण की शशक्त लोकतन्त्र की रक्षा के लिये व्यापक जनसाधारण की काग्रवाहियो के फलस्वरूप की गयी है।

अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थायें– विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संस्थाओं का वर्णन इस प्रकार है।

1 मानव अधिकार आयोग–संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 68 में उपबन्ध किया गया है कि आथ्रिक तथा सामाजिक परिषद आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रो में तथा मानव अधिकरो की ओर अभिवृद्धि के लिये आयोग ओर ऐसे अन्य आयोग स्थापित करेगी जिनकी परिषद के कृत्यो के पालन के लिये जरूरत है। इसके अनुसारण में आर्थिक और के लिए सामाजिक परिषद ने सात कृत्यिक आयोगो की स्थापना की है।

- मानव अधिकार आयोग
- सारिव्यकी आयोग
- जनसंख्या आयोग
- सामाजिकविकास आयोग
- स्त्री प्रास्थिति आयोग
- नाकोटिक औषिक आयोग तथा
- अपराध निवारण और दण्ड न्याय आयोग

मानवअधिकार आयोग की संरचना एवं कार्यकरण– मानव अधिकार आयोग की स्थापना 16 फरवरी 1946 को आर्थिक ओर सामाजिक परिषद के एक प्रस्ताव को आर्थिक द्वारा की गइ जिसका उसी माह्रै मे महासभा द्वारा अनुमोदन भी कर दिया गया आयोग का गठन सामाजिक आर्थिक परिषद द्वारा किया गया जिसमे 18 सदस्य थे हैर राज्य सदस्य ने ही अपने प्रतिनिधियों का चयन किया था पर समयानुकम मे इसके का चयन कियाथा सदस्यो कीसंख्या बढती गइ और वतमान समय में इसमें 32 सदस्य हैं।

इसके निबन्धन तथा निर्देश के अनुसार आयोग की निम्न विषयो पर सिफारिश और रिर्पोट तैयार करना है–

1. अन्तरर्राष्ट्रीय अधिकार पत्र

2. सिविल स्वतंत्रता प्रसंविदाओ स्त्रियों की प्रास्थिति सूचना की सवतंत्रता घोषण

3. अल्पसंख्यको का सरक्षण ओर

4. मलवंश लिग भाषा या धम्र के आधार पर विभेद निवारण आयोग के अध्ययन करवने सिफारिशे करने तथा नइ अन्तर्राष्ट्रीय संधियो का प्रारूप तैयार करने के लिय सशक्त किया जाता है।

अल्पसंख्यक संरक्षण और विभेद निवारण 34 आयोग– अल्पसंख्यक संरक्षण तथा विभेद निवारण 34 आयोग मानव अधिकार आयोगं का प्रमुख सहायक अंग है। इसकी मूलवंश धाम्रिक और भाषाएं अल्पसंख्यको के विषय मे विभेद और उसके निवारण के संबंध में अध्ययन करना तथा मानव अधिकार आयोग को सिफारिशें करना है। 34 अयोग मे आयोग द्वारा चयनित 26 सदस्य होते है लेकिन यह संबंधित सरकारो की सहमति क

आधीन रहता है सभी सदस्य अपना काग्र अपनी सरकारो के प्रतिनिधि के रूप मे 34 आयोग में तीन स्थायी काग्रकारी समूहै है जिनका काग्र है । मानव अधिकार उल्लंघन की शिकायतो का परीक्षण दसत्व और दास व्यापार के विकास का पुविलोकन तथा हैर देशी जनसंख्यो की समस्या पर विचार करना।

स्त्री प्रास्थिति आयोग– स्त्री प्रास्थिति आयोग आथिक तथा सामाजिक परिषद का कृ त्यिक आयोग है जिसकी स्थापना 1946 में की गइ थी इससमय इसमे 45 सदस्य है शैक्षिक क्षेत्र मे स्त्रियो के अधिकरो की अभिवृद्धि के लिए सिफारिशे भेजना है स्त्रियों के अधिकरो केक्षेत्र में समस्याओं के विषय में यह परिषद को रिपोर्ट तथा समस्योओ के विषय में यह परिषद को रिर्पोट देता है। जिन पर ध्यान देने की अपेक्षा रहती है।

मानव अधिकार केन्द्र– यह केन्द्र जेनेवा में स्थित है। इसका कार्य मानव अधिकार काग्रकलाप में समन्वय स्थापित करना है। यह केन्द्र आयोग 34 आयोग मानव अधिकार समितिमूलवंश विभेद विलोपन समिति और अन्य नीति निर्धारण और अन्वेषण निकायो को स्टाक प्रदान करता है।

मानव अधिकारो के लिये संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त– संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसम्बर 1993 को मानव अधिकरो हैतु संयुक्त राष्ट्र उच्च आयुक्त के पद का सृजन करने के हैतु लिये प्रस्ताव पारित किया माहैसचिव क निदेशो एवे प्राधिकार के आधीन उच्च आयक्त सभी द्वारा आर्थिक सामाजिक एवे राजनैतिक अधिकरो के प्रभावशालीउपभोग की प्रोन्नति तथा संरक्षण करेगा उसका पर उपमहा सचिव का होगा उसके काग्रक्रम की अवधि य होगी वह सभी के मावन अधिकारो की प्राप्ति में विधमान बाधओ को दूर करने तथा चूनोतियो का समाना करने के सक्रिय भूमिका निभाएगा।

मौलिक अधिकार का अर्थ– किसी भी समाज द्वारा अपने सदस्यों के जीवन हैतु मौलिक और अनिवाग्र जीवन मूल्य जिसमे किसी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता मौलिक अधिकार कहैलातें है । अत समाज मे प्रजातंत्रिक व्यवस्था प्रारभ हानेके साथ ही व्यक्ति्यो को से स्वतंत्रता और सशक्ता प्रदान की गइहै। विद्वानो ने मौलिक अधिकारो का अथ्र निम्नानुसार विवेचित किया है।

1. व्यक्ति का पूर्ण मानसिक, भौतिक और नैतिक विकास

2. देशकी मौलिक विधि अर्थात संविधान का हिस्सा

3. यें अनुल्लंधनीय है।

4. यें न्याय योग्य है।

संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 तक मे भारतीय समाज के लिये विभिन्न मौलिक अधिकारो की व्यवस्था की गई है जिसके द्वारा भारतीय समाज को स्वतंत्र और अधिकार सम्पन्न बनाने का प्रयास किया गया है। भारतीय समाज के लिये संविधान में प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार निम्न प्रकार हैं–

1. समानता का अधिकार– भारतीय समाज में समानता स्थापित करने के लिय संविधान के अनुच्छेद 14.18 को समानता का अधिकार कहा गया है। समानता काअधिकार भारतीय समाज मे कानूनी सामाजिक आर्थिक एवं जातीय से समानता प्रदान करता है। भारतीय संविधान द्वारा भारतीय समाज के अधीन नोकरिया का समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है।

2. स्वतंत्रता का अधिकार– भारतीय नागरिको को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिय संविधान मे अनुच्छेद 19 22 की स्थापना की गइथी संविधान के अनुच्छेद 19 22 स्वतंत्रता का अधिकार कहलातें है। स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय नागरिको को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभा की स्वतंत्रता संघ की स्वतंत्रता घुमने फिरने की स्वतंत्रता निवास की स्वतंत्रता सम्पति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

3. शोषण के विरूद्ध अधिकार– संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव से बेगार एवं इसी प्रकार के अन्य जबरदस्ती लिये गयें श्रम को निषिद्व बतायो गया और इसका उल्लंघन करना एक दण्डनीय अपराध है संविधन के अनुच्छेद 23 की तुलना अमेरिका के संविधान के 13 वें संशोधन से कीजा सकती है जिसमें दासता और अनिच्छित अधिसेविता को समाप्त किया गया था।

4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार– भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 व्यक्तियो को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करतें है। संविधान द्वारा हैमे प्रदान किये गये स्वांतत्रता अधिकारो में धम्र स्वतंत्रता के अधिकारों का विशेष महत्व है वास्तव में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के माध्यम से भारत में धम्र निरपेक्ष राज्य की स्थापना की गइ है। भारतीय संविधान मे धर्म निरपेक्षता सम्बधी चार आदर्श है।

5. संस्कृति और शिक्षा का अधिकार– संविधान के अनुच्छेद 27 ओर28 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। कि किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की वृद्धि के लिये किसी भी प्रकार को कर देने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा की मनाही की गई है। एवं अन्य शिक्षा संस्थाओं में जहां पर धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना होती है। विधार्थियों को उपस्थित होने अथवा न होने के विषय में पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गई है।

6. संवैधानिक उपचारो का अधिकार– भारतीय संविधान में सवैधानिक उपचारो का अधिकार एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपबन्ध है संविधान निर्माता डा अम्बेडकर ने इसेसंविधन के निर्माताओ ने संविधान में मूल अधिकारो के अकिमण पर उन्हें प्रवर्तित कराने के लिये संवैधानिक उपचारो की व्यवस्था की है संविधान में अनुच्छेद 32 35 संवैधानिक उपचारा के अधिकार कहैलातें है। भारत मे अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायलय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायलयों द्वारा मूल अधिकारों के प्रवतेंन की व्यवस्था की गई।

मौलिक कर्तव्य– वर्षों की अलार्मा के पश्चात 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष के आजाद होनेपर भारतीय संविधान का निम्म्रण किया गया संविधान के द्वारा विभिन्न अधिकार कर्त्तव्य और दायित्व निर्धारित किया गये है। सन 1950 मे लागू किया गया संविधान मे सिर्फ नागरिको के मौलिक अधिकारो का ही उल्लेख किया गया था मूल कर्त्तव्यो का नहीं प्रारंभ इसलिए उल्लेख नहीं किया गया था क्योकि अधिकारो के साथही कत्तव्य स्वत जुड़े

होते है । क्योकि अधिकरो के साथ ही कर्त्तव्य स्वत जुडे होतें है। लेकिन बाद में यह महसूस किया गया कि संविधान में मोलिक अधिकार के साथ ही मौलिक कर्त्तव्य भी होने चाहिए अत सन 1976 में संविधान में पटवा संशोधन करते हुये चतुर्थ भाग के पश्चात चतुर्थ अ भाग जोडकर मूल कर्त्तव्यो को सम्मिलित किया गया है 42 वे संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिको के लिये निम्नांकित 10 मूल कर्त्तव्य निधारित किये है।

1. भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कत्नव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे एवं उसके आदशो संस्थाओ राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।

2. स्वतंत्रता हेतु भारतीय राष्ट्रीय आदोलन सिके लिये प्रेरित उच्च आदर्शों की मान मे इच्छा रखे एवं उनका पालन करें।

3. देश की प्रभुता एकता ओर अखण्डता की रक्षा करें।

4. देश की रक्षा करे एवं आवश्यकता पड़ने पर देश की सेवा भी करें।

5. भारत के सभी लोगो मे समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना विकसित करें, जो धर्म भाषा प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से पर हो।

6. हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करे।

7. वैज्ञानिक द्रष्टिकोण मानवाद ज्ञानाजर्न एवं सुधार की भावना का विकास करे।

9. सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखे एवं हिसांसे दूर रहे।

10. व्यक्तिगत औरसामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रो मे उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे जिसेस राष्ट्र निरतंर बढते हैं। सन1976 और42 वे संविधान संशोधन द्वारा नागरिको के लिये निधारित किये गये उपरोक्त कर्त्तव्यो के माध्यम से यह आशा कीगइहै कि भारतीय नागरिका अपने कद्रव्यो के प्रति सचेत रहें और उनका ईमानदारी के साथ पालन करें।

राज्य के नीति निर्देशक तत्व– भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 राज्य के नीति निदेशक तत्वो की विवेचना करते है। भारतीय संविधान द्वारा राज्यो के लिये कुछसिद्वांतो का लियं कल्याण कारी योजनाओ का क्रियान्वयन कर सके वास्तव में राजय के नीति निशक तत्व देशकी विभिन्न सरकारो ओर नीति निर्देशक तत्व देश की विभिन्न सरकारो ओर सरकारो और सरकारी अभिकरणे के नाम से जारी किये गये थे निद्रेश है जो देश कीशासन व्यवस्था के मौलिक तत्व है। राज्य के नीति निदेशक तत्वो की व्याख्या करते हुए डॉ राजेन्द प्रसाद लिखतें है कि राज्य के नीति निदेशिक सिद्वातो का उददेश्य नागरिको के कल्याणको प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करने से है हैम कहै सकातें है। कि संविधान की प्रस्तावना में जिन उददेश्य को प्रकट किया गया है। उन्है ही व्यवहारिक रूप आयाम देने के लिये राज्य के नीति निद्रेशक सिद्धातो की रचना की गई है। अस्टिम के निया के अनुसार निदेशक तत्वो राष्ट्र की वृद्धि भता माध्यम से

अभिव्यक्त की गइथी यं सिद्वात शसन की नीतियों को निदेट करने के लिये ही बनाये गये है ताकि भारत मे आर्थिक तथा सामजिक लोकतंत्र स्थापित कर सके।

राज्य के नीति निर्देशक सिद्वांत

अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित करना

अनुच्छेद 37 शासन के मूल अंग

अनुच्छेद 38 लोक कल्याण हेतु राज्यो की सामाजिक व्यवस्था बनाना

अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा नागरिको के कल्याण हेतु नीति बनाना

अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतो का संगठन

अनुच्छेद 41 विकास शिक्षा बेकारी बुढाया विकलाग की दशा में राज्य कार्य शासक बने

अनुच्छेद 42 काम की न्याय और मानवोचित दशांए उपलब्धकराना

अनुच्छेद 43 विधान या आर्थिक संगठन द्वारा राज्य नागरिकों काजीवन स्तर उन्नत करेगा

अनुच्छेद 44 एक समान व्यवहार संहिता का प्रयास करना

अनुच्छेद 45 राज्य द्वारा बालको की शिक्षा की व्यवस्था करना

अनुच्छेद 46 समान के पिछडे वगो का विकास करना

अनुच्छेद 47 राज्य द्वारा आहार पुष्टि एवं जीवन स्तर उन्नत करना

अनुच्छेद 48 राज्य द्वारा कृषि और पशुपालन की अधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियोसंधारित करना

अनुच्छेद 49 राज्य द्वारा राष्ट्रीय महत्व के स्मारको स्थलो और अस्तुओं का संरक्षण करना

अनुच्छेद50 न्याय पालिका को कार्यपालिका से पृथक करना

अनुच्छेद 51 अन्तर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा स्थापित करना

संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है जिन्हें पूरा करना राज्य का कर्तव्य है नीति निदेशक तत्व और मूल अध्किोर भारतीय संविधान की अतंरात्मा है ओर ये दोनो ही एक दूसरे के पूरक माने गये है। वास्तवमे नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकारों का स्थापित करना है। इनके द्वाराभारतीय नागरिको को स्वतंत्रता प्राप्त होती हैं नीति निर्देशक को स्वतंत्रता तव्व और मूल अधिकारी में मूलत समानता होते हुए भी कुछ अन्तर भी परिलाक्षिति होतें है।

1. संविधान मे वार्णित मलू अधिकारों का स्वरूप नकारात्मक है लेकिन नीति निद्रेशक तत्वो का स्वरूप सकारात्मक है

2. मूल अधिकार बाद योग्य होते है लेकिन राज्य के नीति निदेशक तत्व बाद योग्य नहीं होते हैं।

3. मूल अधिकार व्यक्ति के लिए बनायें गये है जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए बनाये गये है।

4. मूल अधिकार व्यक्ति को संविधान ने प्रत्यक्षत प्रदान कियें है लेकिन नीति निदेशक तत्वो का उपयोग व्यक्ति तभी का सकता है। जब राज्य इन्हें विधि पूर्वक कार्यान्वित करें।

5. मुल अधिकारी का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि नीति निद्रेशक तत्वों का क्षेत्र व्यापक होता है।

6. मूल अधिकार सावभौमिक नहीं है,क्योकि इन पर कुछ प्रतिबन्ध भी है, जबकि नीति निदेशक तत्वों पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है।

राज्य के नीति निदेशक तत्वो की आलोचना संविधान द्वारा राज्यो के लिए वर्णित किये गये नीति निदेशक तत्वो की विभिन्न विद्वानो ने आलोचना की है। नीति निदेशक आलोचना करते हुए प्रो के ही भुगतान बैक की इच्छा पर छोड दिय गया हैये सिर्फ संविधन निर्माताओं कीआकशओ कासंग्रहै मात्र है इन तत्वो की आलोचना के प्रमुख आधार निम्नांलित है–

1. नीति निर्देशक तत्वो को किसी तरह की वैधानिक शक्ति प्रदान नहीं की गइ है अथात ये न्याय योग्य नहीं है ये सिर्फ राज्यों की इच्छा पर निर्भय है कि वे इन्हें कहां तक लागू करते हैं। इसीलिए विद्वानो ने इन्है मात्र राजनैतिक घोषण कहा है।

2. नति निद्रेशक तत्व एक निश्चित दशन पर आधारित नहीं है। अस्पृश्यता कमबद्वता का अभाव और पुनरावृत्ति के कारण इनका उददेश्य स्पष्ट नहीं हो पाता है।

3. नति निद्रेशक तत्वो की व्यवहारिकता और औचित्य स्पष्ट नहीं है।

4. नीति निदेशक तत्व भारतीय शासन में संवैधानिक हैक्द और गतिरोथ उत्पन्न करते है।

5. अस्पृश्यता के कारण संविधान के नीति निद्रेशक तत्वो की जरूरत से ज्यादा व्याख्या करके राजनीतिक दल चुनाव में जनता को गुमराह करतें है।

6. संविधान में इन तत्वो को कुछ राजनीतिक स्वामे के कारण सम्मिलित करने से यं नागरिकों के हितों की पूर्ति नहीं कर सके।

7. नीति निदेशक तत्व केवल लक्ष्यो की चर्चा करतें है, लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधनों की नहीं।

इकाई–3

कमजोर वर्ग

भारतीय समाज में स्तरीकरण जातीय आधार पर किया जाता है। स्तरीकरण के नियमानुसार उच्च जातियो को सभी प्रकार के विशेषाधिकार प्राप्त होते है। और उनकी सामाजिक प्रास्थिति भी उच्च होती है। इसके विपरीत निम्न जातियो को अनेक प्रकार की नियोग्यताओ का सामना करना पड़ता है और उनकी सामाजिक प्रास्थिति भी निम्न प्रकार की होती है।

दलित वर्ग का अर्थ एवं परिभाषा– दलित जातियों के लिए अनुसूचित जाति शब्द का प्रयोग साइमन कमीशन द्वारा सन 1935 मे पहैली बार कया गया अंगेजो ने अर्थिक एवं सामजिक रूप से अत्यंन्त पिछड़ी जातियों को राजनीतिक संरक्षण देने के लिए इस कमीशन की नियुक्त की थी सन 1931 की जनगणाना में इन्हें बाहैरी जातियो के नाम से सम्बोधित किया गया अंग्रजी शासन काल में ही अस्पृश्यता अथवा अछूतों को दलित वर्ग में ही नाम से जाना गया सन 1935 में वैधानिक तौर पर ऐसी जातियो को अनुसूचित जातियां कहा गया दलित जातियों को सुरक्षा देने के लिये एक मनुसूची बनाई गई इस अनुसूची में जिन जातियो का नाम था वे सभी अनुसूचित जातियों के नाम से सम्बोधित की जाने लागी अस अनुसूची मे जिन जातियो का नामथा वे सभी अनुसूचित जातियों पश्चात भी संवैधानिक रूप से यही नाम प्रचलित है। इनको दलित वर्ग हैरिजन अछूत आदि जतियो के नाम से जाना जाता है।

डॉ के एन शर्मा– अस्पृश्य जातियां वे है जिनके स्पर्श से एक व्यक्ति अपवित्र हो जाये और उसे पवित्र होने के लिये कुछ कत्य करने पडे।

डॉ डी एन मजूमदार– अस्पृश्य जातियां वे है। जो विभिन्न सामाजिक एंव राजनैतिक निर्योग्यताओं से पीडित है जिनमें से बहुत सी निर्योग्यताओं उच्च जातियां द्वारा परम्परागत रूपसे निर्धारित और सामाजिक रूप से लागू की गई है। अनुसूचित जानजातियों का वर्गीकरण क्षेत्रीय आधार के अतिरिक्त भाषा अर्थव्यवस्था तथा सांस्कृतिक आधार पर भी भारत की विभिन्न अनुसूचित जनजातियों को अनेक भागो मे विभाजित किया जाता है। भाषा परिवार जैसे तो अर्थव्यवस्था के आधार पर सभी जनजातियां को चार प्रमुख भागों मेंविभाजित हैं।

शिकार करने और खाद्य प्रदार्थों का संग्रह करने वाली जनजातियां

पशुपालक जानजातियां

कृषक जनजातियां

कुटीर उद्योग तथा दस्तकारी से सम्बंधित जनजातियां लगभग पायी जाती है। सांस्कृतिक आधार पर एलविन मजूमदार तथाडॉ दुवे इनमें एलिबन द्वारा दिय गय वर्गीकरण को अधिक व्यावहारिक माना जाता है। एलविन के अनुसार पहली श्रेणी में वे जनजातियां सांस्कृतिक विशेषताएं को बनाए हुए हैं, जनजातियां है। दूसरी श्रेणी सेसांस्कृतिक परिवार्तन की प्रक्रिया

आरम्भ हो गई है। तीसरी श्रेणी की जनजातियां की जनखंख्या सबसे अधिक है। इस श्रेणी की जनजातियां कृषि के अतिरिक्त निकटवर्ती कारखाना अथवा नगरीय व्यवासायों में काम करके जीविका उपार्जित करती है। पर संस्कृति ग्रहण के प्रभाव से इनके व्यवहार प्रतिमानो परम्पराओ और सामाजिक संगठन मे तेजी से परिवार्तन हो रहा है चौथी श्रेणी की जनजातियों को एलविन ने कुलीन जनजातियां कहा क्योकि आधुनिक सांस्कृतिक के सम्पर्क को बनाएं रखा है। नागा तथा भील इन श्रेणी की प्रमुख जनजातियां है।

अनुसूचित जाति कल्याण कार्यक्रम– अनुसूचित जातियो का निर्धारण संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार किया गया है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश मे अनुसूचित जातियों को लोगो की संख्या 13.82 करोड थी जो देश की कुल तत्कालीन 34. 63 करोड जनसंख्या का 16.48 प्रतिशत है वर्ष 1981 की जनगणना की तुलना मे इनकी संख्या में थोड़ी सी कृषि हुई उस समय अनुसूचित जातियों की जनसंख्या देश की कुल आवादी का 15.75 प्रतिशत थी संविधान में इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिये अनेक उपाय सुझार गये है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग– पैसठवे संविधान संशोधन अधिनियम 1990के अन्तर्गत अनुच्छेद 338 के तहत नियुक्त किये जाने वाले विशेष अधिकारी के स्थान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियां आयोग बनाया गया है। इसमें राष्ट्रीय द्वारा पांच नियुक्त किये जाने वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ पांच सदस्य नियुक्त किये जातें है।

संसदीय समिति– अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियों के लोंगो की सुरक्षा संवैधानिक सुरक्षा उपायो के क्रियान्वयन की जांच के लियें सरकार तीन संसंदीय समितियां गठित की है। इनमें पहैली संसदीय समिति 1966 में दूसरी 1971 में और तीसरी 1973 में बनाइ गई अब इनके स्थायी समिते गठित की जा चुकी है। झ राज्यो के कल्याण विभाग रू– राज्यो और केन्द्र शासित और अन्य पिछडे वर्गों केकल्याण की देख रेख के लिये अलग विभाग है। अलग अलग राज्यों में प्रशासनिक ढांचा अलग अलग तरह का है।

स्वयंसेवी संगठन– अनेक स्वयं सेवी संगठन भी अनुसूचित जनजातियो और जनजातियों के कल्याण को बढावा संगठनो में हैरिजन सेवक संघ दिल्ली भारतीय रेडकॉस सोसायटी नई दिल्ली रामकृष्णा मिशन नरेन्द्र पुर सरकार अनुसूचित जातियों के काम करने वाले स्थानीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनो को अनुदान सहायता भी उपलब्ध कराती है।

छुआछुत के खिलाफ कानून– छुआछुत की कुप्रथा को बढ़ाया गया है। और इसके दण्डत्मक प्रावधानों को व्यापक संशोधन किये गयेंहै और इसे नागरिकअधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दिया गया है। संशोधित अधिनियम 19 नवम्बर 1976 से लागू हो गया है।

बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर फाउण्डेसन– इसकी स्थापना 24 मार्च 1992 को एक पंजीकृ त सोसायटी के रूप में की गई थी फाउण्डेसन को भारत रत्न बाबा डॉ भीमराव अम्बेडकर के जन्म शताब्दी समारोह के दौरान सुनिश्चित किये गये काग्रक्रम और योजनाओं को लागू करने उनकी देख रेख और प्रबंन्धकी जिम्मेदारी सौपी लाइब्रेरी बाबा साहेब के विचारो और

आदर्शो पर डॉ अम्बेडकर पीठ की स्थापना डॉ अम्बेडकर के जीवन और उददेश्यो पर सेगोष्ठी सम्मेलन कार्यशाला प्रदर्शनी और मेलो आदि विभिन्न कार्यकमो का आयोजन।

पिछडे वर्गों का कल्याण– संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्यो को नागरिक केसामाजिक और शैक्षिण दृश्टि से पिछडे वर्गो और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगो के उत्पान के लिये विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों से सम्बंधित विशेष प्रावधान इसी भाग के अनच्छेद 340 में पिछड़े वर्गों की स्थिति का पता लगाने के लिए आयोग गठित करने की व्यवस्था की गई है। सरकार ने अनुच्छेद 15 और 16 पर गभ्भीरता से विचार किया और 1979 में द्वितीय पिछडा वग्र आयोग मण्डल का गठन किया 13 अगसत 1990 को एक सरकारी श्रापन जारी किया गया जिसमे अन्य पिछडे वर्गों को भारत सरकार के अन्तग्रत आने वाली सिविल सेवाओ और पदो मे 27 आरक्षण देने का फैसला किया गया इस ज्ञापन की प्रतिक्रियाओ स्वरूप अन्य पिछडे वर्गों को आरक्षण परप्रश्न उठाते हैं। उच्चतम न्यायलय में कई याचिकायें दाखिल उच्चतम न्यायलय ने 16 नवम्बर 1992 के अपने आदेश द्वारा सभी याचिकाओं का फैसला किया कि 13 अगस्त 1990 के सारकारी ज्ञापन का लागू किरतें समय अन्य पिछडे वर्गों में सामाजिक दृष्टि से आगे बढे हैये अति समृद्व तबके भारत सरकार ने अति समृद्ध तबके की पहचान करने के लिए 22 अगस्त 1998 को एक विशेषज्ञ समिति बनाई इस समिति की सफिारिस के आधार पर भारत सरकार ने 8 सितम्बर 1993 को एक ज्ञापन जारी किया जिसमें अन्य बातो के अलावा भारत सरकार के अनतग्रत आने वाली नौाकारयिो में अन्य पिछडे नहीं वर्गों में अति समृद्ध तबके के लोगो को आरक्षक नहीं दिया दिय जाने की व्यवस्था है। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 आरक्षण को पूरी तरह लागू करने के उददेश्य से इन वर्गों को ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही है।

अनुसूचित जातियां जनजातियों के उमीदवारो की ही तरह 13 अक्टूबर 1994 से उनके लिए भी लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के मानदण्डो में ढील दी गई है।

25 जनवरी 1995 को सरकार ने नौकारियो में सीधी भर्ती के वक्त अन्य पिछडे वगो को उमीदरवारों को अन्य पात्रता होने पर उपरी आयु सीमा में उसाल की छूट देने तथा सिविल सेवा परीक्षा में शामिल होने के 7 अवसर प्रदान करने के निदेश भी दिये है।

अल्पसंख्याकों का कल्याण– सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर पांच समुदायो मुस्लिम सिख ईसाइ बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्याको के रूप में अधिसूचित किया है। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार देश की कुल जनसंख्या का 17 प्रतिशत हिस्सा अल्पसंख्या समुदायो का था भारत के संविधान में अल्पसंख्याको के हितों की रक्षा का प्रावधान है। और अपनी भाषा लिपि और संस्कृति का संरक्षित रखने एव अपनी इच्छानुसार शैक्षिक संस्थाए स्थापित करने एवं चलाने संबंधी उनके अधिकारो को मान्यता प्रदान की गई है। इन सवैधानिक अधिकारो का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है।

अल्पसंख्यको का काल्याण– अल्पसंख्यको के कल्याण के लिये 25 सूची काय्रक्रम का उददेश्य अल्पसंख्यको के जान माल की हिफाजत करना सरकारी नौकारियो में अल्पसंख्याको का खासतौर पर ध्यान रखना विकास कार्यक्रमों में उनके साधन भेदभाव रोकना और उन्है आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।

धार्मिक अल्पसंख्यको का संरक्षण– सवंधान में बतायें गये विभिन्न उपायों तथा कानूनो पर कारगर तरीके से अमल सुनिश्चित करने के लिये जनवरी 1978 में अल्पसंख्यक आयोग गठित किया गया आयोग अल्पसंख्यको क बारे में केन्द्र और राज्य सरकारो कृकार्यान्वयन की नीतियों की समीक्षा करता है। आयोग हैर साल सरकार को अपनी रिर्पोट देता है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यको विकास और विता निगम– सरकार ने पांच अरब रूप्ये की शेयर पूंजी वाले राष्ट्रीय अल्पसंख्यको विकास और वित निगम की स्थापना की है। निगम अल्पसंख्यको समुदाय के पिछडे वर्गों के कल्याण के लिये अथ्रिक और समुदाय के पिछड़े वर्गों के विकास सम्बंधी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। मौलवा आजाद एजुकेशन फाउडेशन रू– मौलाना आजाद एजुकेशन फाउण्डेसन की स्थापना एक सोसायटी के रूप में की गयी थी जिसका उददेश्य अल्पसंख्याको विशेष रूप से पिछडे तथा अन्य लोगो में शिक्षा का प्रसारकरना था मौलवा आजाद एजुकेसन फाउण्डेसन विभिन्न गतिविधियां को धन देने के लिये एक सग्रहै कोस बनाने के लिए भारत सरकारफाउण्डेंसन अनुदान सहायता देती है।

पिछडे वर्गों से सम्बंधित आयोग– हिन्दू जति व्यवस्था में अछुत समझी जाने वाली जातियों के अतिरिक्त दूसरी निम्न जातियां भी समय समय पर अपना दशा में सुधार करने और अपने अधिकरो की माग करने के लिये अनेक आन्दोलन करती रही है। असके लिये ज्योतिबा राव फूले ने सन 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की फुले स्वयं भाली जाति के थे। पिछड़ी जातियों के लोगों ने उनके नेतृत्व में स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने तथा निम्न जातियां के लोगो में शिक्षा का पसार करना आशय कर दिया इस आंदोलन का कोई

राजनीतिक उददेश्य नहीं था काका कालेलकर आयोग– संविधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के आदेश दिनांक 29 जनवरी सन 1953 के अनुसार काका कालेककर की अध्यक्षता में पहला पिछडा वर्ग आयोग नियुक्त कियागया इसका काम सामाजिक एवं शैक्षाविण ऐसे वर्गो कसौटिया निधारित करना तथा ऐससे ऐसे वगो कीसूची तैयार करना पिछड़े वर्गों की विभिन्न दशाओं को ज्ञात करना ऐसी संतुतिया देना जिसेस सरकार द्वारा उनकी अर्थिक स्थिति में सुधार किया जा सके।

मण्डल आयोग– राष्ट्रपति के एक अन्य आदेश के आधार पर 1 जनवरी 1979 को द्वितीय पिछडी वग्र आयोग की नियुक्ति हुई इस आयोग के महत्वपूर्ण के बीपी मण्डल थे अत इस आयोग को मण्डल आयोग के नाम से जाना जाता है। पहले आयेगा की तरह इस आयोग को चार कार्य सौपे गये–

- सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछडे वर्गो को परिभाषित करने के लिये कसौटियां तय करना
- उनके विकास के लिये किये जाने वाले प्रयत्नो के बारे में सुझाव देंना नियुक्तियों में उनके लिये आरक्षण के प्रावधान की आवश्यकता पर विचार करना तथा आयोग द्वारा
- एकत्रित तथ्यों के आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना

- आयोग ने दिसम्बर 1980 में अपनी रिर्पोट प्रस्तुत की यद्यपिइ स रिपोर्ट को संसद के सामने अप्रैल 1982 में प्रस्तुत किया गया।

सामाजिक न्याय– बहुत सामान्य रूप से समाज के कमजोर वंचित या शोषित व्यक्तियो को उनको समुचित अधिकार देने की प्रक्रिया को ही हैम सामाजिक न्याय कहतें है। इसी आधार पर भारतीय संविधान के निति निदेशक तत्वो मे यह स्पट किया गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्थाओं में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विद्यमान हो सामाजिक न्याय की अवधारण को स्पट करने के लिये न्याय के चार विभिन्न प्रकारो को समझना आवयश्कता है।

- विधिक न्याय वितरण सम्बधी न्याय
- सामाजिक न्याय संरक्षात्मक न्याय

विधिक न्याय– विधिक न्याय बहुत स्पष्ट और सरल होता है। जो किसी भी बाद की सुनवायी और साक्ष्यो के आधार पर न्यायलय द्वारा दिया जाता है। इस प्रकार विधिकन्याय का सम्बंध लोगो के मौलिक अधिकारो की रक्षा करने तथा कानूनके समक्ष सभी लोगो की समानता को बनाए रखने से होता है।

वितरण सम्बंधी न्याय–समाज के संसाधन सुविधाओ लाभो और अधिकारो का समाज के विभिन्न वर्गो में इस तरह वितरण करना है। जिससे उनमें व्याक्त असमानताओं को कम से कम किया जा सके वितरण सम्बंधी न्याय का तात्पर्य है। एक ऐसी दशा से है जिसके अर्न्तगत प्रत्येक व्यक्ति को इस तरह के अवसर प्राप्त हो कि वह अपनी योग्यता को बढ़ाकर विभिन्न वस्तुओ और सुविधाओं को अपने अधिकार में ले सकें।

सामाजिक न्याय– अमरीकी विचारक जान रावल्स ने अपनी पुस्तक थियरी आफ जस्टिस में सामाजिक न्याय को एक ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट किया है। जिसमें ताकिक व्यवस्था पर अज्ञानता की चदार डालकर कुछ थोडे से लोग संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था के नाम पर ऐसी प्रणालियां की उपयोगिता सिद्ध करने का प्रयतन करतें है, जिनके द्वारा वे अपने हितों को पूरा कर सके।

संरक्षात्मक न्याय–संरक्षात्मक न्यायकी अवधारणा न्याय के परिणाम सिद्वां से जुडी हैइ है। इसका तात्पर्य है कि यदि समाज के विभिन्न वर्गों को अवसरो की समानता देने कें विभिन्न वर्गों को अवसरो उसका परिणाम अलगॉव शोषण अथवा बढती है। आर्थिक असमानताओ के रूप में स्पष्ट होता रहे तो इसे सामाजिक न्याय नहीं कहा जासकता सामाजिक न्याय का मुख्य सम्बंध समाज के उन वर्गों को विशेष संरक्षण तथा सुविधाएं देना है जिनकी सहायता से वे पहले से ही अधिकार प्राप्त लोगो से प्रतिस्पर्धा योग्य बन सके।

अनुसूचित जातियों की समस्याओं के हल के लिये संवैधानिक संरक्षण– स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हैरिजानो के उत्थान के लिये किये गये प्रयत्नो मे सर्वप्रथम उल्लेख नीय उनके लिये सवैधानिक रक्षा है। स्वतंत्र भारत के संविधान में उनकी निर्योयताओं को करने दूर के सम्बंध में नियम रखे गये हैं, जैसे– अस्पृश्यकता अपराध अधिनियम 1955। केन्द्रीय सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 15 को विस्तारपूर्वक लागू करने के लिये इस अधिनियम

को पास किया औरयह कानून के रूप में 1 जून सन 1955से लागू हुआ इस अधिनियम की मुख्य धाराएं निम्नवत है प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सर्वजनिक पूजा के स्थान में प्रवेश करने की स्वतंत्रता होगी प्रत्येक व्यक्ति किसी प्रकार के पूजा प्रार्थना या दूसरे धार्मिक संस्कार करने में स्वतंत्रता होगी संस्कार करने में स्वतंत्रता हैागी प्रत्येक व्यक्ति को धर्म सम्बंधी पवित्र नदी तालाब आदि मे नहाने या पानी देने की स्वतंत्रता होगी प्रत्येक व्यक्ति को किसी दुकान जलपान ग्रहै होटलो या सार्वजनिक मनोरंजन क स्थान में प्रवेश करने और धर्मशालाओं तथा अन्य चीजो को व्यवहार में लाने की स्वतंत्रता होगी किसी भी नदी कुएं नल श्याशन या कब्रिस्तान के स्थानो को व्यवहार में लानेकी स्वतंन्त्रता होगी किसी भी मुहल्ले में जमीन खरीदने मकान बनवाने और रहने की स्वतंत्रता होगी प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी सामाजिक चिकित्सालय औवधालय शिक्षा संस्था या छात्रावास में प्रवेश करने का अधिकार होगा और वहां प्रत्येक के साथ समान व्यवहार किया जायेगा अस्पृश्यता के आधार पर कोई भी दुकानदार किसी भी व्यक्ति को कोई चीज बेचने या सेवा करने से इन्कार नहीं कर सकता है। धारा इस कानून के किसी भी नियम को मानने या अस्पृश्यता को बढावा देने वालो का दण्ड किया जायेगा ये दण्ड 6 माह की कैद या 500 के जुर्माने या दोनो ही सकतें है।

मानवधिकार अफ्रीकी चार्टर– 1961 मे लागोस नाईजीरियों में विधि शासन पर अफ्रीकी सम्मेलन मे मनवा धिकारो की रक्षा के लिये क्षेत्रीय अभिकरण की स्थापना का प्रस्ताव पारित किया गया सम्मेलन मे एक संकल्प पारित किया गया जिसके अनुसार अफीकी सरकार को ऐसे ढंग से अफ्रीकी मानवाधिकारअभिसमय कोस्वीकार करने की संभावना का अध्ययन करने हैतु आमंत्रित किया गया जिसके अर्न्तगत वह समुचित अधिकारिता के न्यायलय कीस्थापना करे ताकि इस सम्मेलन के निष्कर्ष कीसुरक्षा हो सके एवं सभी व्यक्तियों के लिये हैस्ताक्षरकर्ता राज्यो की अधिकारिता के अधीन इसका आश्रम उपलब्ध हा सके इसी प्रकार का एक प्रस्ताव 1966 मे डाकर मे आयोजित काएक प्रस्ताव विकासशील देशो मे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अध्यायन गोष्ठी के दोरान भी किया गया था परन्तु भाग लेने वाले राज्यो के बीच असहैमति होने के कारण इसपर गंभीरता से विचार नहीं हो सका और किसी भी क्षेत्रीय अभिसमय को अतिमरूप् नहींदिया जा सका परन्तु अफ्रिकी एकता संगठन ने 50 में से 49 सदस्यों द्वारा अफीकी मानवधिकार चार्टर को स्वीकार किया गया जिसमें मानव तथा व्यक्तियो से अधिकारो के लिये अफ्रीकी आयेगा के गठन कीव्यवस्था है एक एक अर्द्वन्यायिक निकाय है तथा इसे अन्तर्राज्यिक और व्यक्तिगत यचिकाओ को निपटाने का अधिकार है यह चार्टर 21 अक्टूबर 1986 को लागू हुआ।

पिछडे वर्ग और आरक्षण– प्रथम पिछडा वर्ग आयोग जिसको काका कालेलकर आयेगा कहा जाता है। की नियुक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के आधीन राष्ट्रपति आदेश द्वारा जनवरी 29 1953 को भी गई थी इस आयोग ने अपनी रिपोट मार्च 30 1955 को प्रस्तुत किया जिसमे 2399 जातियां सामाजिक और शैक्षिण द्रष्टि से पिछडी सूची की गई थी केन्द्रीय सरकार ने इस रिर्पोट को स्वीकार नहीं कियां मण्डल आयोग ने सामाजिक शैक्षिण और अर्थिक तीनो द्रष्टिोकोण से पिछडे वर्ग का अवधारण किया परन्तू जाति को प्रमुख आधार माना अन्वेषण करने के बाद आयोग का निष्कर्ष था कि अनुसूचित जाति और जाजाति को छोडकर अन्य पिछडे वर्ग की संख्या भारत की कुल जनसंख्या का52 प्रतिशत है। इस आधर पर सुझाव देतें हैए आयोग ने सिफारिश की कि अन्य पिछडे वर्ग के पक्ष में लोग सेवाओं मे 27 प्रतिशत आरक्षण किया जाना चाहिए अपनी रिर्पोट में आयोग ने यह भी

कहां कि जिन राज्यो में पहले से ही आरक्षण 27 प्रतिशत से अधिक चला जा रहा है। उसे कायम रहनाचाहिए यह बात भी आयोग द्वारा स्पष्ट कर दी गई कि जो व्यक्ति खुली प्रतियोगिता के माध्यम से नियुक्त किये जाएगे उनकी 27 प्रतिशत में गणना नहीं की जाएगी आयोग द्वारा प्रोन्नति में भी माध्यम से नियुक्त किये जाएगा उनकी भी आरक्षण करने की सुस्तुति की गई योजना विश्वविद्यालयो और सम्बद कालजो में भी लागू की जाए इस योजना को सरकार के आधीन सार्वजिनक क्षेत्र के उपकमो और बैको में के अनुसार निजी क्षेत्रो के उद्योगो मे आरक्षण की योजना लागू की जाए यदि उनको किसी भी रूप से सरकारी सहैयाता दी जाती है।

मण्डल आयोग रिर्पोट की समीक्षा– मण्डल आयोग रिर्पोट में कई खामियां है। आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़ी जातियों का निर्धारण किया है। 1931 से 1990 के बीच का समय बहुत लम्बा है अनेक जातियां जो 1931 मे सामाजिक और शैक्षिण से पिछडी थी. वर्तमान काल में रखा जाए अथवा न रखा जाए पिछडे वर्ग मेंरखा जाए अथवा न रखा जाए मण्डल आयोग रिर्पोट जाति आधारित आरक्षण की परिकल्पना करती है। जबकि संविधान में सामाजिक और शैक्षिण से जातियों के प्रति 1 मण्डल आयोग रिपोर्ट जाति पर आधारित आरक्षण का प्रावधान करके जातिवाद को बढावा देती है।

मण्डल आयोग रिर्पोट का कार्यान्वयन– जनता दल सरकार नेमण्डल आयोग रिर्पोट को 13 अगस्त 1990को एक आफिस ज्ञापन करके लागू कर दिया जिसके द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति को छोड़कर पिछड़े वर्ग के पक्ष में जो सामाजिक और शैक्षिक द्रष्टि से पिछडे थे 27 प्रतिशत स्थानो को आरक्षित कर दिया गया आरक्षण सीधी भर्ती को ही लागू किया गया सामाजिक और शैक्षिक से पिछडे वर्ग जिनकी नियुक्ति खुली प्रतियोगिता से होती हैंउनकी गणाना 17 प्रतिशत के कोटा में नहीं की जानी थी।

कार्यान्वयन के विरूद आन्दोलन– जैसे ही मण्डल आयोग की रिर्पोट लागू की गई देश में व्यापक आन्दोलन इसके विरूद प्रारम्भ हो गया इसके विरोध में अनेक मेंधावी छात्रो नक आम्मदाहै कर लिया नवयुवके और लोक सम्पति कोभारी क्षति पहुंचाई गई। लत्कालीन प्रथममंत्री बी. पी. सिंह की सारकार जिसने मण्डल आयोग की सिफारिश स्वीकार की थी न्यायलय की विशेधाज्ञा कीमी लेअर को आरक्षाण से अपवर्जन करने के बावजूद यह देखना है कि क्या वास्तव में कायदा पिछडे वर्गों को मिलता है।

कार्यपालिका आदेश द्वारा आरक्षण– अनुच्छेद 164 के अधीन आरक्षण सेसंबंधित उपबंधो को संसद अथवा राज्य विधानमण्डल द्वारा ही बनाय जाना आवश्यक नहीं है। राज्य के अधानी सेवाओ के आरक्षण के लियें अनुच्छेद 164 के अर्न्तगत उपबंध कार्यपालिका आदेश द्वारा भी किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 13 3 के अधरीन कार्यपालिका आदेश भी विधि है। ऐसा आदेश उसी क्षण से प्रभावी और प्रवर्तनीय है। जिस समय वह बनाया था निर्गगत किया जाता है।

अनुच्छेद 16 1 और 16 4 के बीच सम्बंध– मण्डल आयोग का मामला अनुच्छेद 16 1 और 16 4 के बीचपारस्परिक सम्बंध परएक बहुत और संरचनात्मक विवेचना है। और बहुत से विवादस्पद विवाद्याको का समाधान करता है। लेकिन इसके साथ अन्य विवाधको को भी जन्म देता है। अनुच्छेद 16 4 अनुच्छेद 161 का अपवाद नहीं है। अनुच्छेद 16 4 अनुच्छेद

16 1 में विवक्षित और अनुज्ञात वर्गीकरण का एक द्रटान्त है। या अनुच्छेद 16 1 में विवक्षित सिद्वांत को सुनिश्चित रूप से कहने का एक प्रकार है। अनुच्छेद 16 1 अनुच्छेद 14 का एक पहलू है अत वह मुक्ति युक्त वर्गीकरण और सकारात्मक कार्यवाही को अनुज्ञात करता है। अनुच्छेद 16 4 पिछडे वर्ग के पक्ष में आरक्षण के बारे मेएक निशेष उपबंध है इसके अर्न्तगत आरक्षण की परिधि में सभी अधिमान रियायतें और छूटो सम्मिलित है।

अनुच्छेद 16 4 साधारण आरक्षण की संकल्पना के निशेष उपबंध नहीं असाधारण स्थितियां में अन्य वर्गों के पक्ष में अनुच्छेद 16 1 के अधीन भी आरक्षण किया जा सकता है। परन्तु अनुच्छेद 16 1 के आधीन किया गया आरक्षण इस प्रकार समायोजित और प्रवार्तित किया जाना चाहिए कि वह पिछडे वर्गों और प्रवर्तित किया जाना चाहिए किवह पिछडे वर्गों के लिये विहित प्रतिनिधित्व का स्तर पर न कर सके।

शैक्षिक संस्थाओ में प्रवेश स्थानो का आरक्षण– आरक्षण का प्रश्न एक अत्यन्त ही पेचीदा सामाजिक राजनीतिक मुदद्रा हो गया है। चूंकि देश में अवसरो की उपलब्धि सीमित है। इसलिए उनके लिये प्रचण्ड प्रतियोगिता का होना स्वाभाविक है। सरकार पर भारी भरकम दबाव डाला जाता है। कि वह अनुसूचित जातियो अनुसूचित जनजातियां और पिछडे वर्गों के लिये ही नहीं बल्कि सभी समुदायो के लिये सब लिये ही नहीं आरक्षण को सुनिश्चित करे आरक्षण कोटा वाले को अनारक्षित कोटा वाले से वरीयता मिलेगी विभिन्न कोटि वाले से वरीयता मिलेगी विभिन्न कोटि के व्यक्तियो के बारे में शैक्षिण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षाण के प्रश्न के विषय में न्यायलयों के समक्षमामले भारी भरकम संख्या में आए दिल्लीविश्वविद्यालयो में व्वचा विज्ञान स्नातकोत्तार पाठयक्रम में प्रवेश के लिए दिल्ली स्नातेका के निमित 70 प्रतिशत में प्रवेश के लिए दिल्ली स्नातको इस आरक्षण को जगदीश सरन बनाम भारत संघ कोमामले में चुनौती दी गई उच्चतम न्यायलय ने अपना मत त्यक्त करते हुऐ कहाकि किसी जिसकी अनुच्छेद 14 और15 मेंकोइ मंजूदी नहीं प्राप्त है दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्याथ्रियो के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है किवे पिछडे वर्ग का सृजन करतें है।

योजनाकाल में जनजातीय विकास

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1951 से 31मार्च 1956)– प्रथम पंचवर्षीय योजनावधि के समय वर्तमान मध्यप्रदेश चार राज्यो महाकौशल मध्य भारत विन्हैय प्रदेश तथा भोपाल से विभाजित था ये चारो राज्य अदिवासियों के विकास हैतु अलग अलग रूप से कार्य कर रहें थे वैसे इन राज्यों में इन अनुसूचित जनजातियां के कल्याण पर कुल मिलाकर 308.04 लाख त्याय कियेंमहाकौशल क्षेत्र में 30 आदिवासी कल्याण केन्द्र स्थापित गये। इनके अर्तगन्त केन्द्र पर एक एक मिडिल स्कूल तथा छात्रवास खोला गया योजना के अन्त तक इस क्षेत्र में 782 प्राथिमिक शालाएं 61 मिडिल स्कूल एवं 61 छात्रावास हो गये जिनमें तहत बालवाडियो प्रायभरी स्कूल एंव छात्रावास तथा कुटीर उधोग का प्रशिक्षण केंन्द्र प्रारभ किया गया भोपाल राज्य में 3 आश्रम स्कूल 10 नये प्राइमरी स्कूल अनुदान दिये गये कुएं खोदे गये।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961) –द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल मे वर्तमान मध्यप्रदेश का गठन हो गया था पर योजना का निम्मण पूर्व में हो जाने के कारण पुर्व की चारो राज्य इकाइयों के आधार परही योजना का प्रारूद तैयार किय

गया इस योजना में आदिवासी यो के कल्याण हेतु राज्य के हिस्से 185.06 लाख सहित काल मेंशिक्षा स्वास्थ्य सेवाओ विविद्व आदि खाली गइ साथ ही तथा बनो प्रोत्साहन दिया गया।

तृतीय पंचवर्षीय योजनारू (1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966) —1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश के जन्म के पश्चात यह इस राज्य की पहैली योजना थी जिससे आदिवासियो के कल्याण के लिये समायोजित योजनाएं बनाई गई साथ ही सामान्य काग्रक्रम का एक तय अंश जनजातियां क्षेत्रो में ही व्यय करने का निश्चय किया गय इसी योजना काल में आदिम जाति हैरिजन कल्याण विभाग पुनर्गठित किया गया इस ततीय योजनाकाल मे आदिवासी विकास कार्यक्रमो परकु1021.61 लाख रूपये खर्च किये गये जिसका 60 प्रतिशत सिर्फ आर्थिक विकास के कार्यक्रमो परव्यय किया गया शिक्षा पर 30.24 एवं 99.67 लाख स्वास्थ्य तथा अन्य कार्यक्रमो पर व्यय हुए।

तीन वार्षिक योजनाएं (1966–67, 67–68एवं 68–69)–तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद चतुर्थ योजना देरी से प्रारम्भ हुई इस कारण इस बीच की समयावधि मेंएक एक कीतीन योजनाएं चलाइ गई इस योजनावधियों मेंप्रदेश में दस नये आदिवासी योजनाओ मेप्रेदश में कार्यन्वयन का दायित्व आदिम जात कल्याण विभाग को सौपा गया इसके पहले यह दायित्व योजना विभाग का था विकास पर 224 लाख शिक्षा परएवं 29 लाख शिक्षा परएंव अन्य परियोजनाओ पर व्यय किये गये चतुर्थ।

पंचवर्षीय योजना– 1969 1974 इस योजनावधि में पूर्व की अपेक्षा जनजातियां विकास परज्यादा ध्यान दिया गया आदिवासी पूरक योजनाओं में प्रस्तावित धनराशि बढाई गई विकास हेतु सुविधएं बढाई गई छोटे तथा गरीब आदिवासी को भूमि सुधार के लिये और अनुदान दिये गये बीज खाद तथा बैल खरीदने के लिये काफी छूट दी गई शिक्षा आयोग द्वारा आयोजित कीजाने वाली परीक्षाओ लिये अदिवासी युवको हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारभ किये गये।

राजनीतिक आरक्षण– अनुच्छेद 330 332 और334 के अर्न्तगत लोकसभा और राज्यो की विधानसभओ में अनुसूचित जातियो के प्रतिनिधि लोकसभ मं 79 और राज्य विधमिकाओ मे 557 स्थान अनुसूचित जातियां के लिये आरक्षित है।

रोजगार में आरक्षण– संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार ऐसी कि भी पिछडे वर्गको आरक्षण देने की अनुमति दी गई जिसके वारे मं राज्य को यह लगता हो कि उसे सरकारी नौकरीयों मे उचित प्रतिनिधि नहीं मिला है इस प्रावधान के अनग्रत सरकार नौकारियो मे उचित प्रतिनिधित्व और सेवाओ में अनुसूचित जतियो के लिये उनकी जनसंख्या के अनुपात मे आरक्षण की व्यवस्था की संविधान के अनुच्छेद 335 मे सांध या राज्य की गतिविधियों से सम्बधित किसी भी।

शैक्षिण व तकनीकी– संविधान के अनुच्छेद 15 4 के तहत सभी राजकीय शिक्षण व तकनीकी संस्थाओंमे अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिये 15 प्रतिशत स्थानो को आरक्षित करने का प्रावधान है अनुसूचित जातियां के आर्थिक और शैक्षिण पिछडे पन को देखते हैयें उनके बच्चो को शिक्षा कीबओर आकर्षित करने के उददेश्य से सरकार ने छात्रवृत्ति योजनाएं प्रारंभ की है।

विभिन्न समूहों की समस्याएं– दलित से यहा आशय उन लोगो से है। जो संविधान की धारा 341 तथा के अन्तंगत अनुसूचित जातियां की श्रेणी में रखे गए है। देश में इनकी संख्या का उल्लेखनीय भाग है। नियोग्यताओं एवं आर्थिक पिछडे पन कोदूर करने तथा उन्है विशेश्स सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक सुरक्षा प्रदान करने कीसे निर्मित की गई है।

जाति पर आधारित समाज व्यवस्था में व्यवसाय जाति के आधार परनिश्चित होता है। व्यक्ति जिस जति में जन्म लेता है। उस जाति का व्यवसाय है वह अपना सकता है बहुत कुछ इसी वजहै से जाति व्यस्था का संस्थागत का चरमरूप कहा जाता है। परम्परात्मक रूप से अपने भूस्वामी की सेवा तथा निम्न व गन्दे कार्यों का सम्पादन की दलितो की नियंति मे रहा हैं दलित जातियो को आजीविका के लिये मजदूरी परनिर्भर रहना पड़ता है।

1. बधुआ मजदूरी– बधुआ मजदूरी के बदले मे आदमी के श्रम को गिरवरी रखने की प्रथा है अनुसूचित जाति एंव जनजाति के आयुक्त कीइक्कीसवी रिर्पोट 1974 240 के अनुसार एक व्यक्ति किसी के बदले में अपने को अथवा कभी कभी अपने परिवार के किसी सदस्य को का गिरवी रख देता है। गिरवी कर्ता अथवा उसके नामित व्यक्ति का केवल चुका देने पर ही छोड़ा जाता है।

मजदूरी की निम्नदर और निर्धनता–हम देख चुके हैकि आधे से अधिक हरिजन जातियो लोग मजदूरी पर निर्भर करतें है। एक तो खेती बरह मासी व्यवसाय नहीं है इसमे तीन से 6 महीने तक मजदूरी पर निर्भर करते है। इसमे तीन से काम लाभकारी व्यवस्था होने से भू स्वामी अपने जितना कठोर श्रम करना पडता है ओर उन्हें जितनी कम मजदूरी मिलती है उतनी शयद अन्य किसी मजदूर को नहीं न्यूनताम मजदूरी निर्धारत करने अधिक प्रयास की नहीं हुए हैं।

ऋण ग्रस्तता– मजदूरी की निम्नदर और निर्धरता का जीवन विताने के कारण अनुसूचित जाति के लोगो का ऋण ग्रस्त होना स्वाभामिक है धरेलू खर्च तथा विवाहै मृत्यु व लिये इन्हें साहूकारों से ऋण लेना पडता है अनुसूचित जाति और जनजातिया के आयुक्त की इक्कीसवी रिर्पोट के अनुसार अनुसूचित जातियां के जाति एवं जनजाति के आयुक्त की 23 छोटे सीमान्त मे 75 से 70 परिवार कर्ज में डूवे हैं है।

आर्थिक विकास– सामाजिक और आध्यमिक उन्नति लेकिन जब तक उची बाते क्यो न की जाएं स्थिति में सुधार नहीं किया जाता उनकी दशा में कोई फर्क नहींआ सकता है। इस तथ्य से गांधी अम्बेडकर तथा राज नेता और योजनाएं कर अच्छी तरह अवगत थे बहुत कुछ इसीलिए शासन क 20 सुकीय कार्यक्रम और विशेयरूप से छठी योजना के उददेश्य के निर्धारण में अनुसूचित जातियों जनजातियां क आर्थिक विकास कार्यक्रम को उच्च प्राथमिक कद गई है। वास्तव में आर्थिक पिछडेपन का धनिष्ट सम्बंध इन अत्याचारो से है क्योकि यह देखा गया है कि इनके उपर अत्याचार प्राय तब अधिक होता है जब ये अपने हैक जैसे उचित मजदूरी अथवा आवंटित जमीन पर कब्जा दिए जाने कीमांग करतें है।

कृषक– ग्रामीण जीवन कीसभी समस्याओ मे कृषक असन्तोष आज भी वह सार्वधिक गभ्भीर समस्या है। जिसके फलस्वरूप्यहां अतीत मे समय समय परविभिन्न आंदोलन होते रहें ही

प्रो आन्दे बिते का विचार है कि अब ग्रामीण जीवन की सर्व प्रमुख समस्या है लेकिन अब तक इस प्रयास हुए है। यह स्थिति वास्तव में इस समस्याके प्रति समाजशास्त्रियो और मानव शात्रियो की उदासीनता को स्पष्ट होता है कि उस समाय की व्यवस्था अत्यधिक सरल थी स्वतंत्रा के बाद भारत मे जमीदारी प्रथा समाप्त हो गई तथा भूमि अधिकारो का विकेन्द्रीकरण किया जाने लगा तथा भूमि अधिकारो का विकेन्द्रीकरण किया जाने लगा स्वतंत्रता से पूर्व तक गांवो मे ृकेवल जमीदार ओरभूमिहीन जैसे केवल दो ही वर्ग थे परन्तु भूमिहीन जैसे केवल दो ही वर्ग थें परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भूस्वामित्व के आधार पर गांवो में अनेक वर्गों का निर्माण होने लगा।

भूमिका असमान वितरण– भारत मे जमीदारी उन्मूलन के पश्चात भूमि के असमान वितरण को समाप्त करने के लिये अनेक अधिनियम पारित किये गये लेकिन उनसे को कोई उल्लेखनीयस लाभ प्राप्त नहीं हो सका गांव में आज ऐसे है जो या तो बहुत के रूप मे है इस प्रकार ओर बडे भू स्वामी की स्थिति दिन प्रतिदिन सुद्रढ बनती जा रही है जबकि सीमान्त और छोटे किसानो की स्थिति पहले से की अधिक दयनीय हो गइ है।

कृषकों में जागरूकता– परम्परागत भारतीय कृषक अत्यधिक रूढिवादी अधविश्वासी भाग्यवादी और अपनी स्थिति के प्रति निराशावादी थें उनकी यह धारण थी कि उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति स्वयं उनके भाग्य नगरीयता तथा परश्चात संस्कृति के प्रभाव से इस धारण में व्यापक परिवर्तन हैयें उनके भाग्य नगरीयता तथा प्रभव से अस धारण में व्यापक परिवर्तन अधिकारो के प्रति अब कही अधिक सजग हो गया है मे जैसे जैसे जागरूकता बढती जाती है उनमे आर्थिक विसमाताओं तथा अपनी स्थिति के प्रति असनतोश भी बढ़ता जाता है।

आज मे जागरूकता उत्पन्न होने का ही परिणाम है कि सम्पूर्ण भारत के कृषक संगठित होकरआंदोलन के द्वारा अपने को व्यक्त करने लगे है।

राजनीतिक कारक– हमारे देश में का बहुत बडे क्षेत्र में विखरा होना राजनीतिक कार्यकर्ताओ के लिये सदैव एक समस्या रही है । शयाद यही कारण है कि अधिकांश राजनीतिक दल सामान्य वर्ग की स्थिति की सामझाने तथा उनके निकट आने मे अधिक रूचि नहीं ले पातें इसके प्श्चात भी वर्ग का 85 भाग जो अनेक समस्याओ से गस्त था कुछ विशेश राजनीतिक दलो का गतिविधियो का केन्द्र विन्दुबन गया कुछ समय को छोड़कर भारत में कांग्रेस ही सदैव सत्ता मेंरही इसलिए इसकी ओर से असन्तोश को प्रोत्साहन दिये जाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

स्त्रियां– बीसवी शताब्दी के उत्तरार्द में नारी के अतीत का गौव पुन लौटनेलगा नारी स्वातंत्र की लहैर चली समाज तथा कानून मे नारी को पर्याप्त सम्मान तथा संरक्षण मिलने लगा जीवन कोहार क्षेत्र मे नारी पुरूश क साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगी यहां तक. कि सत्ता में भी उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो गई संविधान के अनुच्छेद 243 मेंपंचायती राज संस्थाओं में महिलाओ के स्थान आरक्षित कर दिय गये अब तो विधान सभाओं तथा संसद मे भी महिलओ के लिये स्थान आरक्षित किये जाने की माग की जाने लगी है। यहां यह कहैना उचित होगा कि जब से मानवधिकार संरक्षण कानून बना है तथा महिला आयोग का गठन हुआहै। नारी की स्थिति समाज मे और अधिक सुद्रढ होने लगी है।

- जहां कामकाजी महिलाएं हैं, वहां के नियोक्ताओं तथा अन्य जिम्मेदारी अधिकारियो का यह कर्तव्य होगा किवे कामकाजी महिलाओ के यौन शोषण का निवारण करें। उन्हें रोकने के उपाय करें और व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोजन चलाने की कार्यवाही करें।
- कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीडन के निवारण हेतु तसंबधी निर्देश सूचना पटो परप्रर्शिति किये जाएं व यौन उत्पीडन के दुश्परिणामों से जनसाधारण को अवगत कराया जाएं।
- अगर कोई व्यक्ति यौन उत्पीडन हैतु अभियोजित किया जाता है तो यह सुनिश्चित किया जाए कि पीडित महिला तथा मामले में साक्ष्य देने वाले व्यक्तियो तंग और परेशान न किया जाएं।
- अगर किसी कार्यस्थल पर कार्यरत व्यक्ति द्वारा कामकाजी महिला का यौन उत्पीडन किया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
- कामकाजी महिलाओ के यौन उत्पीडन संबंधी परिवार शिकायतो की सुनवाई हैतु शिकायत समितियों का गठन किया जाए।
- ऐसी समितियों का अध्यक्ष महिलाओं को बनाया जाए को नियुक्त किया जाए योन इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया जाए।
- किसी कामकाजी महिलाओं के साथ बाहरी व्यक्तियो द्वारा यौन उत्पीडन किये जाने पर ऐसी महिलाओं का पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया जाए।
- घटनाओं की रोकथाम हेतु समुचित विधियां बनाएं भारतीय दण्ड संहिता 1860 में भी महिलाओं के विरूद्व कारित अपराधो के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था की गई है। धारा 354 में स्त्री की लज्जा भंग धारा 366 मे अपहरण धारा 376 मे बलातसेग धारा 498 मे निदेपतापूर्ण व्यवहार और धारा 509 च 510मे स्त्री का अपमान करने को दण्डनीय अपराध घोशित किया गया है दहेज की विभिन्न से नारी की रक्षा करने के लिये दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961 मे कई महत्वपूर्ण प्रावधान कियें गये हैं।

इकाई—4

भारतीय समाज मे पिछडे वर्गों की समस्याएं भी अनुसूचित जातियों और जनजातियों की तरह काफी गम्भीर रही हैं स्वतन्त्रता के बाद अनुसूचित जातियों तथा रही है। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियो तथा अनुसूचित जनजातियों को अनेक संवैधानिक सुरक्षाएं मिल गयी लेकिन उन जातियों को कोई लाभ नहीं मिल सका जिन्है अनुसूचित जातियो की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 तथा 342 के द्वारा अनुसूचित जातियो तथा जनजातियों की स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया लेकिन शुद्ध वर्ण के अन्तर्गत निम्न स्थिति वाली जो जातियां शेष रह गयी उनके बारे में संविधान के अनुच्छेद 340में केवल इतना ही कहा गया कि राष्ट्रपति एक आदेश के द्वारा किसी ऐसे आयोग को नियुक्त कर सकते है। जो भारत में सामाजिक एवं शैक्षाणिक रूप से पिछडे वर्गो की उन दशाओ को ज्ञात करे, जिनमें उन्हें कार्य करना।

सामान्य शब्दो में कहा जा सकता है कि सवर्ण जातियो तथा अनुसूचित जातियों के बीच जो अन्य जातियां विकास के अवसरो से वंचित रही सामाजिक उन्हीं की हम पिछड़े वर्ग कहतें है। सामाजिक विकास के साथ समाज में परिवर्तन आयें है। भारत की लगभग 70 प्रतिशत आवादी आज भी गांवो मे गरीबी बेकारी भुखमरी और विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं से संघर्ष करतें हैयें जीवन मापन कर रही है। भारतीय समाज में जटिलताओं और समस्याओं के कारण स्वतंत्रता प्श्चात समाज कल्याण को एक सामाजिकन्याय और सामज सुधर के सिद्धांत पर कार्य करना पडता है। भारत में स्वतंत्रता समाज के विकास हेतु संवैधानिक लक्ष्यो की प्राप्ति के साथ ही साथ निम्नकित कल्याणकारी योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

1. अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध

2. सम्पूर्ण रोजगार

3. स्वास्थ्य रक्षक आवश्यकताएं

4. महला एवं बाल कल्याण

5. आवासीयआवश्यकता के लिये कल्याण

6. अलामकारी समूहो का कल्याण

संघर्ष— जब कुछ व्यक्तियो अथवा समूहो के बीच समझौतें की कोई सभ्भावना नहीं रह जाती प्रतिस्पर्द्वा अनियनित वे जाती है व्यक्ति एक दूसरे को हानि पहुँचाकर भी अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न करने लगतें है और समाज के आदर्श नियम व्यक्तियों के जीवन पर अधिक नियंत्रण नहीं रख पातें तब ऐसे समाज मे संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियो की इच्छाओ का दमन करके अथवां उन्हें हानि पहुँचाकर शक्ति के द्वारा भी अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न करतें है संघर्ष इस अर्थ में एक चेतन प्रकिया है किइसके अर्न्तगत एक व्यक्ति दूसरे पक्ष की स्थिति का बहुत अच्छी तरह मूल्यांकन करके उस पर अपना प्रभाव स्थापित करने की कोशिश करता है।

संघर्ष की परिभाषाएं–

प्रो. ग्रीन– संघर्ष एक ऐसा प्रयत्न है, जिसमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियो की इच्छओ का जान बूझकर विरोध किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है अथवा उत्पीडित किया जाता है।

गिलिन और गिलिन के शब्दो मे संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है, जिसमें विभिन्न व्यक्ति अथवा समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा अथवा हिसा कीध्मकी देकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करतें हैं।

संघर्ष के स्वरूप–मैकाइवर तथा पेज ने संघर्ष को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जैसे दो महैत्वपूर्ण भागो में विभाजितकिया है।

अप्रत्यक्ष संघष–जिसमे एक पक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कुछ व्यक्तियों के हितों में बाधा उत्पन्न करके अपने हितों को पूरा करने का प्रयत्न करता है। संघर्ष का यह स्वरूप वर्तमान शील जगत की एक प्रमुख विशेषता है। डेविसने संघर्ष क रूपो को आंशिक संघर्ष तथा पूर्ण संघर्ष के नाम से सम्बोधित किया है।

आंशिक संघर्ष– वह है जिसमें किसी विशेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये तो कुछ व्यक्तियो अथवा समूहों में समझौता हो गया हो लेकिन उन्हें प्राप्त करने के साधनो को लेकर।

पिछडे वर्गों के लिये आरक्षण लागू 8सितम्बर 1993– केन्द्र सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछडे वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था 8 सितम्बर 1993 से लागू कर दी गई भारत सरकार के तत्कालीन कल्याण मन्दी सीताराम केसरी ने घोसित किया कि केन्द्र सरकार की नौकारी में उन्य पिछडे वर्गों के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण8 सितम्बर 1993 से लागू हो गया है। लेकिन इन वर्गों के सम्पन्न तबके का इसका लाभ नहीं मिलेगा केसरी ने बताया कि पहले चरण में उन जातियां को आरक्षण का लाभ मिलेगा चरण में उन जातिया मण्डल आयोग की रिर्पोट और राज्य सरकार की सूचियांदोनो में , द्वारा आरक्षण की व्यवस्था लागू किये जाने के बाद उन राज्य सरकारों द्वारा राज्य के स्तर पर शामिल है। केन्द्र सरकार आरक्षण की व्यवस्था को लागू किया गया जिन राज्यो में पिछडे वर्गों के लिये अब तक आरक्षण की व्यवस्था की नहीं थी महाराष्ट्र गुजरात उत्तर प्रदेश मध्यप्रदेश और राजस्थान सहित लगभग सभी राज्यो में इसे लागू कर दिया गया है। पिछडे वर्गों के लिये विभिन्न राज्यो में आरक्षण का प्रतिशत भिन्न भिन्न है।

आरक्षण की सीमा– आरक्षणकी सीमा के सम्बन्धो में इन्द्रा साह्नैनी बनाम भारतीय संघ के विवाद में सर्वोच्च न्यायलय की 9 सदस्यीय संविधान पीठ ने अपने ऐतिहासिक निर्णय में जिसमें 9 में से 8 न्यायाधीस इसबात परसहमत थे, कहा था आरक्षण की अधिकतम सीमा 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अस्पृश्यता के विरूद्व वैचारिक संघर्ष– डॉ अम्बेडकर ने अपनी जाति के प्रति होते हैये अत्याचारो की सधन कालिमा को महसूस किया उस समय अछूतों को न मन्दिर में प्रवेश दिया जाता था न कुओ से पानी भरने दिया जाता था यहां तक कि स्कूलों में बच्चो शिक्षा ग्रहैण नहीं कर सकतें थें एवं शासन एवं सेना में उनके लिये सेंवीय अर्पित करने का कोई

अवसर न था। अतःडॉक्टर अम्बेडकर ने चेतना की पहली सतह पर सबसे पहले मन्दिरो में प्रवेश हेतु लोगों को संगठित किया स्वतन्त्रता आंदोलन सन 1857 के बाद जैसा कि इंग्लैण्ड में पुनर्जागरण से गुजरा थ वैसे ही भारत में भी पुनर्जागरण से गुजरा लेकिन इस पुनर्जागरण ने अपने आपको सवर्णों तक सीमित रखा था स्वतन्त्रता संग्राम के नेता क्रान्तिकारी जनता को अपनी धूमिल आखो से नेता कान्तिकारी जनता को अपनी धूमिल आखो से देख रहें थे अतः तिलक और अम्बेडकर के बीच देख रहें थें अत तिलक और अम्बेडकर के बीच सामाजिक विचारो में मतभेद का उग्र होना स्वाभाविक था अम्बेडकर ने अछूतो को राम के मन्दिर में प्रवेश करने का आसन किया पूंजीवादी शक्तियां जब सामंती व्यवस्था को पूंजीवादी व्यवस्था में बदलने की कोशिस करती है। तो पहैली स्थिति में प्रगतिशील ही होती है। लेकिन भारतीय समाज में उत्पादन संबध इसलियें प्राचीनकालिक सम्बधो को जोड रहें थें क्योंकि वे अंग्रेजो के लिये सिर्फ कच्चा माल देने का कार्य कर रहें थें इसलिये जब अम्बेडकर ने अस्पृश्यता के विरूद्ध आंदोलन किया तो उन्है सवर्णे की ओर से कोई प्रोत्सहान नहीं मिला और इसलिए उन्हें अपनी जाति को संगठित करने में काफी मेहनत करनी पडी जहां तक उनका यह मानना है। कि वर्ण व्यवस्था असमानता के सिद्धांत को बढावा देती है। सही था लेकिन क्या वे असमानता पर चोट करके अपनी में मेजिल को प्राप्त नहीं कर सकतें थे और यह एक दुधारी तलवार होती है। समाज का कान्तिकारी वर्ग जहां लाभबन्द होकर राजनीतिक अधिकारी की मांग करता वही अस्पृश्यता जैसे रोगो का अधिकारों की मांग करता वही अस्पृश्यता जैसे रोगो का निदान भी हो जाता क्योकि वे भी उन्हें बराबरी का दर्जा दिलाने के लिये सन्तो की वाणी या सन्तो के विचारों का ही सहारा ले रहें थे अगर वे यह कहैतें सदियो से शोषणकारी तत्वो ने शोसित की मेहनत का फल लूटने के लिये बुनियादी अधिकारी से दूर रखा है। तो शायद इसके परिणाम अच्छे निकलतें अगर वे यह कहैतें कि कृषिउत्पादन में जन शक्तियो का हाथ था और इन शक्तियों के कारण जिस तबके ने समाज में आर्थिक प्रतिष्ठा इनके बनाई और इस डर से कही किसी स्तर पर यह अपनी उपज पर अधिकार की मांग को लेकर लाभबन्द न हो जाये।

शिक्षा– अम्बेडकर का शिक्षा प्राप्त करने सम्बधी विचार सबसे महत्वपूर्ण विचार था उनका मानना थ आदमी तकलीयो का आरण उसकी अज्ञानता है। दलित वर्ग अपनी प्रगति तब होकर पायेगा जब वह शिक्षित होगा अम्बेडकर ने ज्ञान के महत्व को स्वीकारा है। मनुष्य ज्ञान एवं शाक्तिहीन महैसूस करता है। उसके पास मुक्तिका कोई रास्ता नहीं होता वह अन्धविश्वास की दुनिया में स्वप्न जीव हो जाता है। अतः वे ज्ञान को जीवन की आधारण शिला मानतें है।

धर्म– जब मनुष्य अपनी मुक्ति का मार्ग धर्म में खोजता है। तो उसकी बैचारिक शाक्ति का पतन होने की शुरूआत हो जाती है। अम्बेडकर ने जिस तरह से जातिगत असमानता पर प्रहार किया था वहां से पलायन अवश्यकभावी था अगर वे वैज्ञानिक तर्कों के आधार पर जातिगत भेदभाव को तोड़ने की कोशिश करतें तो शायद वे मुक्ति धर्म में न खोजते मनुष्य के वैचारिक नेतृत्व के परिणाम उचित दिशा में तभी जातें है। ज बवह उनके मूल किइस अस्पृश्यता तथा अमानवीयता के पीछे पूर्वजो के अधिक हित थें तो वे अर्थशास्त्र के उस क्षेत्र पर आक्रमण करते जहां अस्पृश्यता की जडे कुण्डली मार बैठी थी क्योकि उन्होने सही आधार पर चोट नहीं कीइसलिए उन्है स्वयं ही धर्म से पलायन करना पडा बुनियादी तौर पर हो एक आदर्शवादी इन्सान थें याथार्थवादी नहीं वे कहतें थें आनेवाली पीढीयों का कार्यधर्म को सुधारना उसे पवित्र करना है। क्योकि धर्म मनुष्य की आत्मा को मुक्त करता

है। हैम मानतें है। धर्म का आदि स्वरूप कभी समाज को शिक्षित करना रहा होगा लेकिन इतिहास इस बात को स्वीकारता है। कि धर्म अपने दूसरे चरण में प्रवेश करतें ही अपना प्रगतिशील आधार खो बैठता है। और विज्ञान के दोर में धर्म के जरिये नहीं मनुष्य अनुभव और तर्क के जरिये अपनी मुक्ति के रास्ते खोजता है। अम्बेडकर अपने सामाजिक विचारो के हैर मोड पर हैर कदम तक तर्क से कतरातें हैये चलते है। इसलिये उन्हें अपने संकल्प से हैताश होना पडा और अन्त में धर्म परिवर्तन का मार्ग स्वीकारना पडा उन्हें अपनी पत्नी के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा उनकी हैताशा ने दी बौद्ध धर्म स्वीकार करने की प्रेरणा उनकी हैताशा ने दी २७ 3 डॉ अम्बेडकर और राजनीति रू– बहुत पहले मावर्क्सवादी चिन्तक किस्टोकर कॉडवेल ने अपनी एक विचारो जनक पुस्तक स्टडीज इन डाइंग कल्चर में टी० ई० लारेन्स के बारे में कहा था कवह शायद पश्चिमी समाज के अन्तिम हीरो थें उनका कहना थाकि युरोपीय सम्भता एक ऐसे पतनोमुख दौर में पहुंच चुकी है। जिसमें नायक का रोल पूरा करने की समस्त सम्भावनायें समाप्त हो चुकी है। पश्चिमी समाज के सन्दर्भ नायक का रोल पूरा करने की समस्तसन्दर्भ में आज कॉडवेल का यह कथन शायद सरपूर्ण हो पश्चिमी समाज में आज व्यक्ति नायकत्व का कान्ति कारी भूमिका सम्पन्न करने में अपने आपको असमर्थ पाता है। वह कुछ भी हो सकता है। एक विद्वेाधी चिन्तक एक राजद्रोही किसेडेन्ट लाभ फेकने वाला है। आतंकवादी हाइजेकर लेकिन अपने समाज का प्रतिनिधि नायक नहीं जिसके कर्म में विभिन्न वर्गों के लोग नायक नहीं जिसके अपनी मुक्ति खोज पातें है। इसी सन्दर्भ में डॉ अम्बेडकरनायक भूमिका प्रासगिकता तानाशाही नायको में इतने अलग जान पडतें थें तो इसलिए कि उन्होने अपने राजनीतिक कर्म को अपने सामाजिक कर्म जहां राज्य की सत्ता और मनुष्यकी स्वतंत्रता के बीच एक ऐसा सन्तुलन कायम हो पाता जहां राजनीतिक कर्मऔर सामाजिक कर्म एक दूसरे को विरोधी नहीं बल्कि पूरक हो।

उनका राजनीति के प्रति दृष्टिकोण– राजनीतिक में सिर्फ मुल्यो मं विश्वास उस समय तक कारगर नहीं होता जब तक इन मूल्यो गुलामी के निरंतर में एक तात्कालिक जीवन प्रश्न के रूप में नहीं प्रस्तुत किया जाता वहां राजसत्ता से निर्वासन नहींसीधा सादा सामना करना पडता हो भारतीय राजनीति में अम्बेडकर शायद पहैले व्यक्ति थे जिन्होनें राजनीतिक क्षितिज पर पाप और दुराचार को उगते देखा था लेकिन सवाल इससे न्याय के आमूर्त नैतिक मूल्यों के राजनीतिक क भयावह और धूल मिटटी खून के लिए मैदान के बीच अनुदित और आलोकित करने का अम्बेडकर ने पक्ष की अपेक्षा की औरलोगो को राजनीतिक की जगहै समाज सेवा से जोडना चाहा उनकी दृष्टि में धार्मिक आर्थिक सामाजिक समझाते राजनीति के कार्य से नहीं पैदा होती थी।

उनके स्वतंत्रता सम्बन्धी विचार– इस सन्दर्भ में उनकी में पंक्ति्यो सारपूर्ण है। लेकिन कोई रास्ता नहीं है। जिसे हैम रास्ता मानतें है। वह सिर्फ हिचिकिचाहैट है। डॉ अम्बेडकर ने सत्ता ओर स्वतंत्रता राजनीति और नैतिकता के बीच चुनौती से मुहै मोडकर सिर्फे मानवीय मूल्यो में अपना सत्य ढूढना चाहा था किन्तु बहां कोई सत्य था नहीं इसलिए जब देश स्वाधीनता की लड़ाई लड़ रहा था वे अछूतो के प्रति समाज सेवक की जिन्दगी गुजार रहेंथें यदि सत्य कहै तो उन्हें स्वतंत्रता के आंदोलन में कोई वास्तविक रूचि नहीं थी यह उनके जीवन का सबसे टेजि पहलू था।

प्रजातंत्र पर विचार– ओद्योगिक क्रान्ति की आवश्यकताओ ने पश्चिम में जिस प्रकार के राजनीतिक पैदा कियें शायद अम्बेडकर उनसे अलग नहीं थें अम्बेडकर ने लोकतान्त्रित सामाजवादी के अनुरूप प्रजातंत्र विना रक्तपात के जनता के सामाजिक आर्थिक परिवर्तन में अस्थाा रखतें थें लेकिन उन्हें भी रक्तपात से डर लगता था वे प्रकारन्तर से इस प्रकार पूंजीवाद को समर्थ कर देते थे क्योकि उत्पादन के साधन जब समाज के हो जायें तब समाजवादी राज्य की स्थापना हैाती है। और उत्पादन के साधनो पर पूजीवादी आसानी से अपना नियंत्रण नहीं खोता इस प्रकार उनकी परिभाषा मौलिक नहीं थी वे कहतें थे प्रजातंत्र की सफ लता के लिये समानता का होना मजबूत विपक्ष प्रशासनिक व कानूनी समानता वैधानिक नैतिकता एवं सामाजिक नैतिकता की आवश्कता होती है।

शक्ति की अवधारणा–अम्बेडकर की धारणा थी राजकीय शक्ति अपना पृथक अस्तित्वरखतें हैये मानव व्यवहार के लिये उत्प्रेरक का कार्य करती है। वे मानतें थें कि व्यक्ति का व्यवहार धर्म और अर्थिक आधारो से संचालित होता है।

अल्पसंख्यकों के बारे में– डॉ अम्बेडकर इस समस्या के बारे मे भी अधिक तार्किक नहीं थें हालाकि इस समस्या को भी उन्होंने गहाराई से नहीं देखा वे अल्पसंख्याको के हितों के सामाधन की गारण्टी चाहतें थावे सम्प्रदायो की अस्मिता के प्रति सचेत थें लेकिन समुदाय में सुरक्षा की शंका क्यो पैदा होती है। या इस असुरक्षा की भावना को विकसित करने वालो के हित किसके पक्ष में होतें है। इसकी उन्होने तर्कपूर्ण व्याख्या नहीं की हांलाकि वे कहैतें है। कि राष्ट्र के पास विश्वण्डन का अधिकार होना चाहिए वे चाहतें थें कि हैर सम्प्रदाय अपने अधिकारो व अपनी वे चाहतें थें कि हैर सम्प्रदाय अपने अधिकारों व अपनी मांगो और अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक रहें।

कमजोर वर्ग के लाभ और विकास के लिये कार्य कर रहें संगठनरूकिसी समाज की खुशहाली और उन्नति के लिये राज्य द्वारा अपने जाने वाले विभिन्न आदर्शो में सामुदायिक कल्याण के लिये चलाइ जा रही योजनाओं और कार्यक्रमो का विशेष महत्व है। राज्यन्नगर व ग्रामीण दोनो ही समाज के उत्थान के लिये सामुदायिक कल्याण के कार्यक्रम बनातें है। नगर सामुदायिक कल्याण कार्यक्रमो का अब बड़े पैमाने पर विस्तार होगया है।

भारतीय पुनर्वास परिषद– सोसापटीज रजिस्टेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित पुनर्वास परिषद को 6 मई 1986 को भारतीय पूनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया जो कि 31 मई 1993 से लागू हुआ यह परिषद विभिन्न विकलांगताओं के क्षेत्र में अलग अलग श्रेणी के व्यवसादियों के लिए क क्षेत्र में अलग अलग श्रेणी के व्यवसादियो के लिये प्रशिक्षण नीति और कार्यक्रम तय करने के लिये जिम्मेदार।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड– देश में समाज कल्याण सम्बधी गतिविधियों को बढावा देने तथा महिलाओ बच्चो तथा विकंलगो के कल्याण कार्यक्रमो की स्वयंसेवी संगठनो के माध्यम से लांगू करने के लिये सन1953 में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड गठित किया गया था बोर्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि स्वतंत्र भारत में यह पहला संगठन है। जो महिलाओ और बच्चो के विकास काग्रक्रमो को लागू करने में जन सहयोग प्राप्त करने के लिये गैर सरकारी संगठनो को मदद ले रहा है। सन 1954 में राज्यो और केन्द्रशन्ति प्रदेशो में राज्य कल्याण बोर्ड गठित किये गये। बोर्ड द्वारा लागू किये गयें कार्यक्रमो में जरूरत

मन्द बसद्वारा महिलाओं के सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम महिलाओं और बालिकाओं के लिये शिक्षा के सधन पाठयक्रम और व्यवासयिक प्रशिक्षक प्राठयक्रम ग्रामीण और निर्धन महिलाओं में जागरूकता. बढाने वाली परियोजनाएं पारिवारिक परामर्श केन्द्र कामकाजी महिलाओं को लिए शिशु सदन औरहोस्टल की सुविधा उपलब्ध करना आदि शामिल है।

वृद्धों का कल्याण– वृद्धों के कल्याणके लिये नवम्बर 1992 में सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय ने स्वयंसेवी संगठनो के लिये केन्द्रीय सहायता योजना सहायता वृद्वो के लिये आश्रमो सूचल अस्पतालो की स्थापना के लिये दी शुरू की यहजाती है। वृद्धों के कल्याण की गैर संरपागत सेवाओ के लिये भी अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1998–1999में इस करके इसे वृद्धों की विविध आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये कार्यक्रम में संशोधन व लचीला बनाया गया। वृद्व व्यक्तियों के लिये समन्वित कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत 733 वृद्धाश्रमों में देखभाल केन्द्रों और सचल अस्पतालों को सहायता दी जा रही है।

बेसधारा बच्चो के लिये समन्वित कार्यक्रम– आठ बडे शहरो में 1992 से 1993 में तत्कालीन कल्याण मंत्रालय और यूनियन द्वारा बेसधरा बच्चो के बारे किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि बडी संख्या में इन बसेधरा बच्चा को अपेक्षा उत्पीडन और शोषण का शिकार होना पड़ता है। इसका कारण ऐसी परिस्थितियां होती है। जिन पर उनका नियंत्रण नहीं है सर्वेक्षण से यह भी पता चला कि विभिन्न कारणो से मूलभूत शहैरी सेवाएं उन बच्चा तक कारगर और समनिवत ढंग से नहीं बहुत पाती है। बेसधरा बच्चो के लिये 1992से1993 में एक परियोजना शुरू की गई थी इस परियोजना के तहत बेसधारा बच्चो को समुदाय आधारित एकीकृत गैर संस्थागत मूलभूत सेवाएं प्रदान की जातीहै। इसयोजना को 1998–1999 में संशोधित किया गया वेसधरा बच्चो के लिये समन्वित कार्यक्रम नाम की इस संशोधन योजना में बेसधारा बच्चा से सम्बंधित कई प्रकार के कार्यक्रमो को सहायता दी जा सकती है। बेसधरा बाच्चो के कल्याण में लगे स्वयंसेवी संगठनों को प्रत्येक परियोजना के लिए लागत का 90 प्रतिशत भारत सरकार देती है। और शेष 10 प्रतिशत सम्बद्ध स्वयंसेवी संगठन को बहैन करना पड़ता है।

महिला और बाल विकास– महिलाओ और बच्चो की पूर्ण क्षमता का विकास देश को कुल मानव संधाधन एवं बाल विकास को आवश्यक गति देने के लिये मानव संसाधन विकास को आवश्यक गति देने के लिये मानव संधाधन विकास मंत्रालय के एक अंग के रूप में 1985 में महिला एवं बाल विकास विभाग स्थापित किया गया यह विभाग देश भर में महिलाओं और बच्चों की स्थिति सुधारने के लिये प्रयासरत सरकारी तथा गैर सरकारी संगठनों के प्रयासो में तालमेल रखने कृअलावा इस सन्दर्भ में निति योजनाएं तथा काय्रक्रम बनाता है। और सम्बद्र कानूनो को क्रियान्वित संशोधित करता है। विभाग की गतिविधियां ब्यूरो विभाग के नियंत्रण में चार संगठन है। राष्ट्रीय जन सहयोग तथा बाल विकास संस्थान राष्ट्रीय महिला आयोग इनमें से पहले दो संगठन का सोसायटी पंजीकरण किया गया है। जबकि केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 25 के तहत पंजीकृत धमार्थ कम्पानी है।

सर्वोदय– सर्वोदय आधुनियम भारतीय चिन्तनधारा है। जो मूल रूप से गांधी वादी दर्शन पर आधारित अपना अर्थ है द्य सबका उदय अर्थात समाज में प्रत्येक व्यक्ति का सर्वागीण

उत्थल सर्वोदय वह उन्नत है जिसका उददेश्य मानव को नैतिक रूप से करके उसे सामाजिक क्षेत्र मे सम्मिलित करना है। शाब्दिक रूप में सर्वोदय का उददेश्य सभी व्यक्तियो का कल्याण करना और सभी को उन्नति के समान अवसर प्रदान करना है।

सर्वोदय के प्रमुख सिद्वांत– महात्मागांधी ने अपनी आत्मकथा मे लिखा कि मैं सर्वोदय के सिद्धांतो को इस प्रकार समझता हूँ–

- सबकी भलाई में अपनी भलाई निहित है।
- वकील और नाई दोनो के काम की कीमत एक सी होनी चाहिए क्योकि आजीविका का अधिकार सबको एक समान है।
- सदा मेहनत–मजदूरी का अर्थात किसान का जीवन ही सच्चा जीवन है। पहली चीज में जानता है। दूसरी को में धुध ले रूप में देखता था तीसरी का मैने कभी विचार नहीं किया था सर्वोदय ने मुझे दीये की तरह दिखा दिया है। कि पहली चीज में दूसरी दोनो चीजें समाई हुई है।

सर्वोदय सभी के जीवन के सभ्झी पक्षों की संपूर्ण प्रगति– सर्वोदय ऐसे वर्गविहीन, जाति विहीन और शोषण विहीन समाज की स्थापना करना चाहता है, जिसमे प्रत्येक व्यक्ति और समूह को अपने सर्वागीण विकास के साधन और अवसार मिलेगे सभी केइस सर्वागीण उन्नति में गरीबो का विशेष के स्वराज का है। उनके लिये जीवन की आवश्यक वस्तुएं वैसे ही सलभ होनी चाहिए जैसे कि धनिकों और राजाओं को इसका अर्थ यह नहीं कि उनके लिये राजाओं के से महत्व होने चाहिए सुखी जीवन के लिये महत्व आवश्यक नहीं है। सर्वोदय का मुख्य सामाजिक आदर्श तथा संरचनारू– सर्वोदयी विचारक ऐसी सामाजिक व्यवस्था से सन्तुष्ट नहीं है। जिसमे सामाजिक तथा आर्थिक असमानता तथा प्रतियोगिता विद्यामान रहती है। उनका उददेश्य ऐसे समाज कीस्थापना करना है। जो सत्य व अहिंसा पर आधार हो जिसमे प्रत्येक व्यक्ति शारीरिक श्रम अपना कर्तव्य मानकर करे जिसमे व्यक्तिगत सम्पति व अस्तित्व न रहें तथा जिसमे सहिणुता तथा समानता की धाराण प्रत्येक व्यक्ति में प्राप्त हो सर्वोदयी समाज का उददेश्य बुद्धि का श्रमीकारण तथा श्रम का बुद्धिकारण करना करेगा कुषि को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। सामज की स्थापना को अधिक महत्व देते है। और नगरीयकरण को कम सर्वोद समाज का मुख्य उददेश्य ग्रामीण लोकतन्त्र है। जिसमे छोटे छोटे ग्राम समाज कृषि भूमि के सामूहिक स्वामित्व को धारण करेगे और उत्पादित अनाज का उपभोग भी सामूहिक होगा ग्रामों में लघु कुटीर उद्योग का विकास किया जायेगा।

सर्वोदय के उददेश्य

सर्वव्यापी मानवीय मूल्यों की स्थापना– सर्वोदय का उददेश्य ऐसे सामातिक मूल्यों की स्थापना करना हैं, जो सर्वत्यापी हो ओर सभी कालो में अपरिवर्तनशील है। वास्तव में सोदय विचारद्वाराहो। सार्वभौमिक सर्वत्यापी तथा सार्वकालिन मूल्यो स्थापना करने मे विश्वास करती है।

सभी वर्गो का कल्याण– सर्वोदय विचारधारा का उददेश्य समाज के निर्वल अपंग तथा शक्ति हीन वर्गोका कल्याण करन है इसके साथ ही साथ सर्वोदयी विचारक समाज के अन्य वर्गों के हितों की भी कामना करताहै।

सम्पूर्ण समुदाय का हित– सर्वोदयी विचारधारा का मुख्य उददेश्य समाज व सम्प्रदाय के सम्पूर्ण हितों की सर्वो परि मानना है। इस विचारधारा का उददेश्य एक ऐसे वातावरण की स्थापना करना है। जिसमें समुदाय का हित सम्भवा हो सके।

सभी को आत्मनिर्भर बनाने की योजना– सर्वोदयी विचारधारा सभी लोगो को आत्मनिर्भर बनाने का उददेश्य रखती है। इसविचारधारा के अन्तर्गत ऐसी योजनाओं को विकसित किया जाता है। जो समुदय का हित सम्भव हो सकें।

सभी को आत्म निर्भर बनाने की योजना– सर्वोदयी विचाराधारा सभी लोगो को आत्मनिर्भर बनाने का उददेश्य रखती है। इस विचारधारा के अन्तर्गत ऐसी योजनाओं को विकसित किय जाता है। जो समुदाय के सभी व्यक्तियो को आत्मनिर्भर बना सके।

सर्वोदयी विचारधारा के साधन– सर्वोदय का आधार नैतिक हैं जिन नैतिक सिद्वांतो के आधा पर सर्वोदयी विचारक राज्य विहीन वर्ग विहीन एवं शासन सत्ता विहीन समाज की स्थापना के लिये रचनात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करतें व साम्यवादी प्रत्युक्त सर्वोदयी विचारक ऐसे समाज की समाज की स्थापना के लिये रचनात्मक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते वे साम्यवादी तथा अराजकतावादी विचाराको की भांति हिसात्मक कान्ति तथा वर्गसंघर्ष पर विश्वास नहीं करतें बल्कि अहिंसा सत्याग्रह तथा वर्ग समन्वय द्वारा अपने आदशो की कार्यान्विति का कार्यक्रम प्रस्तुत करतें है। सर्वोदयी विचारक निम्नांकित साधनो द्वारासर्वोदय समाज की स्थापना सभ्भव समझते है।

रचनात्मक कार्यक्रम– सर्वोदयी विचारधारा गांधी जी की शिक्षाओं से प्रभावित हुई है। गांधी जी ने रचनात्मक कायी पर बहुत जोर दिया है। रचनात्मक कार्यक्रम का आदर्श समाज सेवा से भिन्न प्रकृति का है। इसका मुख्य उददेश्य व्यक्ति तथा जनसुरक्षा को आत्म निर्भरता की दिशा में प्रशिक्षित करना है। इस सम्बन्ध में सर्वोदय विचारक ग्रामीण जन समूहो मे सहैयोग सहकारिता तथा सामुदायिकता की भावना विकसित करना अपना लक्ष्य मानतें है। विनोबाजी ने सन 1951में इस उददेश्य की प्रप्ति हैतु भूदान आन्दोलन काआहान किया था वह काल था जबकि भारत में सभीदारी उन्मूलन के विधापन चल रहे थे दूसरी ओर पंचायती राज व्यवस्था के सम्बध में भी विधि निर्माण का कार्य विभिन्न राज्यो की सरकारों द्वारा किया जा रहा है ग्रामीण समाजो में भूमि के उचित वितरण की समस्या भी सामने थी साथ ही ग्रामो में ऐसे व्यक्ति भी थे जो भूमि हीन थे।

शिक्षा– चूकि सोदय सिद्वांत रचनात्मक कार्यों पर जोर देता है। अत इसके लिये यह आवश्यक हैकि हैमारी शिक्षा व्यवस्था इस रूप की हो जिसमें विद्यार्थियो को हैस्तकला सीखने का अवसर मिले शिक्षा का उददेश्य केवल पुरतकीय ज्ञान प्राप्त करना न रहें वह जीवन की तैयारी कराने का उददेश्य रखें।

नियोजन– भारत में आर्थिक विकस हैतु रूस की भांति नियोजन का कार्यक्रम अपनाया गया है। यह सत्य है कि अधिक विकास हेतु नियोजन आवश्यकहै। सर्वोदय सिद्वांत

भीआर्थिक नियोजन पर विश्वास रखता है। परन्तु हमारे वर्तमान नियोजन तथा सोदय के नियोजन में बहुत अन्तर है। भारत में अथ्रिक विकास हेतु पंचवाषीय योजनाओ का एक लक्ष्य मनुष्य के जीवन स्तर को उच्च बनाना भी है, जबकि सर्वोदयी नियोजन का उददेश्य मनुष्य के व्यक्तिगत का सार्वगीण विकास करना है।

समाज कल्याण में अशासकीय संगठन– समाज कल्याण ससमाज का एक महत्वपूण्र कार्य हैं इसका उददेश्य समाज के सभी वर्गों को विकसित कर उनका सर्वागीय कल्याण करना है। इसीलिये इसके कार्य क्षेत्र में समाज के निशक्त जनो का विशेषध्यान रखा जाता है। समाज में कल्याण करना है। इसीलिये इसके कार्य क्षेत्रबढ़ते क्षेत्र के कारण सरकार के कमाध्यम से समाज कल्याणाके कार्य के को सम्पन्न करना सम्भव नहीं है। अत सरकार के पर्याप्त प्रयास नहीं होने के कारण समाज कल्याण के काग्र सरकार के साथ ही साथ स्वयंसेवी संस्थाये और अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से किये गये जातें है। ऐंच्छिक संगठनो को परिभाषित करतें हैये श्री राम आर मलकानी लिखतें है कि ऐच्छिक संगठन वह संगठन है। जिसकी पहैल एवं प्रसाधन इसके सदस्यों द्वारा विनाबाहैरी नियंत्रण के किया जाये ऐच्छिक कार्यो मे किसी क्षेत्र के निवासी अपने ऐच्छिक प्रयासो द्वारा अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करतें है । तो उन्हें ऐच्छिक संगठन के कार्य कहा जाता है। आज सम्पूर्ण विश्व में ऐच्छिक संगठनो की उपादेयता स्वीकार की गइ है। और सरकार भी इन अशासकीय संस्थाओं के सहयोग से सामाजिक कल्याण के उददेश्यो की पूर्ति कर रही है।

आज देश में समाज कल्याण सेवाएं प्रदान करने वाले मुख्य संगठन तीन तरह के हैं– सरकारी संगठन, अर्द्धसरकारी संगठन तथा गैर सरकारी संगठन।

महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक न्याय की अवधारण– स्वतंत्रता सामाजिक न्याय का यद्यपि एक आवश्यक व महत्वपूर्णतत्व है तथा अधिक निश्चित अर्थ में समाजिक न्याय से आशय आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रो मे समानता की स्थापना है। स्वतंत्रता कतिपय बुनियादी अधकारो की कल्पना करती है जो व्यक्ति क नैसगिक विकास के लिये जरूरी है। किन्तु अधिकारो का शायद की कोई अर्थ है। यदि समाज की रचना असमानता के सिद्धांत पर हुई हो एक न्यायपूर्ण व्यवस्था वह है। जो समानता पर आधारित हो ज्योतिबा फुले आधुनिकभारत में सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के अग्रदूत माने जातें है। उन्है स्वयं शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाइं हुई असपृयता जाति पाति उच नीच कीवंचनओ को झेलना पड़ा वह 1827 में पूना मेंशुद्ध किसान माली जातियां में पेदा हैये थे तब समाज में अछूता दलित स्त्रियो किसान मजदूरो की स्थित खराब थी सर्वप्रथम किसान मजदूरो की बालिकाओ के लिये महिला पाठशाला का शुभारभ किया उनका एक मात्र सहारा उनकी उन्होन सामजिक कुरीतियो अनमेल विवाहै बाल विवाहै पुरोहितो की विवाहै मगल छुआछुत तथा किसानो का साहूकारों द्वारा शोषण सभी के विरूद्ध सक्रिय भूमिका निवाही को प्रश्रम देना उनकी सवोपरि प्राथमिकता रही अनेक सामाजिक की बहतरी के लिये भी काम किया अनेक सामाजिक कुरीतियो खत्म की। सही मायने में 19 वी शताब्दी के इस शिक्षाविद समाज सुधारकं दूर ओर बहुआवासी व्यक्तित्व के धनी ज्योतिबा फुले से डॉ अम्बेडकर ने 20 वी शताब्दी के सामाजिक विसमता के विरूद्ध संघर्ष करने की प्रेरणा की फुले ने दिलतो में शिक्षा का नया जीवन मंत्र धोसित कियाथा एक नया चिंतन ओर रास्ता सुझाया था शिक्षित वर्ग को वार्ण व्यवस्था और अस्पृश्यता भारत की प्रगति और एकता में बाधक लगने लगी

राममोहन राय जैसे कइ महापुरूसो ने सामज सूधार के लिये किसान परिवार में जन्म लेकर शोषित दलितों में शिक्षा एवं सामाजिक जागरण के लिये फुले जैसे महान विभूति ने जोप्रयास किये वह आगे चलकर डॉ अम्बेडकर के अतिरिक्त और कोई नहीं किया।

संगठित करने का संकल्प– एक ओर वह समाज में परिवतन लाने के धनी थी दूसरी ओर गिरे पिछंडे लोगो को संगठित करना चाहते है। लकिन उनके पास न साधन थे न धन की शक्ति सामाजिक विवशताओ और आर्थिक कमजोरी के कारण वह उच्च शिक्षा भी प्राप्त नहीं करसके थें दिन रात ज्योतिबा के युवा मन में संकल्व विकल्प आतें इसके कारण उनमे इच्छा शक्ति का बीजारकापण हुआ रास्ता खुद बनाने का बोध हुआ।

स्त्री शिक्षा– फुले ने अपने शिक्षण काल से ही स्त्री शिक्षा की कमी पीढियो कर ली थी उन्होन समझा लिया था कि भावी शिक्षा बहुत आवश्यक है और वह भी दलित जतियो में शिक्षा का अमिन्व प्रयोग जो अपने रूप में एक विस्मयकारी और कान्तिकारी विचार थाउनका संकल्प पवित्र था उसमे द्रढता थी संकल्प को वयवहारिक रूप मिल गया आत्मा को जैसे शरीर प्राप्त हो गया उनके धनिष्ठ बाहेण मित्र सदाशिव बल्लाल गोविद उन दिनो इनाम कमीशन मे काम करतें है। 1948 मे उनका स्थानांतरण अहमदनगर के जज कार्यालय में हो गया यह जगहै मिशनरी विद्यालयो के लिये बहुत प्रसिद्व कि स्त्री शिक्षा की दिशा मे वहा आत्मासंतोष वहा इतना अच्छा काम हो रहा है। ज्योतिबा भली प्रकार जानते थें कि उनके इस प्रयास का सभीकटटर और पूरातन वादियो द्वारा विरोध की परवाहै नहीं की उन्होने कहां कि सदियो पहैले भिन्न परिस्थियो मे हिन्दू समाज मे दासता की शुरूआत होने पर शुद्धो को शिक्षा से वंचित कर देनाएक दण्ड विधान था जिसे औरअनार्यसदियो तक होते रहें अब यह अन्याय वर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

नई शिक्षा नीति– अग्रेजों ने शुरू से ही भारत में डालो और राज्य करो का नीति अपना रखी थीसांमता जीम दारी बाहाणो राजापूता ओर उच्च श्रेणी के लोगो कि अंगेज मान सम्मान की द्रष्टि से देखतें थें तथा किसानो मेहनत करा लोगो और शिल्पियो को टुककारतें थें उनकी द्रश्टि से सेसब छोटेंलोग थें जहा ईस्टइण्डिया कम्पनी भारतीय में अंग्रेजी प्रेम को प्रोत्साहित कर रही थी ईसाई मिशनरी चपचाप अपने काम में लगे थे ये धर्म प्रचारक छोट बड़े अस्पाताल पूजा घर के रूप मेंचर्च और मिशनरी स्कूल खोलकर निम्न जातियां आदिवासियो कोअपना निशान मराठे रवजी कापस्य जैसी जातियां अंग्रजो की महिमा गाकर कंपनी बहादूर कीनौकरियां था गए औरआजम अगेजो के कृपापात्र बने गए उनकी कई पीढियां फली फूली शुद्ध और मेहनत लाग गारीबी और अस्पृश्यता का बोझढोते रहा फुले ने जान लिया मेहनत से नहीं बेइमानी से वे बड़े बने है। छोटे लागो को दबादर उनका अधिकार छीनकर आगे बढे है इसलिए अपेक्षिति में शोधि तो जो सोए हुए है। अपने अधिकार में भी नहीं समझते उनमे शिक्षा के जरिए कांति लानी होगी जब 1813 में इसाई धर्म प्रचारकों पर से ईस्ट प्रभावित प्रात्साहित वे निम्न जातियां मेंधर्म प्रचारको परसे ईस्ट इण्डयां कंपनी का प्रतिबंध हैट गया तो इससे प्रभावित प्रोत्साहित वे निम्न जातियां मेंर्धम प्रचार धर्मत्तर के लिए नए जोश से जुट पडे मिशानरियो ने पूरे देश में बड़े बड़े नगरो में स्कूल खोले अन्य जगहो पर भी ईसाई मिशनरी सक्रिय हैए कइमिशन स्कूल कलेज चर्च चिकित्सालय स्थापित हैये छोटी जातियो को ईसाई धर्म मेदिक्षित करने का काग्र तेजी से फैला जब फुले बहुत छोटे बालक थे पूना के स्थानीय विद्यालय में बाह्मैमण लिपिक ने उसके पिता को हैराया धकाया था कि यदि शुद्ध विद्याा पढेगे तो असर्थ हो जाएगा धरती

पर धोर कलियुग आ जाएगा इसलिये अनिवृ अनर्थ से बचने के कलिए उसके सीधे आदि पिता ने ज्योतिबा को स्कूल से उठा लिया था यह हालत यह अधविश्वस पूना में ही नहीं पूरे भारत में व्याप्त था अगंजो के शासन स्थापना के वर्षो बाद भी कोई शिक्षा नीति निर्धारित नहीं की गई थी। इस्टइंडिया कंपनी के निदेशक मण्डल ने 1830 में मद्रास सरकार को आदेश दिये किवह स्थानीय लोगो की शिक्षा का प्रबन्ध दिये किवह स्थानीय लोगो की शिक्षा का प्रबंन्ध करे इससे ब्रिटिश शसान को कई फायदे होगे पढे लिखे दशी नौकर मिल जाएगे आम लोगो की आस्था उनमें बढेगी और सवे राजकाज में दिलचस्पी ले सकेगे काफी समय तक अगेंजो की यह धारण बराबर बनी नहीं कि शुद्धो अस्पृश्यों को पढ़ाने लिखने से कोई फायदा नहीं अभ्रात जैसे बाहैमण वर्ग करतें आए थें वह जारी रहें सरकार की नीति वदल डाली 19 जुलाइ 1854 को ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मण्डल ने एक आदेश पत्र जारी किया जिसमें कहा गया कि सरकार की चााहिए कि लाभकारी और व्यावहारिक शिक्षा को बढावा दिया जाए और इसके प्रति आकषित किया जाए।

अधिकाधिक देशी जनता को दलितो के मुक्तिदाता– यूरोपीय संपर्क से ज्ञान विज्ञान और नवजागरण की जो किरण भारत मं फूटी थी उनके प्रकाश में नवयुवको को सामाजिक बुराइयो और धर्म की रूदियो के अनेकानेक दुगुण स्पट दीखने लगे थें अधिकांश अंग्रेजी पढे लिखे युवा पीढीके सदस्य विचारो से उदार थें लेकिन बुराइयो से लडने में झिझकतें थें व यह सब जानते हुए कि पुरातनवादियो के कारण हिन्दु बुराइयो का घर बन गया और उसमें अस्पृश्यता जात्याभियान असमानता सामाजिक रूढियो हॉबी हो गयी है। फिर भी वे गभ्भीरता से सामाजिक कान्ति की आवाज बुलन्द नहीं कर पाये यह काम ज्योतिबा ने किया अब तक किसी भीसमाज सुधारक ने सूदो दलितो अस्पृश्यता के गुलामो से भी बदतर हालात के बारे मे सोचा भी नहीं था यहज्योजितबा थे जिन्होने वैचारिक कान्ति की पताका फहैराई समाज क ठेकेदारो सरकार और बड़े से बड़े व्यक्ति को यह अहैसास करा दिया कि शाब्दिक सहानुभूति किताबी एकता कोरे मेल मिलाप की जगहै सामाकजिक ओर जानिए बराबरी की आवश्यकता है। आर्थिक शैक्षिण अधिकारो की प्रतिस्थापना वक्त की आवाज है दलित स्त्री पुरुषो की शिक्षा जरूरी है यह था ज्योतिबा के जनगणना के काय कलापो तथासतत धाम्रिक और सामाजिक रूढियां से संघर्ष रहने के कारण 19 वी शताब्दी का उन्तराइ दलितो और शोषितो की मुक्ति के प्रयास का युग कहा गया कर्मयोगी ज्योति बन अपने विचारो और रचनात्मक काय्रक्रमो की वजहै से पूना ही क्या पूरे समाज सेवको मे अग्रणी सुधारक और क्रांन्ति विचारक के रूप में प्रतिठित होगये थे उन्है शिक्षादाता के साथ साथ सूद्रो और निम्न वर्गों के मुक्तिदाता मान्यता प्राप्त हो चुकी थी आगे चलकर भारत के सामाजिक इतिहास में सर्वहारा के लिए उनके प्रयत्न स्वर्णअक्षरों में लिखे गयें पुनजाग्ररण के इस काल में तरह तरह के सामाजिक सुधारो के लिए भारत के हैर कोने में कोशिशे जारी थी लेकिन दलितो की मुक्ति का संग्राम और उनकी सर्वागीण प्रगति का पथ ज्योतिबा ने ही प्रसस्त किया और इस बारे में किसी की भी दोराय नहीं हो सकती थी यं वे दिन थें जब पश्चिम में मार्क्स और एंगिल्स सामाजिक वर्ग और दाशनिक व्याख्या कर रहें।

शसन ज्योतिबा मानते थें कि मार्क्सके विचारो से भारत में क्रान्ति नहीं आ सकती थी। पहले जनता राजओं जमीदारा और पुरोहितों के त्रिमुखी का शिकार थी जमीदारो और पुरोहितों के बाद में अंग्रेंजो ने पूरे भारत पर अपनी सत्ता स्थापित की अंग्रेजी ने धीरे धीरे अपने सामाज्य विस्तार को स्थापित की अंग्रजो ने पूरे भारत पर अपनी सता की सामाजिक व्यवस्था वण्र व्यवस्था ओर रूढवादिता को विल्कुल अनदेखा कर दिया समाज सुधारको की

विचारधारा और प्रयासो ने ही उन्हें विवश किया किवह लोकहित के लिए सार्वजनिक कानून बनाए जनकल्याण की भावनाओं से प्रेरित काम करे और देश कीसामाजिक आर्थिक प्रगति के हार खोले दलितो अस्पृश्यतो और निम्न जातियां की मुक्ति के लिए ज्योतिबा पहैले स्वयं पहैल करतें थें बाद में जानेता था अंगेज और अन्य युरोपीय देशो के भारत स्थित अन्य अधिकारियो सैनिक कर्मचारियों और व्यापारियों को वहां की जटिल समाज व्यवस्था की पूरी जानकारी नहीं थी किन्तु इसाई धर्म प्रचारक यहां कीधामिक कामजोरियो पाखण्ड अन्हा विश्वास ओर रूढवादिता से परियत थे और इसीकारण वे पूरे भारत में धर्मप्रचार धार्मिकशिक्षा के प्रसाद हास्तंतरण जैसी स्वास्थ्य सेवाओ का प्रसार तो काफी समाय बाद किया गयां ज्योतिबा अपने ढंग से उपेक्षित अधिकार वंचित दलितो और गरीबो को जागना चाहतें थें वह सामाजिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन के इच्छुक थें इसके लिए वह आजन्म जूझते रहें सघर्ष करते रहें सभा और प्राथना समाज जैसे ईश्वर सख्या से बोझिल संगठन थें जो समाज सुधार की बात तो करते थे जो सामज सुधार की बात तो करतें थे कुछ आश्रम अनाथलय स्कूल भी खोल देते थें लेकिन उपेक्षितो अधिकार वंचितो अस्पृश्यता मे धुल मिलकर उनके मध्य रहकर काम करने से कतरराते थें। ज्योतिबाउन्हीं के मध्य अपना कार्य क्षेत्र बढाया महाराट ने पेशवाओं के अन्त के बाद ही दलित जातियां में चेतना आ गइ थीउसका समस्त श्रेय ज्योतिबा और उनके सहैयोगियो को जाता है। वैसे युवा देशभक्तो ने सामन्त जागीदारों और युवा देशभक्तो ने दक्कन एशोसियोशन की स्थापना की लेकिन यह संगठन सामाजिक न होकर राजनैतिक आर्थिक था वह जनता की भलाइ कम अपने खोए वैभव और हैसियत पाने को अधिक महत्व देता है इस प्रकार 1870 में सर्वजनिक सभा बनी दक्कन एसोशिएसन के सदस्यो ने ही सार्वजनिक सभा का निर्माण किया था बाद में सब आदर्शवादी संगठन बने रहें । ज्योतिबा ही ऐसे युग थें जिन्होंने अपने शैक्षिक क्रियाकलापो और सत्यशोधक समाज के माध्यम से दलित पिछडे समाज की मुक्ति के लिए किया और अगुवाई की उन दिनो वह उचे से उचे पद को प्राप्त कर सकतें थें आराम से रह सकतें थें अपनी आने वाली पीटिया के लिए सुख सुविधएं जुटा सकतें थें लेकिन नहीं उन्होने अन्य विश्वसो धार्मिक वादिता पुरोहितवाद . संकीर्ण विचारो अस्पृश्यता आदि सभी सामाजिक बुराइयो का विरोध किया कटटर तत्वो से लोहा लिया पूरातन पंथियो का दृढता से मुकाबला किया इसके साथ ही समाज के उपेक्षितो दलितो और निम्न जातियों में सामाजिक जागृति की लहैर फैलाती उनके चिन्तन और कर्म में कोई अन्तर नहीं था दीन दलितो कीसेवा कर्म में कई अन्तर नहीं था दीन दलितो की सेवा को उन्होने अपने चिन्तन और कर्म द्वारा ब्राम्हाण धर्म को परिकृत परिभाजित करने की कोशिश की उसमें छायी जडता को दूर करने की कोशिश की उसमें समयानुकूल नये विचारो को अपनने हैतु उदभावो के प्रवेश के लिए पुरोहितों को बार बार झकझोरा औरयह बताने की कोशिश की विश्व एक मानव परिवार है धर्मसंस्कृतियो भिन्न हो सकती है। समाज व्यवस्था अलग अलग हो सकती है। लेकिन उसके मूलचिन्तन में मनुष्य एक हैं सत्यशोधक समाज का यही व्यापक रूप उन्होने समाज के समक्ष प्रस्तुत किया उसमें कम्रे प्रधान लोग अधिक स्वप्न दशी लोग कम थें उन्होने बार बार कहा कि धर्म और जाति भेद उच नीच का भ्रंम जाल फैलाकर और जाति अन्याय और शोषिण की प्रक्रिया चालू रखने के लिए बनाये गये है। जिसे हैमें ध्वस्त करना है। कटटर बाम्महैण ने उनके विरूद्व षंडंयत्र भी रचा सुधारवादी प्रवृत्तियो के पोषक दयानंद को जहर पिलाया गया था गरीबो के हिमायती ईसा को अपना सलीब दोना पड़ा लेकिन ज्योतिबा उस धातु के बने थे जिससे कटटरता के आगे समर्पण नहीं किया नामीव्यक्ति जा नारकाट एव असमाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थें रात्रि काल मेंज्योतिबा को

मारने के लिए नंगी तलवार लेकर आए उनके पैरो की आहैट सुनकर ज्योतिबा की आंखे खुल गई पत्नी सावित्री थी जग गई मृत्यु को समाने देखकर वह तनिक भी विचलित नहीं हुए उन्होने अपना सारा जीवन गरीबो की सेवा में लगाया है। यह जीवन उनका कहा है। यह तो शहर के दो शोषित और दलितो की सेवा के लिए समर्पित हो चुका है। दोनो अपराधियो की समझ में यह बाता आ गइ कि ज्योतिबा तो उनके भले के लिए लंड रहे है।

वे दोनो निम्न जाति के ही थें वे ज्योतिबा ने अभय देते हुए उनसे कहा किवे कल से उनकी पाठशाला में पढ़नेआ जाए तभी उनके जान खुलेगे जिन्होंने मारने के लिए भेजा है। वे किसी धर्म या जाति के सगे नहीं है। वे पागल है, वेमानवता के शुत्र हैं, उन हैत्यारों मे से एक था जिसे ज्योतिबा ने अपना अंगरक्षक बना लिया दूसरा कुम्हार कायकर्ता बना यद्यपि प्रारम्भ में उनका कार्य क्षेत्र और रूढ़ियों से ग्रसित पूना शहर और देहात ही था लेकिन उसका प्रभाव महाराष्ट्र के सभी गोंव और नगरो में पड़ा थावह निर्भीक देशभक्तसमाज सुधारक और शिक्षा विदे थें वह ब्रॉम्हैण जाति के विरोधी नहीं थेउन कुरीतियो अग्धविश्वासो अस्पृश्यता और उच नीच के विरूद्ध थे जिन्हें धार्मिक मान्यता प्रदान कर दी गइ भी यह अपने युग से बहुत आगे की बात सोचते पूरे से भारत में उस समय ऐसा और खरे व्यक्ति वाला महा पुरूस सायद ही कोई और होगा जिसकी तुलना उनसे की जा सके उन्होने अपनी स्पष्ट विचार धारा से समाज में फैली बहुत भी काल में एक ही मानव जति थी अन्तर इतना हो था कि कोई शारीरिक रूप से कमजोर था तो कोई शाक्तिशाली जलवायु के कारण किसी जाति का रंग सावला तोकिसी का गौरा वर्ण या भारत भूमि पर सामाजिक जीवन एवं संस्कृति के विकास के साथ साथ आरम्भ में कर्म के आधार पर जातियो और कवीलो में विभाजन हुआ इस जाति विभाजन से सामाजिक जीवन जटिल और कठोर बनता गया आर्य जाति ने विजित दासो सुद्र सेवको और निम्न जातियो के लिए अलग से कठोर जीवन उत्पीडन और न्याय आदि का यही से जन्म दास बना लिया ज्योतिबा ने बताया कि वैदिक चिन्तन औरमन की व्यवस्थाओं तक का समूचा ब्राम्महैण क्षत्रिय सामाजिक जातीय संघर्ष पुराणो मे वर्णित कल्पित देवासुर संग्राम ही है। देवो की जो छवि और जीत दिखायी जाती है वह बाम्हण वर्चस्व की क्षत्रियो तथा सूद्र जातियो पर विजय का ही कापोल कल्पित पौराणिक मिथक इतिहास है बल और बुद्धि से क्षत्रिय भी बाह्मण बन जाता था।

समूह समाज कार्य की परिभाषा

समूह समाज कार्य एक प्रणाली के रूप में समूह समाज कार्य समाज कार्य की दूसरी प्रमुख प्रणाली है। प्रणाली का यहां अर्थ है। समूहों में व्यक्तियों के साथ कार्य करने का एक कमबद्ध व्यवस्थिति एवं नियोजित तरीका एक प्रणाली उददेश्य प्राप्त करने की चेतन कार्यविधि एवं एक अभिकल्पित साधन होता है। बाहैरी ओर से एक प्रणाली कोई भी कोई भी कार्य करने का एक तरीका होता है। परन्तु इस कार्य के पीछे सदैव ज्ञान बुद्धि और और सिद्धांतो की एक संगठित व्यवस्था देखने को मिलेगी सम्पूर्ण समाज कार्य का उददेश्य व्यक्तियों की सहायता करना है। समाज कार्य की प्रणालियां इस उददेश्य की पूर्ति के विभिन्न माध्यम है। उददेश्य सभी प्रणालियों के समान है। समूह समाज कार्य का उददेश्य भी व्यक्ति की सहायता करना है। परन्तु इस सहायता में समूहै एक माध्यम बनता है। समूहै समाज कार्य की अनेक विद्वानो नें अलग अलग परिभाषाएं दी है। परन्तु इन सभी परिभाषाओं की विषय वस्तु समान है।

समूह समाज कार्य की परिभाषा– कोनोपका का मत है कि परिभाषाएं अनुभव विचार विमर्श और समझौतो पर आधारित सहैमतियों के अतिरिक्त कुछ नहीं होती वह पूर्ण रूप से स्वत सिद्ध नहीं होती वह गतिशील होती है। परन्तु विभिन्न अवधारणओं की परिभाषाएं दिया जाना इन पृष्ठ भूमि में समूह समाज कार्य की कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की जाती है।

विल्सन एवं राइलैड– समूह समाज कार्य एक प्रकिया है। और लक्ष्यो की प्राप्ति के लिये परस्पर सम्बन्धी प्रकिया को संचेत रूप से निर्देशित करता हुआ सामूहिक जीवन को प्रभावित करता है।

अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ गुप वर्कर्स– द्वारा अक्टूबर 5 सन 1948 को ड्राफ्ट या प्रारूप की गई परिभाषा का उल्लेख कई लेखको ने किया है। इस परिभाषा में समूह समाज कार्य को एक प्रणाली कहा गया है। जिसके द्वारा समूहै समाज कार्यकर्ता विभिन्न प्रकार के समूहों को इस प्रकार कार्य करने के योग्य बनाता है कि दोनो ही समूह अन्तकिया और कार्यक्रम सम्बंधी कियाकलाप व्यक्ति के विकास या संवृद्धि और वांछित सामाजिक उददेश्य की प्राप्ति के लिये योगदान करे। कोएल के अनुसार समूहै समाज कार्य को व्यक्तिगत समाज कार्य सामुदायिक संगठन प्रशासन और अनुसंधान कार्य भी भांति समाज कार्य अभ्यास के एक मौलिक पक्ष के रूप में माना जाता है। इसकी विभिन्न विशेषताएं इस बात में है। कि समूहै समाज कार्य का प्रयोग सामूहिक अनुभव के अन्तर्गत सामाजिक सम्बंधो में व्यक्ति के विकास एवं सवृद्धि के साधन के रूप में किया जाता है। और समूहै समाज कार्यकर्ता का सम्बंधप्रजातांत्रिक समाज की उन्नति के लिये सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सकिय नागरिकता के विकास से होता है।

हैमिल्टन के अनुसार समूह समाज कार्य एक माना सामाजिक प्रक्रिया है। जो नेतृत्वकी योग्यता और सहकारिता के विकास से उतनी ही सम्बधित है। जितनी सामाजिक उददेश्य के लिये सामूहिक अभिरूचियो के निर्माण सेसमूह समाज कार्यका दर्शन। शैशव काल से लेकर ही प्रत्येक व्यक्ति समूहो का सदस्य होता है। और समूहो का एक वृक्त सदैव बढ़ता जाता है। वह परिवार जैसे प्राथमिक समूहो एवं जातीय वर्गो आदि जैसे द्वितीयक समूहों में रहता है। उसके यह सामूहिक सम्पर्क बढते जातें है। उसका प्रभावी जीवन इन विभिन्न समूहों में रहने और कार्य करने और अपनी भूमिकाओं को ठीक से निभाने की योग्यता पर निर्भर करता है। इन समूहों के साथ संतोषजनक सम्बंध स्थापित करने की आवश्यकता उसे हैर समय रहती है। मुख्य रूप से परिवार को बाहर सभी प्रकार के समूहों को साथ यह ठीक ही कहा गया है। कि सामूहिक अनुभवो की आवश्यता एक मौलिक एवं सर्वव्यापी आवश्यकता है। इसी संदर्भ में ट्रेकर क्यो ने कहा है कि मानवीय आवश्यकताओ का कोई भी दर्शन क्यो न विकसित कर लिया जाये समूहै समाज कार्य की यह केन्द्रीय धारण है कि सभी व्यक्तियो को विभेदक सामूहिक अनुभवों की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रवृति के कारण व्यक्ति विभिन्न प्रकार के सामूहिक समायोजन करने पर बाहैय हो जाता है। समूहै समाज कार्य में कार्यकर्ता यह मानकर चलते हैं कि व्यक्तियो के विकास करने में और उनके व्यक्तित्व ओर मनोवृत्तियो मे परिवर्तन लाने में सहायता दी जा सकती है। यह सहायता सामाजिक संस्थाओ देकर दी जाती हैं। व्यक्तियों के साथ अनुभव देकर दी जाती है। व्यक्तित्व का यह विकास न केवल सम्भव है। बल्कि उन समूहो द्वारा अधिक अच्छा होता हैं जिनमें एक कुशल कार्यकर्ता समूह को उपलब्ध होता है।

गांधी जी और समाज कार्य– गोखले फिरोजशाहै मेहैता और तिलक की मृत्यु के बाद जब गांधी जी ने कांग्रेस की बागडोर सन 1920 में सम्भाली तो उन्होने अपने को अस्पालात निवारण में अधिक रूचि लेने वाला घोषित किया उनके अनुसार इसकी अनुपस्थिति में स्वराज्य की मांग करना ही व्यर्थ था सन 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में हिन्दू मन्दिरो में दालित वर्गो के द्वारा प्रवेश के संबंध में स्पष्ट रूप से कांग्रेस ने एक राजनीतिक निर्णय लिया सन1922 में शक्ति तब प्राप्त हुई जब प्रथम अस्परयता निवारण के पवित कार्य के निर्णय को और भी नागरिक अवज्ञा आन्दोलन के पश्चात गांधी जी ने देश के सामने बारांदोली कार्यक्रम रखा थी संगठनात्मक क्षेत्र में कुछ निशिष्ट जिनमे पहला कार्यक्रम असपश्यता निवारण ही समस्याओं को सुलझाने के लिये समर्पित व्यक्तियो सहित कुछ उचित राष्ट्रीय संगठन तैयारकरना उनकी मुख्य देन थी उदाहरणके लिये हैरिजन सेवक संघ अखिल भारतीय ग्राम उद्योग संध नयी तालीम संघ इत्यादि का उल्लेख किया जा सकता है। स्वराज्य पार्टी ने जिसका निर्माण सन 1923 में हुआ कांग्रेसके रचनात्मक कार्यक्रम विशेषकर स्वदेशी रवउदर संयम और राष्टीयशिक्षा में सुधार के क्षेत्र में पूरी पूरी मदद की।

दलितों का कल्याण– भारतीय समाज की एक प्रमुख इकाई दलित है। दलित से यह पर हैमारा आशय समाज के उन लोगो से है। जो संविधान की धारा उपा तथा के अन्तर्गत अनुसूचित जाति जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या 16.65 करोड है।

अनुसचित जातियों की समस्याएं– आज कानून के द्वारा अस्पश्यता का उन्मूलन कर देने के साथ ही हिन्दू समाज का अधिकांश भाग भी अनुसूचित जातियों की परम्परागत निर्योग्यताओं को अपने समाज के लिये एक कलक रूप देखता है। इसके बाद भी यह सच है। कि धर्म की आड में फलने फूलने वाली परम्पराओं की जडे इतनी गहैरी हो जाती है। कि उन्है समूल नष्ट करने में कुछ समय लगता है। यही कारण है कि प्रत्यक्ष रूप से अनुसूचित जातियो कीसमस्याएं आज भी काफी गम्भीर बनी हुई है। इन समस्याओं को दो भागो में विभाजित करके समझा जा सकता है–1. परम्परागत समस्याएं एवं 2. वर्तमान समस्याएं।

अनुसूचित जातियो की परम्परागत समस्याएं अनुसूचित जातियों की परम्परागत समस्याओं का तात्पर्य उन समस्याओं से है। जो स्मृतियों के समय से लेकर किसी न किसी रूप में बीसवी शताब्दी के मध्य तक बनी रही

सामाजिक समस्याऐं– अनुसूचित जातियो की सामाजिक समस्याओं का सम्बंध उन नियोग्यताओ से हैं जिनके अनुसार उन्हे सवर्ग हिन्दुओं के साथ सम्पर्क रखने सवर्ण जातियों द्वारा उपयोग में लायी जाने वाली वस्तुओ उपयोग करने सार्वजनिक कुओं तालाबो और पार्कों का उपयोग करने तथा सामान्य बस्ती में रहने से वंचित कर दिया गया था।

धार्मिक समस्याएं– अनुसूचित जातियों को अपवित्र मानकर उन्हें किसी तरह के धार्मिक आचरण करने की अनुमति नहीं दी गयी मन्दिरो में प्रवेश करने पर कठोर प्रतिबन्ध लगाने के साथ उनके लिये धर्मग्रन्थो का पाठ सूनना भी वर्जित कर दिया गया

आर्थिक समस्याएं– इन जातियों को केवल वे व्यवसाय करने की ही अनुमति दी गयी जो अत्यधिक अपवित्त होने के कारण सभी दूसरी जातियों के द्वारा त्याज्य थें अस्पश्य

जातियोंके धन के संचय पर निपन्दक लगा दिया गया सभी तरह की गन्दगी को साफ करना मरे हैंये पशुओं को उठाना।

राजनीतिक समसयाएं– इन जातियो को शासन के काम मे किसी भी तरह का हैस्तक्षेप करने कोई सुरक्षा देने सार्वजनिक सेवाओ के लिये नौौकरी पाने अपना समानता पर आधारित न्याय पाने का कोई अधिकार नहीं दिया गया सामान्य से अपराध के लिये उन्है । इतना कठोर दण्ड दिया जाने लगा किवे कभी अपने अधिकारों की मांग करने का साहस नहीं जुटा सके द्य अनुसूचित जातियों की वर्तमान समस्याएं रू– भारत में अनुसूचित जातियां कीसमस्याओं कोसबसे पहले यहां के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आदोलन के दौरान अनुभव किया गया यह पहला अवसर था जब डॉ अम्बेडकर के प्रयत्नो से यह महसूस किया जाने लगा कि अनुसूचित जातियो की स्थिति में सुधार किये बिना उन्हें राष्ट्रकी मुख्य धारा से नहीं जोड़ा जा सकता इसके जलस्वरूप महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियो को हैरिजन अर्थात इश्वर की संन्तान कहैकर उनके सामाजिक आर्थिक शोंषण को दूर करने पर विशेष बल दिया सामाजिक विभेद की समस्या रू– व्यावधरिक रूप से आज भी उची जातियों के बहुत सेलोग अनुसूचित जातियां से सामाजिक समर्क और खान पान के क्षेत्र में सम्बंध रखने में संकोच महसूस करतें है। विभिन्न प्रतिष्ठानो मेंया तो उन्हें रोजगार की सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती अथवा दूसरी जातियों कि दुलना में उन्हें मिलने वाला आर्थिक पुरस्कार बहुत कम होता है।

उच्च जातियों द्वारा शोषण– अनुसूचित जनजातियों का लगभग 80 प्रतिशत भाग गांवो में निवास करता है। गांवो में उच्च जातियां के महाजन बडे भू स्वाभी और प्रभु जाति के लोग आज भी अनुसूचित जातियो का किसी न किसी रूप में सामाजिक आर्थिक शोषण कर रहें हैं।

आन्तरिक असमानता की समस्या– सच्चिदानन्द देसाई तथा वेली ने अपने अध्ययन के आधार पर यह स्पष्ट किया कि स्वंय अनुसूचित जातियों के अन्दर ही अनेक असमानताएं उत्पन्न हो गयी है। अनुसूचित जातियो के जिन लोगो ने शिक्षा प्राप्त कर लिया वे अभिजन बन गयें इसके फलस्वरूप वे अपने आप को अनुसूचित जातियो से भिन्न एक अलग वर्ग मानने लगे।

अशिक्षा– अनुसूचित जातियों के बच्चों में शिक्षा की वृद्धि करने के लिये उन्हें निशुल्क शिक्षा देने छात्रवृत्तियां देने तथा निशुल्क छात्रवासो की व्यवस्था करने के बाद की इन जातियां में साक्षरता की दर सबसे कम है। प्राथमिक शिक्षा को बीच में ही छोड देने वाले छात्र छात्राओ मे अनुसूचित जातियों के बच्चो का प्रतिशत सबसे अधिक है।

अनुसूचित जातियो के लिये कल्याण कार्य– अनुसूचित जातियो की विभिन्न समस्याओं को दूर करने तथा उन्हें विशेष संरक्षण देंकर उनकी स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा अनेक प्रत्यन्न किये गये।

संवैधानिक प्रावधान– सामाजिक न्याय के संरक्षात्मक एवं क्षतिपूर्ति के सिद्धांत के आधार पर अनुसूचित जातियों के लिये संविधान मे अनेक ऐसे प्रावधान किये गये जिससे उनकी परम्परागत नियोग्यताओं को दूर करने के साथ ही उन्हें इस तरह के विशेष अधिकार दिए

जाएं जिनकी सहायता से अनुसूचित जनजातियां अन्य नागरिक के समकक्ष आ सके सविधान क कुछ मुख्य प्रावधान निम्नांकित हैं–

- अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म वंश जाति लिंग जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर विभेद नहीं करेगा
- अनुच्छेद 15 के अर्न्तगत अनुसूचित जातियां के लिये आरक्षण की सुविधाएं देने की व्यवस्था की गई
- अनुच्छेद 16 के अनुसार इन जातियों के आर्थिक विकास के पगति सरकार की गारणटी का उल्लेख किया गया
- अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता से सम्बंधित किसी भी तरह के प्रचलन अथवा व एक दण्डनीय अपराध घोषित किया गया ।
- अनुच्छेद 19 के अनुसार अनुसूचित जाति के प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी व्यवसाय द्वारा आजीविका उपार्जित करने की स्वतंत्रता दी गई
- अनुच्छेद 25 में यह व्यवस्था की गई कि अनुसूचित जातियों के लोग हिन्दूओं के किसी भी सार्वजनिक धर्म स्थान में प्रवेश कर सकतें है ।

शैक्षिक विकास के प्रयत्न– अनुसूचित जातियों के विकास के लिये उनके शैक्षिक विकास को एक आवश्क शर्त के रूप में स्वीकार किया गया इसके लिये सरकार द्वारा कुछ विशेष, सुविधाओं की व्यवस्था की गई।

1. अस्वच्छ व्यवसायों से सम्बन्धित अनुसूचित जाति के परिवारों के बच्चो को पूर्व मैटिक छात्रवृत्तियों का प्रावधान किया गया इसके अर्न्तगत कक्षा 1 से 5 तक 40रू0 प्रति माहै कक्षा 6से 8तक 60 रू. प्रति माह तथा कक्षा9से 10के विद्यार्थियो को 75 रू. प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया।

2. कक्षा 10 से उपर के विद्यार्थियो के लिए वित्तीय सहायता की विशेष व्यवस्था की गई इस समय विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों में इस श्रेणी के 30 लाख से भी अधिक विद्यार्थियो को वित्तीय सहायता दी जा रही है।

3. उच्च शिक्षा के लिए विदेशो में अनुसूचित जातियो के चयनित विद्यार्थियो को अध्ययन के लिये प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष 8200 डालर अथवा 5200पाउण्ड की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान किया गया है।

4. अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की योग्यता में सुधार करने के लिये आवसीय विद्यालयो की स्थापना की जा रही है, जिसका सम्पूर्ण व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वाहन किया जाता है।

5. प्रतिभोगी परीक्षाओं के लिये अनुसूचित जातियां के प्रत्याशियों की योग्यता में सुधार करने तथा उन्है कोचिंग के द्वारा सही दिशा निर्देश देने के भी प्रयत्न किए जा रहें है।

आर्थिक विकास के प्रयत्न– भारत की जाति संरचना में परम्परागत रूप से अनुसूचित जातियो कीसबसे बड़ी समस्या उन्हें गन्दे कामो के द्वारा इस तरह की आजीविका उपार्जित

करने के लिये बाहैय होना था इस तरह की निर्योग्यताओं को दूर करने तथा उनका आर्थिक विकास करने के लिये अनेक प्रयत्न किये गयें है।

1 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम के अर्न्तगत भारत में इस समय 26 राज्यो तथा केन्द्र शासित प्रदेशो में इस तरह के निगम स्थापित किये गयें है। इनके द्वारा राज्य स्तर पर अनुसूचित जातियों के आर्थिक विकास के प्रयत्न किये जाते हैं।

2. अनूसूचित जातियों के लिये कल्याण कार्य करने वाले ऐच्छिक संगठनों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है, जिन ऐच्छिक संगठने ने अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सराहनीय काग्र किया है। उन्हें व्यावसायिक रू कार्यक्रमो को चलाने देने की व्यवस्था की गई है।

सामुदायिक संगठन– कुछ समाज कार्य शिक्षक यह कहतें है। किमूल रूप से समाज कार्य कीदो ही प्रणालियां है क्योकि समाज काग्र की करती है और व्यक्ति या तो व्यक्तिगत रूप से कार्य करतें है। समूहों के सदस्य के रूप में दूसरे शिक्षाक समुदायों के साथ कार्य करने को समाज कार्य की एक विशिष्ट प्रणाली मानते है। जिसमे न पडती है। बल्कि समुदाय के अध्ययन में भिन्न निपुणताओं विस्तृत ज्ञान सामुदायिक हितों एवं उददेश्यो कीप्राप्ति के लिये गतिमान करने की आवश्यकता पड़ती है। बडे नगरो मे सामुदायिक जीवन विगडने के कारण और परम्परागत ग्रामीण समुदाय में उन्नति लाने की आवश्यकता ने समाज कार्य का ध्यान सामुदायिक विकास की ओर आकर्षित किया है। तकनीकी परिवर्तन के सामाजिक परिणामो के कारण हैस्तक्षेप के माध्यम से नियोजत सामाजिक विकास पर बल दिया जाने लगा है। इस हस्तक्षेप के चेतन प्रयोग का उददेश्य तकनीकी परिवर्तन के कारण व्यक्तियो और समूहो पर पडने वाले आधात को रोकना ओर तेजी से बदलती हुई विचार धाराओं कार्य करने की विधियों आदि के साथ अनुकूल न स्थापित करने में सहायता देना हैं सामुदायिक संगठन समाज कार्य की एक प्रणाली है। इसकी उत्पत्ति भी उन्नीसवी शताब्दी मे दान संगठन समिति आंदोलन से हुई इस संगठन न जिस प्रकार व्यक्तियो और परिवारो की सहायता करना आरंभ किया उससे ही व्यक्तिगत समाज कार्य की उत्पत्ति हुई इसी संगठन ने यह भी अनुभव किय कि बहुत सी औरसरकारी सहायता समितियो ओर कल्याण संस्थाओं में परिवार सहयोग नहीं है। वह सामूहिक अन्त किया का निर्देशन करता है।

विशेषज्ञ के रूप में भूमिका– कार्यकर्ता सदस्यो को आवश्यकता पड़ने पर विशेषसलाहै देता है। वह समूहै समस्या का विश्लेषण करता है। तथा उसका निदान करता है। समूह को विधिवत तथा अधिक प्रभावकारी होने के लिये उपयुक्त तरीके बतलाता है। वह संस्था व समूहै के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है।

सहायता के रूप में भूमिका– कार्यकर्ता समूह की सहायता लक्ष्य निर्धारण तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के तरीको को निश्चित करने में करता है। वह संस्था से सहायता लेने में समूहै की मदद करता है। कार्यक्रमो के निर्धारण तथा उनका चयन करने में वह सहायता करता है। समूह मे सामूहिक चेतनातथा सामूहिक भावना विकसित होने के लिये समूह की सहायता करता है।

सामर्थ्यदाता के रूप में भूमिका– संगठन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये कार्यकर्ता में एक सार्मथ्यदाता के रूप मे व्यक्तियो को सक्षम बनाने के लिये अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। यह भूमिका समुदाय की किसी परिस्थिति की जटिलता के अनुरूप ही जटिल एवं विस्तृत होती है। इसके अर्न्तगत निम्नलिखित दृष्टिकोण निहित होते है।

अ. असंतोष का विकेन्द्री कारण– कार्यकर्ता असन्तोष के क्षेत्रो को सामने रखने करता है। जब समुदाय अपनी समस्या के प्रति सचेत नहीं रहता तो कार्यकर्ता समुदाय की दशाओं के प्रति असंतोष को जाग्रत करके उसे केन्द्रित करने में सहायता प्रदान करता है।साथ की सामुदायिक मतभेद की स्थिति में सहयोग की भावना विकसित करने में सहायता प्रदान करता है।

ब. संगठन को प्रोत्साहित करना– कुछ समुदाय सरलता से संगठित होने की दिशा में अग्रसर नहीं होते या उदासीनता ग्रस्त तथा शिथिल होता है। ऐसी स्थिति में कार्यकर्ता धैर्य केसाथ संगठन स्थापित करने में सहायता करता है।

स. अन्तवैयक्तिक सम्बन्ध की बृद्धि करना–कार्यकर्ता समुदाय के सदस्यों के साथ व उनके बीच आपस में तथा दूसरो के साथ उत्तम व स्वस्थ अन्तवैयक्तिक सम्बधो के प्रति सन्तुष्टि की मात्रा को बढाने व सहकरिता की भावना में वृद्धि करने में सहायता करता है। ताकि व्यक्ति का व्यक्ति के साथ व्यक्ति का समूह के साथ व्यक्ति का समुदाय के साथ व समुदाय का समुदाय के साथ सम्बधो मे सहकारिता व सहागिता बढ़ सके और सम्बन्ध द्रढ हो सके।

द. सामान्य उददेश्यो पर बल देना– कार्यकर्ता की यह एक महत्वपूर्ण भूमिका है। कवह सामुदायिक साधनो और प्रभावशाली नियोजन के विकास हेतु सामान्य उददेश्यों पर बल दे तथा उसे सामान्य रूप से स्वीकृति प्राप्त है।

सन्दर्भ गंथ सूची

- मानवधिकार सिद्वांत एंव व्यवहार–डॉ. जी.पी. नेमा एवं डॉ. के.के. शर्मा।
- मानव अधिकार – डॉ जय जय राम उपाध्याय।
- भारत में समाज कल्याण एवं समाजिक अधिनियम– डॉ गोपाल कृष्ण अग्रवाल एवं डॉ ध्रुव कुमार दीक्षित।
- भारतीय समाज– डॉ. डी.एस. बधेल एवं डॉ श्रीमती किरण बधेल।
- समाजशास्त्र–डॉ. जी.के. अग्रवाल।
- सामाजिक न्याय एवं दलित संघर्ष – डॉ रामगोपाल सिंह।
- मानव अधिकार सामाजिक न्याय तथा कमजोर वर्ग –M. G S. C .G S. V.B.N.B.Publications।
- भारतीय दलितों की समस्याएं एवं उनका समाधान – डा आर.जी. सिंह।
- गांधी अम्बेडकर और दलित – डॉ महेश्वरदत्त।
- महात्मा ज्योतिबा फुले – कन्हैयालाल चचरीक।
- सामाजिक विचारों का इतिहास – डॉ. डी.एस. बधेल।

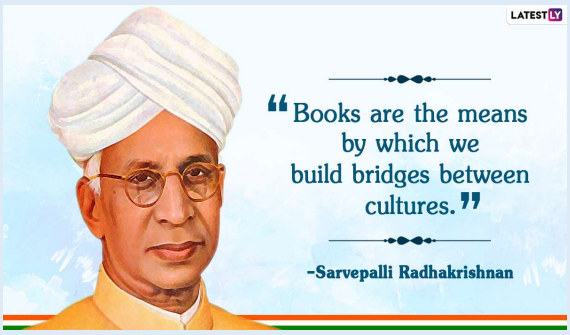

Center for Distance Learning & Continuing Education
MAHATMA GANDHI CHITRAKOOT GRAMODAYA VISHWAVIDYALAYA
Chitrakoot, Satna (M.P.) 485334
E-mail : directordistancemgcgv@gmail.com